राजस्थान विधान सभा

३६ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक २६ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर १० मिनिट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६५२

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह

प्रश्न संख्या ६५३

श्री अध्यक्ष--He is not in confinement, there is no authority on his half.

श्री जवानसिंह--Permission had been given.

श्री अध्यक्ष--When he was in confinement.

(प्रश्न संख्या ६५३,६५४ आगे लिये गये)

प्रश्न संख्या ६५५

श्री अध्यक्ष—श्री रामलाल बंसीवाल।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No 2

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६५६

श्री राम दयाल उपाध्याय ।

(अनुपस्थित, कृपया ये प्रश्नोत्तर आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३५७

जिला भीलवाड़ा में मानसी नदी पर सोरी स्टेशन पर बंध रहे बांध से उठने वाले ग्राम इरान्स का मुआवजा

श्री **जयसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में मानसी नदी पर जो बांध सोरी स्टेशन के पास बंध रहा है उसके कारण ग्राम इरान्स (तहसील आसींद) उठ रहा है ?

(२) यदि हां, तो क्या उसका मुआवजा सारे ग्रामवासियों को मिल रहा है या कुछ घर वालों को ही ?

(३) यह मुआवाजा और इस ग्राम के किसानों को बसाने का मसला कब तक हल हो जावेगा ?

(४) इस मसले के इतने लम्बे अर्से तक हल नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री **खेतसिंह** (उप मंत्री)—(१) हां उठ रहा है ।

(२) जिन जिन लोगों की जमीनें, इमारतें व कुऐ पानी की डूब में आवेंगी उन्हें सब को मुआवजा मिलेगा ।

(३) डूब में आने वाली सम्पत्ति का मुआवजा व बसाने का मसला बांध के पूरे बन भरने के पूर्व कर दिया जाने का अनुमान है ।

(४) प्रश्न ३ को देखते इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री **तेजमल बापना**—क्या यह सही है कि इस साल बांध बन जावेगा और गांव पानी में आ जावेगा और लोगों को मुआवजा दिया जावेगा ?

श्री **खेतसिंह**—उम्मीद यही की जाती है कि इसी साल पानी भर जायगा । इससे पहले कि पानी भर जावेगा लोगों को मुआवजा दिला दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६५८

जिला भीलवाड़ा में सहकारी समिति द्वारा उद्योग विभाग को दिया गया ऋण

श्री कस्तूरचंद—क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(१) जिला भीलवाड़ा में सहकारी समितियों द्वारा छोटे उद्योग पनपाने के लिये इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से अब तक कितना लोन [ऋण] दिलाया गया है ?

(२) जिला भीलवाड़ा की कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिन्हों ने इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से छोटे उद्योग पनपाने को ऋण मांगा है ?

श्री खेतसिंह—(१) ८६२।।)

(२) पांच ।

श्री कस्तूरचन्द—यह किस डिपार्टमेंट द्वारा सहायता दी गई ?

श्री खेतसिंह—यह इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा दी गई ।

श्री कस्तूरचंद—यह रुपया किस किस को दिया गया ?

श्री खेतसिंह—वह वीवर्स एन्ड को० को दिया गया है ।

श्री कस्तूरचन्द—यह कहां के हैं ?

श्री खेतसिंह—यह भीलवाड़ा की सहकारी समिति है ।

श्री कस्तूरचंद—क्या और भी लोगों ने इस प्रकार का ऋण मांगा है ?

श्री खेतसिंह—मैंने बताया कि और सोसाइटीज़ से भी मांग आई है । उनको इसलिये नही मिला कि जितनी इन्फोरमेशन की जरूरत थी उतनी फार्म में नहीं थी इसलिये उनके फोर्म वापिस भेज दिये गये । एक को इसलिये नहीं दिये गये कि उन्होंने पहले सिक्योरिटी नहीं दी थी ।

श्री कस्तूरचंद—क्या उनकी मांग का ध्यान रखा जावेगा ?

श्री खेतसिंह—अवश्य ध्यान रखा जावेगा ।

श्री कस्तूरचंद—उनको कितना दिया जायगा और किस हिसाब से दिया जावेगा ?

Page No 4

श्री खेतसिंह—नियमानुसार दिया जावेगा और उनकी मांग को देखते हुए दिया जाएगा।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५६

श्री तनसिंह, अनुपस्थित यह, प्रश्नोत्तर आगे लिया गया है।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री तनसिंह (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न संख्या ६६१

श्री रामलाल अंसीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये।)

श्री लालबहादुर सक्सेना।

प्रश्नसंख्या ६६२

भोपालपुर (त० किशनगंज कोटा) तालाब के लिये पृथक इंजीनियर

श्री लालबहादुर सक्सेना—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(अ) क्या भोपालपुर तालाब (तहसील किशनगंज) कोटा के वास्ते अलग इन्जीनियर व ओवरसियर मुकर्रर किये जायेंगे ?

(ब) अगर हां, तो कब तक ?

श्री खेतसिंह—इस काम का तकमीना अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। अतः ओवरसीयर व इन्जीनियर की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६३.

ग्राम गोरधनपुरा, शार और सरसुदा (त० सरवाड़) की मेथी की फसल के समय पानी न देने से हानि

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

Page No 5

[श्री चांदमल मेहता]

(१) ग्राम गोरधनपुरा, शार और सर सुदा तहसील सरवाड़ की मेथी की फसल को वक्त पर पानी नहीं देने से कितना नुकसान हुआ है ?

(२) वक्त पर पानी नहीं देने की किन अधिकारियों की गलती रही ?

(३) उक्त अधिकारियों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया ?

श्री खेतसिंह--(१) वक्त पर पानी दे दिया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री चांदमल मेहता--वक्त पर पानी दे दिया गया यह जांच किसी अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री खेतसिंह--जी हां, कारतकारों की तरफ से प्रार्थनापत्र ता० २६. ३. ५६. को प्राप्त हुआ था और २७. ३. ५६. को मोरी खोल दी गई। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि काश्तकारों ने, जिस आवेदनपत्र की चर्चा की है, उसके पहले दो तीन आवेदनपत्र और दिये और उस समय तक मोरियें नही खोली गई थीं ?

श्री खेतसिंह--इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता--कोई नुकसान नहीं हुआ की बात कही जाती है, उसको मैं चैलेंज करता हूं और यह कहूंगा कि २०८ बीघा में नुकसान हुआ है। क्या माननीय मंत्री मेरे इस चेलेंज को स्वीकार करके इसकी इसकी जांच करने की कृपा करेंगे।

श्री खेतसिंह--जांच की गई है और आप तो हमेशा चेलेंज करते ही रहते हैं।

श्री चांदमल मेहता--कौन अधिकारी जांच करने के लिये गया था ?

श्री खेतसिंह--वहां पर, वहां के असिस्टेन्ट इन्जीनियर इरिगेशन गये थे।

श्री चांदमल मेहता--कौन सी तारीख को गये ?

श्री अध्यक्ष--कौन सी सवारी में गये ?

श्री खेतसिंह--तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता--मोरी खोलने के पहले पहुंचे या बाद में ?

श्री खेतसिंह--मैंने बताया कि उनका आवेदन पत्र २६. ३.५६ को आया और दूसरे ही रोज मोरी खोल दी गई और उनको पानी दे दिया गया। इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता--हुक्म आवेदन पत्र पर दिया गया या इन्जीनियर ने मौके पर पहुंच कर हुक्म दिया ?

श्री खेतसिंह--इन्जीनियर पानी वगैरा देने के बाद में देखने के लिये गया।

श्री चांदमल मेहता--इसकी जांच तो बाद में हुई या पहले हुई कि फसल को नुकसान हुआ या नहीं ?

श्री खेतसिंह--उनका प्रार्थनापत्र आते ही दूसरे रोज पानी दे दिया गया लिहाजा फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता--क्या इस बात की जांच की कि कितनी मेथी की पैदावार हुई, जबकि आप कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ ?

श्री खेतसिंह--यह अलग से प्रश्न है। इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

श्री चांदमल मेहता--पैदावार हुई या नहीं ?

श्री खेतसिंह--मैंने कहा कि नुकसान नहीं हुआ तो पैदा हुई है।

श्री किशनलाल शाह--पहले पानी बन्द करने का क्या कारण था ?

श्री खेतसिंह--पहले पानी बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस रोज उन्होंने प्रार्थनापत्र दिया कि पानी की आवश्यता है, उसके दूसरे ही रोज पानी दे दिया गया।

श्री चांदमल मेहता--जिन अधिकारियों ने पानी नहीं दिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, जिसके कारण शिकायत की गई थी ?

श्री खेतसिंह--शिकायत तो की गई कि पानी के बगैर फसल जल रही है मगर अब प्रार्थना पत्र आया उसके दूसरे ही रोज पानी दे दिया गया।

श्री चांदमल मेहता--जिन्होंने पानी नहीं दिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

श्री खेतसिंह—उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ?

श्री चांदमल मेहता—जब पानी नहीं दिया गया तो शिकायत आई कि पानी नहीं देने की वजह से फसल सूख रही है तो उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने पानी नहीं दिया, एक्शन क्या लिया गया ?

श्री खेतसिंह—जिस रोज प्रार्थनापत्र आया उसके दूसरे रोज पानी दे दिया गया इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसमें स्थानीय अधिकारियों की गलती थी या नहीं ?

श्री खेतसिंह—अधिकारियों को कोई गलती नहीं हुई क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रार्थनापत्र आते ही पानी दे दिया गया। फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री किशनलाल शाह—पहले पानी नहीं दिया क्या उसको गलती नहीं मानते ?

प्रश्न संख्या ६६४

सिवाना पंचपदरा तहसील में अफीम की दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक पर अफीम बेचना

श्री मोटाराम—क्या पृथक राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि सिवाना पंचपदरा तहसील में जो अफीम की दुकानें हैं, वे खुले आम ५ रू० फी तोला के बजाय ६ व ७ रू० फी तोला बेचते हैं ?

(२) क्या इस संबन्ध में वहां की जनता ने शिकायत रजिस्ट्री व तार के जरिये भेजी थी ? यदि हां तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि बालोतरा का आबकारी इन्स्पेक्टर इन दुकानदारों से मिल कर अफीम मुकर्रर रेट से ज्यादा भाव में बिकवाता है ?

(४) यदि हां तो क्या सरकार उनको ऐसा करने से रोकेगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व मंत्री)—(१) जी नहीं।

(२) जनता की ओर से शिकायत की दरख्वास्त फरवरी १९५६ को प्राप्त हुई थी, जिस की जांच की जा रही है।

[श्री अमृतलाल यादव]

(३) इस विषय में जांच का नतीजा आने के आधार पर इसकी उचित कार्यवाही की जायगी, अगर सरकार को जांच करने के पश्चात ऐसा ज्ञात होगा कि इन्सपेक्टर बालोतरा लाइसेन्सदारान से मिलकर अफीम मुकर्रर रेट से अधिक कीमत में बिकवाता है तो जरूर पर्याप्त सजा देगी।

श्री मोटाराम—जांच किस अधिकारी के जरिये करवाई जा रही है?

श्री अमृतलाल यादव—सरकारी अधिकारी द्वारा।

श्री मोटाराम—क्या दूसरा आदमी भेजकर जांच करवाई जायगी या वहां है उसी से करवाई जायगी?

श्री अमृतलाल यादव—वह नहीं।

प्रश्न संख्या ६६५ व ६६६

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह

(अनुपस्थित, ये प्रश्नोत्तर आगे लिये गये)

प्रश्न संख्या ६६७

श्री श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६६८

ग्राम हिंगूनिया त. सरवाड़ के तालाब आमोलाव व हेमासागर के विस्तार संबन्धी शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) तहसील सरवाड़ में ग्राम हिंगूनिया के तालाब आमोलाव और हेमासागर के पीछे कितनी कितनी भूमि की सिंचाई होती है?

(२) उक्त तालाबों को एक्सटेंड करने से कितनी नई भूमि की सिंचाई हो सकती?

(३) सरकार द्वारा उक्त तालाबों के एक्सटेंड करने की क्या योजना है?

श्री खेतसिंह(उप मंत्री)—(१) आमोलाव से करीब ६०० बीघा की आबपाशी होती है। सिंचाई विभागीय हेमासागर नामक कोई बांध नहीं है।

(२) आमोलाव को एक्सटेन्ड करने से कोई सिंचाई नहीं बढ़ सकती है।

(३) अभी कोई योजना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई कि आमोलाव की सिंचाई की भूमि बढ़ सकती है या नहीं ?

श्री खेतसिंह—जांच करने के बाद ही तो जवाब दिया गया उसके एक्सटेन्ड करने से कोई फायदा नहीं। उसका केचमेन्ट एरिया इतना है जितना कि पानी उससे मौजूदा जमीन को मिलता है उसका कभी ओवरफ्ला नहीं हुआ लिहाजा ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं।

श्री चांदमल मेहता—किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई कि इसके एक्सटेन्ड करने की गुंजाइश नहीं है, अगर कराई गई तो किस अधिकारी द्वारा ?

श्री खेतसिंह—जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि जांच करने के बाद ही जवाब दिया गया है।

श्री किशनलाल शाह—इस तालाब का केचमेन्ट एरिया और वर्षा की औसत क्या है ?

श्री खेतसिंह—वर्षा की औसत का सवाल तो अलग है अगर आप स्पेसिफिक सवाल करेंगे तो जवाब दिया जयगा।

श्री किशनलाल शाह—यह जो कहा जाता है कि एक्सटेन्शन की गुंजाइश नहीं तो आप बताइये कि केचमेन्टका एरिया कितना है उस तालाब का मेजरमेन्ट कितना है वर्षा का औसत कितना है ये तीनों चीजें सामने आनी चाहिये।

श्री खेतसिंह—मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया वह तालाब कभी ओवरफ्लो नहीं हुआ जब से वह तालाब है तब से तो ईयर टू ईयर वर्षा का एवरेज निकाल लीजिये ओवरफ्लो आजतक नहीं हुआ जो उसका केचमेन्ट एरिया है, उतना काफी है।

श्री किशनलाल शाह—एरिया कितना है ;

श्री अध्यक्ष—प्रश्न के भाग (१) के जवाब में बता दिया है।

Page No 10

प्रश्न संख्या ६६९

तहसील घाटोल जि. बांसवाड़ा के पड़ोसी के गांव के तालाब के बांध एवं बांध की खुदाई का कार्य

श्री धूलजी भाई भवसार—क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) बांसवाड़ा जिले में तहसील घाटोल के पड़ौसी गांव के तालाब के बांध एवं नहर खुदाई का कार्य कब पूरा हुआ और इन कार्यों में कितनी धनराशि लगाई गई ?

(२) इस तालाब से कुल कितने एकड़ भूमि संचान होती है और आदिवासी किसानों ने उक्त तालाब से अबतक कितने एकड़ भूमि में सिंचाई द्वारा लाभ उठाया ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(१) बांसवाडा जिले मे घाटोल के पाड़ोली गांव के तालाब का बांध कार्यगत वर्ष के मार्च के महीने में पूरा हो चुका है और इस बान्ध के कार्य में रू. ४८२१३ व नहर खुदाई कार्य में रू. ५१० की धनराशि लगाई गई है।

(२) इस तालाब से कुल १६८ एकड़ भूमि सिंचित होती है जिसमें से आदिवासी किसानों ने उक्त तालाब से अब तक १४५ एकड़ भूमि में सिंचन द्वारा लाभ उठाया।

श्री धूलजी भाई—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिस नहर की खुदाई की गई उसका पैसा अभी तक आदिवासियों को नहीं चुकाया गया ?

श्री खेतसिंह—यह तो आप अलग से सवाल पूछिये, नहर खुदाई में ५१० रूपये की लागत लगी है।

श्री धूलजी भाई—क्या यह सही है कि इस नहर की खुदाई ५१० रूपया आदिवासियों को डेढ साल से नहीं मिला है?

श्री खेतसिंह—आपने जो यह इनफोरमेशन दी है उसके लिये धन्यवाद अगर ऐसी बात है तो मैं जांच कराउंगा।

श्री धूलजी भाई—उस तालाब के अन्दर पानी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६७०

किशनगढ़ में शरणार्थियों के लिए बनाई जाने वाली दूकानें

श्री चांदमल मेहता—क्या पुनर्संस्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No 11

[श्री चांदमल मेहता]

(१) किशनगढ़ में शरणार्थियों के लिये दुकाने बनाने को कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं ?

(२) कुल कितनी दुकानें किस स्थान पर कितनी कितनी लम्बी चौड़ी बनाने की योजना है ?

(३) दुकाने बनाने में किस किस की कितनी कितनी भूमि आ जाती है ?

(४) उक्त दुकानों के बनाने से पहले की बनी हुई कितनी दुकानों के आड़ आ जाती है ?

(५) दुकानें बनाने के लिये कितनी मर्तबा प्लान बनाये गये ?

(६) पहले प्लान को रद्द करके नया प्लान बनाने का क्या कारण है ?

(७) उक्त दुकानों के विरोध में कितने आवेदन पत्र सरकार को पेश हुए और उन आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—(१) ४०,००० रु०

(२) अभी २१ दुकानें परोपकारिणी समिति से ली हुई जमीन पर बननी हैं। नक्शे शरणार्थियों की ओर से नगरपालिका के पास वास्ते मन्जूरी पेश हैं।परोपकारीसमिति की जमीन जो मौके पर १३५ फुट×७० फुट है।

(३) जी नहीं।

(४) एक तो बार।

(५) शरणार्थियों की सुविधा तथा नगरपालिका की स्वीकृत क्रमशः—

(६) केवल एक।

(७) मौके पर तहकीकात करके फैसला किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या ये दुकानें सरकार की तरफ से बनाई जायगी ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार की तरफ से ऋण दिया जायगा।

Page No 12

श्री चांदमल मेहता—ये २१ दुकानें कितनी लम्बी चोड़ी बनेंगी ?

श्री अमृतलाल यादव—वे कितनी लम्बी चौड़ी बनेंगी कितने वेन्टीलेशन्स होंगे इसके लिये नक्शा म्युनिसिपेलिटी में गया हुआ है, स्वीकृति के लिये। अगर आप यह कहें कि वेन्टीलेशन्स ज्यादा रखे जांय यह तो बिना म्युनिसिपेलिटी की इजाजत के कुछ नहीं हो सकता।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसका प्लान मन्जूर हो चुका है ?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये प्लान जब म्युनिसिपेलिटी में गया हुआ है या तो वह स्वीकृत हो गया होगा या होने वाला होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या आपके डिपार्टमेंट ने भी उसी प्लान को स्वीकार किया था ?

श्री अमृतलाल यादव—हमारे विभाग के स्वीकार करने या न करने का सवाल नहीं जब तक म्युनिसिपेलिटी स्वीकार नहीं करेगी तब तक कोई डिपार्टमेंट कोई कार्य नहीं कर सकेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि परोपकारिणी समिति द्वारा जितनी जमीन एक्वायर की गई है उससे अधिक जमीन पर बनाने की योजना है ?

श्री अमृतलाल यादव—म्युनिसिपेलिटी की स्वीकृति होगी उसके अन्दर सारे डिटेल्स मौजूद हैं।

श्री चांदमलमेहता—क्या इस सम्बन्ध में जांच करा ली गई कि जो दुकानें बनेंगी उससे पहले जो दुकानें बनी हुई हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, कोई नुकसान नहीं होगा।

प्रश्न संख्या ६७१

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न गृह मंत्री से संबन्धित है वे आज उपस्थित नहीं है। अगर वे ही इसका उत्तर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा जब कभी वे उपस्थित हों उस दिन के लिये यह रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या आप प्रश्न पूछना नहीं चाहते ?

Page No 13

अप्रेल सन ५२ से जनवरी ५५ तक सरकार द्वारा जब्त किये गये हथियारों के लाइसेन्स

श्री भैरू सिंह—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे—

(क) अप्रेल सन् ५२ से जनवरी ३१ सन् ५५ तक किन किन व्यक्तियों को लाइसेन्स शुदा या रजिस्टर्ड शुदा कौन कौन से हथियार सरकार द्वारा जब्त किये गये और क्यों ?

(ख) जब्त शुदा हथियारों में से किन किन को कौन कौन से हथियार वापिस किये गये और क्यों ?

(ग) जब्त किये गये हथियारों में से किन किन के कौन कौन से हथियार सरकार द्वारा अन्तिम रुप से जब्त किये जा चुके हैं ?

(घ) अन्तिम रूप से जब्त किये गये हथियारों का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल असंभव है क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों के हथियार जब्त किये गये हैं उनको संख्या हजारों पर जाती है। यदि किसी खास जिले की सूचना चाहिये तो उसका उत्तर एक सप्ताह के बाद दिया जा सकता है।

श्री भैरू सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिये संबन्धित मंत्री महोदय होते तो ठीक रहता। इस सवाल को दिये हुए एक महीना हो चुका वैसी हालत में इसका उतर सदन में आना चाहिये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अपने इस प्रश्न को ही पढ़ लीजिये जिसमें कितनी सूचना मांगी गई है सो सारे जितने रजिस्टर्ड किये हुए हथियार हैं उनकी सूची और कितने वापिस हुए इन सब बातों की जानकारी चाही है; जो देना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी खास जिले की जानकारी चाहते हैं तो एक सप्ताह में दी जा सकती है।

श्री भैरू सिंह—मेरी मन्शा इस प्रकार पूछने से यह है कि राजपूतों के ज्यादा हथियार जब्त किये गये हैं, जब सूची सामने आयगी तो सारी राजस्थान का नकशा सामने आ जायगा। अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रश्न को एडमिट कर लिया गया तो सरकार का उत्तर देना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप इस पर कोई सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं ?

श्री भैरू सिंह--क्या सरकार यह इत्तला नहीं दे सकती कि राजस्थान में किन किन लोगों के हथियार जप्त किये गये।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह इत्तला दे सकती है, अगर आप चाहें तो लेकिन इसमें काफी समय लगने की संभावना है। एक गांव से सभी जगह जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ज्यादा खर्चा होगा, उससे लाभ नहीं होगा। अगर आप किसी खास जगह की सूचना चाहते हैं तो देने के लिये तैयार हूं।

श्री भैरू सिंह—हर जिले में इस बात की सूचना रहती है कि किस किस व्यक्ति को हथियार का लाइसेन्स मिला हुआ है, तो फिर उसे देने में क्या आपत्ति है।

श्री भोगीलाल पंड्या--सूचियां कितनी बड़ी होती हैं, यह भी आप अन्दाज लगाइये।

श्री अध्यक्ष--आप टोटल नम्बर भी बतला सकते हैं, नम्बर दे सकते हैं सन् ५४ के, ५५ के।

श्री भैरू सिंह--क्या यह सही है कि जिन लोगों के हथियार जप्त किये गये उनको डिफेन्स का मौका नहीं दिया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये सरकार करती है।

श्री भैरू सिंह—मैं यह पूछ रहा हूं कि उनको डिफेन्स का मौका दिया गया या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष—कितने हैं यह पहले मेरे पास आना चाहिये, instead of coming before the house. दो हजार हैं, कि चार हजार हैं या छः हजार हैं, कितने हैं मेरे पास आने चाहिये थे, मैं रिजेक्ट कर सकता था। This is not the proper place to say that the question involves so much trouble and as such cannot be replie

श्री भोगीलाल पंड्या—आगे के लिये रख दें आप इसे। सब जगह की सूचना इकट्ठी हो जावेगी पर इसमें समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष—कब के लिये? कब पोस्टपोन कर दें? जिलेवार और सालवार सारी संख्या दे दें; जिलेवार दे दें, संख्या दे दें, जैसा चाहें वैसा दे दें।

प्रश्न संख्या ६७२

(पुकारा तो गया श्री भैरू सिंह दांता रामगढ़ द्वारा किन्तु पूछा नहीं गया)

[श्री अध्यक्ष]

श्री भैरवलाल काला बादल,

प्रश्न संख्या ६७३

राजस्थान में वृक्षारोपण हेतु व्यय हुई धन राशि

श्री भैरवलाल काला बादल—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे— (क) राजस्थान में वृक्षारोपण का कार्य कितने वर्षों से हो रहा है और अब तक कितने वृक्ष तैयार हुये ?

(ख) इस कार्य हेतु कितनी धन राशि खर्च की गई ?

(ग) क्या हवाई जहाजों से भी बीज बोये गये थे ? यदि हां, तो कितने ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—(क) राजस्थान बनने के बाद १९५०–५१ से यह कार्य हो रहा है। सन् १९५० से १९५४ तक १३,१३,८०० वृक्ष लगाये जाना तथा उनमें से ४,६१,६०० जीवित रहने का रेकर्ड मिलता है लेकिन यह अंक विश्वस्त नहीं कहे जा सकते। इस संख्या में नरसरी में तैयार किये हुए पौधे सम्मिलित नहीं हैं। १९५५-५६ में २०७६ एकड़ भूमि पर बीज और पौधे लगाये गये थे। अनुमान है कि २०० वृक्ष प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग ४ लाख वृक्ष जीवित हैं।

(ख) वृक्षारोपण के कार्य पर इन वर्षों में १९५०-५१ से १९५४-५५ तक ५,२८००० रुपये व्यय हुए। १९५५–५६ के व्यय के अंक अभी तैयार नहीं हुए हैं।

(ग) जी हां। दो वर्ष, १९५३-५४ व १९५४–५५ में लगभग ४०० मन।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

प्रश्न संख्या ६७४

इर्रिगेशन वेस्ट जयपुर में गत वर्ष वर्क ऑर्डर द्वारा कराये गये ठेके के कार्य

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे (क) इर्रिगेशन वेस्ट जयपुर में गत वर्ष १९५५-५६ में कितने ठेके के कार्य वर्क ऑर्डर द्वारा कराये गये ?

(ख) किस किस व्यक्ति को कितने कितने रुपये का काम वर्क ऑर्डर द्वारा दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि इन कार्यों में से बहुत से कार्यों के वर्क ऑर्डर्स एक ही व्यक्ति को दिये गये जो कि एस. ई. ओ. महोदय की जाति से हैं ?

Page No 16

[श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री]

(घ) यदि हां, तो क्यों?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ?

(च) जो कार्य वर्क ऑर्डर पर दिये गये उनके लिये टेन्डर्स कॉल नहीं किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री खेतसिंह—(क) करीब १,१५,८०० रुपयों के।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) हां, आकस्मिक कारण से ऐसा ही हुआ है।

(घ) विभाग की जरूरतों और ठेकेदार की कार्य करने की योग्यता को देखते ऐसा करना उचित समझा गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ?

(च) छोटे छोटे कामों के टेन्डर लेना विभाग व ठेकेदारी के लिये असुविधाजनक होता है। अतः ऐसे काम के लिये वर्क ऑर्डर देना अधिक उपयोगी समझा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रामगोपाल ठेकेदार के नाम पर २६,८७२) रु० के कितने वर्क ऑर्डर बनाये गये ?

श्री खेतसिंह—इसकी मेरे पास सूची नहीं है। आप इसके लिये स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लें, मैं डिटेल में जवाब दे दूंगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—शिडूल कास्ट के लोगों को वर्क ऑर्डर पर काम क्यों नहीं दिया गया ?

श्री खेतसिंह—आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स दीजिये कि फलां शिडूल्ड कास्ट वाले ने एप्लाई किया और उसको काम नहीं मिला हो।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—एक आदमी को ही इतने रुपयों के वर्क आर्डर दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह—मैंने निवेदन किया न कि विभाग की जरूरतें तथा ठेकेदार की कार्य करने के योग्यता को देखते हुए ऐसा किया गया। इसमें अगर आपको किसी स्पेसिफिक आइटम के लिये सन्देह है तो अलग से प्रश्न कर लीजिये। उसकी जांच करवा ली जावेगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—और कोई ठेकेदार नहीं थे, ऐसे (बी) या (सी) क्लास में? उसमें अगर कोई विशेषता थी तो वह क्या विशेषता थी जो दूसरों में नहीं थी?

श्री खेतसिंह—वह काम अच्छा और जल्दी करता है, उसकी शिकायत कोई नहीं आई इसलिये दिया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनका काम अच्छा नहीं और जिस कारण से उनके नाम ब्लेक लिस्ट में लिये गये?

श्री खेतसिंह—यह अलग से सवाल करें।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, यह इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री घासीराम।

प्रश्न संख्या ६७५

ग्राम टपूकड़ा के हिन्दू स्वामियों के पाकिस्तान गये हुए मुसलमान जोताओं की भूमियें निष्क्रान्त सम्पत्ति में लेना

श्री घासीराम—क्या पुनर्वास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम टपूकड़ा के हिन्दू मालिकान के मुसलमान जोते जो पाकिस्तान चले गये हैं उनकी जमीनों को कस्टोडियन ने कब्जे में ले ली है और हिन्दू मालिकान को मुसलमान जोता जो चकोता व मालिकाना देते थे वह हिन्दू मालिकान को आजकल नहीं मिल रहा है और कस्टोडियन इसे मुनाफा खाते जमा कर रही है।

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी जमीन है और कितने मालिकान का मुनाफा इस प्रकार हर साल जमा हो रहा है?

(ग) क्या सरकार मुनाफा मालिकान को देने के लिये कार्यवाही कर रही है तथा कब तक?

Page No 18

श्री अमृतलाल यादव—(क) ग्राम हूपकड़ा के हिन्दू मालिकान का चकोता व मालकाना कस्टोडियन खाते में जमा है। उस चकोता व मालकाना को लेने के लिये सिर्फ एक पार्टी ने दरख्वास्त दी है। जिस पर मुनाफा वापसी की कार्यवाही चल रही है।

(ख) ऐसी जमीन का रकबा कुल १६६ बीघा ४ बिस्वा है। कुल ७ मालिकानों का ऐसा मुनाफा कस्टोडियन खाते में जमा हो रहा है। अब तक सिर्फ एक पार्टी ने इस वापसी मुनाफा की दरख्वास्त दी है। जिस पर वापसी की कार्यवाही चल रही है। बाकी किसी पार्टी ने आज तक वापसी मुनाफा की दरख्वास्त नहीं दी है।

श्री घासीराम—यह कार्यवाही कब से चल रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई तारीख तो मुझे याद नहीं है।

श्री घासीराम—कितने साल से चल रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो अभी नहीं बता सकता।

श्री घासीराम—यह जो मुनाफा है उनको दिये जाने का हुक्म हो जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अर्ज किया हो जावेगा, जमा हो रही सही है उनके खाते में।

प्रश्न संख्या ६७६

राजस्थान में बी० डी० ओज एवं उनके अधीन एस० डी० ओज,

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार

श्री चांदमल मेहता—क्या सामुदायिक योजना मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में बी० डी० ओ की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त बी० डी० ओ के आधीन कितने एस० डी० ओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री)—(क) इस समय विकास अधिकारियों की संख्या ४६ है।

(ख) इनमें से २० सब डिविजनल आफीसर हैं, २१ तहसीलदार व शेष ५ केवल विकास अधिकारी हैं।

श्री चांदमल मेहता—विकास अधिकारियों के लिये क्या क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है ?

श्री सम्पतराम—ये अच्छा काम करते हैं, जिसकी सिफारिश कलक्टर, कमिश्नर, और बोर्ड ओफ रेवेन्यू करते हैं। और जिन्होंने लोकल डवलपमेन्ट में अच्छा काम किया है।

श्री चांदमल मेहता—एस० डी० ओ तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब-ग्रेड के आदमियों को बी० डी० ओ बनाने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम—ऐसा ही नियम है एन० ई० एस० ब्लाक में तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों ही विकास अधिकारी हो सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या बी० डी० ओ का सेलेक्शन होता है तो इसके लिये कोई क्राइटेरिया मुकर्रर कर रक्खा है क्वालिफिकेशन्स के बारे में ?

श्री सम्पतराम—इसका तो मैंने जवाब दे दिया है।

श्री हिम्मत सिंह—क्या तहसीलदार जो बी. डी. ओ मुकर्रर होता है वह बी. डी. ओ का काम करता हुआ तहसीलदार का काम भी करता है ?

श्री सम्पतराम—पर उसके साथ एडीशनल तहसीलदार भी होते हैं जो रूटीन वर्क करते हैं, केस वर्क भी करते हैं। पर कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो तहसीलदार ही एक्सरसाइज करता है।

श्री चांदमल मेहता—जो नायब तहसीलदार बी. डी. ओ का काम करते हैं वे कौन कौन हैं ?

श्री सम्पतराम—इस वक्त नायब तहसीलदार कोई नहीं है। हां ओफिसियेटिंग तहसीलदार अवश्य हैं।

श्री चांदमल मेहता—ये जो पांच नाम आपने बताये हैं वे नायब तहसीलदार हैं ?

श्री सम्पतराम—यह गलत है। मैंने यह नहीं बताया।

प्रश्न संख्या ६७७

श्री अध्यक्ष—गुलाबचन्द कासलीवाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री तेजपाल, ६७८।

प्रश्न संख्या ६७८

बयाना मंडावर सड़क पर चलने वाली गाडियां आर. जे. डी. ४८ व ३७१ सरकार द्वारा बन्द करना

श्री तेजपाल—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बयाना मंडावर सड़क पर चलने वाली गाडियों आर. जे. डी. ४८ व आर. जे. डी. ३७१ सरकार ने तीन माह से बन्द कर रक्खी हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

श्री खेतसिंह—(क) नहीं ?

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

प्रश्न संख्या ६७६

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् सरकार द्वारा खोले गये लकड़ी चीरने के कारखाने

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद सरकार द्वारा लकड़ी चीरने के कारखाने कहां कहां खोले गये हैं ?

(ख) उक्त कारखानों में कितने मूल्य की क्या क्या मशीनरी लगाई गई है और उनमें कितना कितना स्टाफ किस किस वेतन पर काम कर रहा है ?

(ग) किस किस कारखाने से कितनी कितनी सरकार की आमदनी हुई है ?

श्री भोगी लाल पांड्या—(क) राजस्थान के निर्माण के पश्चात लकड़ी चीरने का कारखाना लटेरी रेन्ज (डिविजन झालावाड़) में कायम किया गया है ।

(ख) उक्त कारखाने में निम्न मशीनरी लाई गई है ।

(१) डूंगरपुर में आरा मशीन बेकार रखी हुई थी । उसको वहां से मंगाई जाकर जरूरी जरूरी मरम्मत कराई जाकर लटेरी में लगाई गई है ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(२) एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर इर्रिगेशन बूंदी से एक नया फिटर विल्डिंग एन्जिन खरीदा गया है और उसकी कीमत सात हजार दो सौ पैंतीस आठ आना बुक ट्रान्सफर द्वारा अदा किया गया है।

और निम्न स्टाफ वहां काम कर रहा है।

	वेतन	महंगाई	योग
(१) मैकेनिक	१००	३०	१३०
(२) सा मेन	१००	३०	१३०
(३) चौकीदार	२५	१५	४०
(४) ड्राइवर	५०	२०	७०
(५) रेन्जर	११०	३०	१४०

इसके अलावा जो मजदूर लकडी ढोने, चिरी हुई लकडी का स्टाक का काम करते थे जिनको डेली वेजेज द्वारा चुकारा किया गया है जिन की संख्या औसतन चालीस पचास रोजाना रही है।

(ग) अब तक लकड़ी चीरने से दोसौ नब्वासी रूपये साढ़े छः आने की आमदनी हुई है। तेरह हजार छः सौ पिचासी रुपये अमानत है और ३५,००० रुपये की आमदनी और होने की सम्भावना है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह कारखाना लोस में रन कर रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया कि मुनाफा हुआ ३५ हजार रुपया मुनाफा होने की संभावना है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो मुनाफा बताया गया है वह सारी आमदनी है और उसमें से खर्चा बाद नहीं दिया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मुनाफे के मायने ही यह होते हैं कि आमदनी में से खर्चा निकाल कर जो बचता है उसे ही मुनाफा कहते हैं।

श्री चांदमल मेहता—कब तक का प्रोफिट एन्ड लास एकाउन्ट तैयार हो चुका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया कि अभी तक २३६७० ७ आ० ६ पा. की आमदनी है और ३५ हजार साल के अन्त तक होने की गुंजायश है। एकाउन्ट कब आडिट हुआ, क्या हुआ यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं। उसकी अगर आप अलग से जानकारी चाहेंगे तो बता सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—प्रोफिट एन्ड लास एकाउन्ट तैयार होकर उसकी जांच हो चुकी है या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

श्री चन्दनमल बैद—यह जो प्रोफिट के फीगर्स बताये गये हैं यह प्रोफिट है या नेट प्रोफिट?

श्री भोगीलाल पंड्या—ग्रॉस।

प्रश्न संख्या ६८०

श्री अध्यक्ष— श्री प्रभुदयाल

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ६८१

श्री जयचन्द्र मोहिल

(अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरवलाल।

प्रश्न संख्या ६८२

सन् ५३ से ५५ तक आरबंद, अलावंद व कोकंद घनवास के जंगलों के ठेके

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) सन् ५३ से सन् ५५ तक आरबंद, अलावंद और कोकन्दा घनवास के जंगलों के ठेके किन किन ठेकेदारों को दिये गये?

(ब) क्या यह सरकार क जानकारी में है कि इन जंगलों में ठेकेदारों ने अपने कूप के अतिरिक्त सरकारी जंगलों से भी १८०० पेड़ चोरी से काट लिये थे?

[श्री भैरवलाल कालाबादल]

(ग) यदि हां, तो किस ठेकेदार ने कितने पेड़ अपनी कूप एरिया को छोड़ कर किस किस जंगल से काटे तथा सरकार द्वारा इन ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री) वन मंत्री की अनुपस्थिति में— (क) बारबन्ध अलाबंद जंगल किस स्थान के हैं मालूम नहीं हो सका। ठीक नाम व संबंधित वन मंडल का नाम मालूम होने पर ही उत्तर दिया जा सकेगा। खोखन्दा घनवास के जंगलों के ठेके निम्नलिखित ठेकेदारों के दिये गये थे।

१९५३	केप्टिन बटलकर एन्ड कम्पनी, भानपुर, मध्य भारत।
१९५४	श्री मोहनलाल भंवरलाल महाजन, झालावाड़।
१९५५	श्री गौरीशंकर महाजन, झालावाड़।

(ख) खोखन्दा घनवास के जंगलों में ऐसे अवैधानिक कटान की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या यह जानकारी की जाने की कोशिश की जायगी।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बात है कि अगर आप कृपा करके नाम सही बता दें तो उसका सही उत्तर दिया जायगा। जंगलों के नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—किस जिले में है कहां, वह सब बतलाना चाहिए अपने प्रश्न में।

श्री भोगीलाल पंड्या—जानकारी जो मालूम हुई है उसका जवाब दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—Now repitition.

प्रश्न संख्या ६५३

जयपुर के केन्द्रीय कारागृह में श्री बाबूलाल का निश्चित अवधि से अधिक कारागृह में रहना

श्री तनसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या जयपुर केन्द्रीय कारागृह में श्री बाबूलाल वल्द श्री माधोलाल नामक व्यक्ति लगभग १० वर्ष की सजा भुगत चुका है ?

(ख) क्या यह सही है कि उसके हिस्ट्री टिकट पर उसकी रिहाई की तारीख १. ७. ५२ लिखी हुई है।

[श्री तनसिंह]

(ग) उसकी रिहाई न होने के क्या कारण है और जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसे बिना अपराध सजा भुगतनी पड़ रही हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री) गृह मंत्री की अनुपस्थिति में--(क) जी नहीं ।

श्री बाबूलाल अभी तक ८ वर्ष १० माह तथा १२ दिन की सजा भुगत चुका है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) बाबूलाल की रिहाई अभी वाजिब नहीं होती है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री तनसिंह--क्या यह सही है कि उसकी हिस्ट्री टिकिट पर १० वर्ष का टाइम लिखा हुआ है ।

श्री भोगीलाल पंड्या--बात संक्षेप में इस प्रकार है कि इसको आजन्म कारावास हुआ था अर्थात् २० साल के लिए १. ५. ४७ को । जब वह राजस्थान में भेजा गया तो उस समय ३०. १०. ५२ को वह सेन्ट्रल जेल में भेजा गया और उससे पहले यह विन्ध्य प्रदेश की दतिया जेल में । हिस्ट्री टिकिट से मालूम होता है कि २१. ७. ५२ को उसकी जबकि वह यहां ३०-१२-५२ को भेजा गय रिलीज की तारीख बताई गई थी । जब यह मालूम हुआ कि यह गलत है तो सुपरिन्टेन्डेन्ट सेन्ट्रल जेल ने दतिया के सुप्रिन्टेन्डन्ट जेल से पूछा और उन्होंने बताया कि जो यह लिखा गया है वह गलत है । ठीक नहीं है । इसमें जालसाजी से या न मालूम किस तरह से ऐसा लिख लिया है ।

श्री तनसिंह—क्या यह माना जाय कि हिस्ट्री टिकिट बन्दी के हाथ में था या अधिकारी के हाथ में था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गई है ।

श्री तनसिंह—इस गड़बड़ी की जिम्मेवारी किस की है ? जेल अधिकारियों की या बन्दी की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार जांच कर रही है कि कहां पर हुआ और कैसे हुआ ? दतिया जेल से सूचना मांगी जा रही है ।

श्री तनसिंह—क्या दतिया जेल से यह मांगा जा रहा है कि गड़बड़ी किस ने की और वह पत्र जो सरकार का है उसकी नकल भेजी जाय ।

श्री भोगीलाल पंड्या—उनको लिखा गया है कि जिस तारीख को यहां पहुँचे थे उससे पहले ही उनकी छूटने की तारीख थी तो क्या बात है। तो यह पता चला कि ऐसी तारीख नहीं दी गई थी। न मालूम यह कैसे हुआ। इसकी जांच कर रहे हैं और जिन लोगों की गलती होगी उनको सजा देंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह, नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६५४

भूस्वामी नजरबन्द बंदियो को जिला जेल टोंक में वकील से बात न करने देने सम्बन्धी

श्री तनसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि भूस्वामी नजरबंद कैदियों को जो जिला जेल टोंक में रखे गये थे उनके वकीलों से एकान्त में नहीं मिलने दिया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि इस पर एक नजरबन्द के वकील श्री मोहनसिंह ने लिखित एतराज उठाया था कि उनके और उक्त बन्दी की मुलाकात के समय जेल अधिकारी को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए ?

(ग) क्या यह सही है कि इस पर जेल अधिकारी ने उस दरख्वास्त पर लिखित रूपसे यह आज्ञा दी कि उसे इस प्रकार की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों की है कि वह उक्त मुलाकात के समय, हर वक्त उपस्थित रहकर उनकी बातें सुनें ?

(घ) क्या यह सही है कि यह हुक्म उक्त अधिकारी ने उस प्रार्थना पत्र पर दिया जिस पर जिलाधीश ने पहले ही उक्त वकील को मिलने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस वैधानिक अधिकार के अपहरण की शिकायत उक्त नजर बन्द ने आई० जी० प्रिजन्स को की और वकील के खर्चे व फीस के हर जाने के ५०० रु० की मांग की ?

(च) क्या यह सही है कि बन्दी के उक्त, प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया ?

(छ) क्या सरकार बतायेगी कि जेल अधिकारी को ऐसे इन्स्ट्रक्शन किसने दिये थे और क्यों दिये तथा सरकार उन संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री) (गृहमन्त्री की अनुपस्थिति में)—(क) एकान्त ही में मुलाकात करवाई गई।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) श्री मोहरसिंह ने लिखित में कोई ऐसा ऐतराज नहीं किया।

(ग) मुलाकात की दरख्वास्त पर डिप्टी जेलर टोंक ने ऐसा कोई आदेश वरिष्ट अधिकारियों के हवाले से नहीं दिया कि मुलाकात सुनी जावे। मुलाकात दिखाई में (विदइन साइट) अवश्य थी लेकिन सुनाई में नहीं।

(घ) चूंकि ऐसा कोई आदेश डिप्टी जेलर ने नहीं दिया कि उसको मुलाकात सुनने के आदेश हैं, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हां।

(च) दरख्वास्त जेल कार्यवाही है क्योंकि जवाब जब ही मुमकिन है जब कि पूरी पूछताछ हो जावे कि आया किसी वैधानिक अधिकार का अपहरण हुआ है या नहीं।

जहां तक मालूम हुआ है वैधानिक अधिकार का कोई अपहरण नहीं हुआ मुलाकात १ घंटे से अधिक चलती रही। यदि मुलाकात एकान्त में नहीं होती तो इतने लम्बे समय का लगना सम्भव नहीं था।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तनसिंह—इन मोहरसिंहजी वकील ने किस से मुलाकात की थी?

श्री भोगीलाल पंड्या—श्री मोहरसिंहजी एडवोकेट चूरू से वहां पर आये थे और उन्होंने आपके साथ कुछ बात चीत करनी चाही थी, श्री तनसिंहजी के साथ।

श्री तनसिंह—मेरे साथ बात चीत हुई तो इसका मतलब यह है कि ५०० रु० हरजाना जो मांगा है उसकी जांच हो चुकी और यह मालूम हो चुका है कि यह बात की गई है वह गलत है। वकील से जो बातचीत हुई थी उन्हें वह मालूम है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जांच का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—जांच का प्रश्न ही नहीं है जब कि फेक्चुअल बेसिस पर नहीं है।

This is our courtesy that we have allowed it. What is the public importance in it?

Page No 27

श्री तनसिंह—पब्लिक इम्पोंटेन्स ऐसी है कि इन्टर्नमेंट ला को देख लें।

श्री **अध्यक्ष**—आर्डर प्लीज़ ! श्री रामदयाल

प्रश्न संख्या ६५६

बनास योजना के कार्य का प्रारम्भ व तहसील जहाजपुर का इससे वंचित रहनेवाला भाग

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) बनास योजना का कार्य कब से प्रारम्भ हो जावेगा ?

(२) क्या सरकार इस योजना की साइट परिवर्तन कर रही है ? यदि हां, तो इस से तहसील जहाजपुर का कितना क्षेत्रफल पानी से वंचित रहेगा ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री)—(१) यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में योजना विभाग, भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त होने पर शुरू किया जावेगा।

(२) अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिये दूसरी साइट में परिवर्तन किया गया है विस्तृत जांच जारी है और उसके पूरा होने के पश्चात ही यह बताया जा सकता है कि कितनी भूमि तहसील जहाजपुर की सिंचाई से वंचित रहेगी।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह सर्वे पूरा कब तक हो जायगा और कितने दिन से चल रहा है।

श्री खेतसिंह—यह करीब १॥ साल से चल रहा है लेकिन पूरा होने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा।

श्री **अध्यक्ष**— श्री कस्तूरचन्द।

श्री **कस्तूरचंद**—मैंने पूछ लिया है, माननीय अध्यक्ष।

श्री **अध्यक्ष**—All right.

प्रश्न संख्या ६५६।

टोंक व जयपुर केन्द्रीय कारागृह में भूस्वामी नजरबन्दियों को भूख हड़ताल के पश्चात् मिलने की आज्ञा

श्री **तनसिंह**—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No 28

[श्री तनसिंह]

(क) क्या राजस्थान कंडीशन्स ऑफ डिटेन्शन आर्डर १९५२ के अनुसार किसी भी जेल में नजरबंद कैदियों को परस्पर मिलने की कानूनी सुविधा है ?

(ख) क्या यह सही है कि जिला जेल टोंक व जयपुर के केन्द्रीय कारागृह में भूस्वामी नजरबंदियों को कुछ समय के लिये अलग अलग रखकर आपस में नहीं मिलने दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि इस पर लिखित प्रार्थना पत्रों पर भी गौर न होने पर नजरबंदियों ने भूख हड़तालें कीं ?

(घ) क्या यह सही है उनके भूख हड़ताल के दो-तीन दिन बाद आपस में मिलने की सुविधाएं दी गईं ?

(ङ) क्या सरकार की ओर से ऐसे आदेश जिला जेल टोंक व केन्द्रीय जेल जयपुर के अधिकारियों को दिये गये थे ? यदि हां, तो ऐसे आदेशों के क्या कारण थे ?

(च) यदि इस प्रकार के आदेश सरकार द्वारा नहीं दिये गये तो इस प्रकार नजरबंदियों को न्यायपूर्ण अधिकारों से वंचित करने के लिये कौन २ अधिकारी जिम्मेवार हैं ?

(छ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) [क] हां।

[ख] हां।

(ग) जब श्री तनसिंह टोंक जेल में आये तो उनको व श्री सवाई सिंह को अलहदा २ नहीं रखा गया बल्कि एक साथ ही रखा गया था लेकिन बाद में राजस्थान कन्डीशन्स ऑफ डिटेन्शन ऑर्डर, १९५२ के नियम ४ (२) के अनुसार अनुशासनिक कारण से डिप्टी जेलर टोंक ने उन्हें अलग २ रखना मुनासिब समझा और उन्हें अलहदा कर दिया और कुछ अर्से के बाद वापिस शामिल कर दिया गया और अब भी शामिल हैं।

(घ) जब कि डिप्टी जेलर को आश्वासन मिल गया कि अनुशासनबद्ध रहेंगे तो दूसरे रोज ही उन्हें पुनः शामिल कर दिया, न कि २-३ दिन बाद तक शामिल ही रह रहे हैं।

(ङ) राजस्थान कन्डीशन्स ऑफ डिटेन्शन्स आर्डर, १९५२ के नियम ४ (२) के होते हुए ऐसे आदेश की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता, अब वह अलग छुटे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट, श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या ६६०

डाकुओं से मुकाबला करने पर मारे गये पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सहायता

श्री तनसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) इस वर्ष डाकुओं से मुकाबला होने पर राजस्थान की पुलिस के कितने सिपाही मारे गये ?

(ख) क्या सरकार उन मृतक सिपाहियों के परिवार के भरण-पोषण के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योगमंत्री)—(गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) (क) सन् १९५६ में डाकुओं से मुकाबला करते समय राजस्थान पुलिस का एक हैड कॉन्स्टेबल मारा गया।

(ख) २५.२.५६ को सरकार द्वारा इसकी विधवा स्त्री को बतौर ग्रेचुइटी के ६० ३८४) की सेन्कशन दी जा चुकी है। मृतक हैडकॉन्स्टेबिल का पेन्शन केस अकाउन्टेंट जनरल के कार्यालय में भेजा जा चुका है।

प्रश्न संख्या ६६१

श्री अध्यक्ष— श्री रामलाल बंसीवाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

प्रश्न संख्या ६६५

भूस्वामी आन्दोलन के सिलसिले में राजस्थान में मकानों की तलाशी

श्री तनसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री तनसिंह]

(क) भूस्वामी आन्दोलन के सिलसिले में राजस्थान में कुल कितने मकानों की तलाशी ली गई ?

(ख) वे मकान किन किन के थे ?

(ग) तलाशियों में किस किस स्थान पर किन २ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(गृह मंत्री की ओर से) (क) ५ मकानों की।

(ख) ये मकान निम्न लिखित व्यक्तियों के थे।

१. श्री मेघसिंह बाड़मेर।

२. श्री अमरसिंह नागोर।

३. श्री मदनसिंह दांता, जयपुर।

४. श्री मूलसिंह खाटू, जयपुर।

५. श्री बहादुरसिंह कलवाड़, जयपुर।

(ग) श्री सवाईसिंह को दांता हाउस जयपुर में गिरफ्तार किया गया।

श्री अध्यक्ष— श्री तनसिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ६६६

भू-स्वामी आन्दोलन के सिलसिले में भू-स्वामियों द्वारा की गई भूख हड़तालें

श्री तनसिंह—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) भू स्वामी आन्दोलन के सिलसिले में किन २ भूस्वामी बन्दियों द्वारा किस २ जेल में भूख हड़ताल की गई ?

(ख) क्या नजरबन्द बन्दियो ने भी भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(गृह मंत्री की ओर से)

(क) १.	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	५७		१ दिन
२.	केन्द्रीय कारागृह जोधपुर	३८६	१३६	१ दिन
			३	५ दिन
			४५	१ दिन
			२००	२ दिन
				१ दिनांक ११-२-५१ से जारी है।

[redacted]

[श्री भोगीलाल पंड्या]

		१	१४–२–५६ से जारी है।
३. डिस्ट्रिक्ट जैल बीकानेर	१०८	६७	३ दिन
		११	१ दिन
४. डिस्ट्रिक्ट जैल अलवर	५	१	८ दिन
		१	५ दिन
		२	४ दिन
		१	१ दिन
५. डिस्ट्रिक्ट जेल उदयपुर	१	१	६ दिन
६. „ „ टोंक	२	२	१ दिन
७. „ „ भीलवाड़ा	२१	२१	१ दिन
८. सब जेल बाली	२५	२५	२ दिन
९. सब जेल जालोर	३७	३४	२ दिन
		३	३ दिन
१०. सब जेल किशनगढ़	५५	५५	१ दिन
११. सब जेल नागौर	१२२	१२२	३ दिन
१२. सब जेल परबतसर	३०	१४	२ दिन
		१६	३ दिन
१३. सब जेल सीकर	१३२	५५	२ दिन
		७४	१ दिन
		३	३ दिन
१४. सब जेल सिरोही	८७	५१	१ दिन
		३६	२ दिन

(ख) दो नजरबन्दी बन्दियों ने एक दिन के लिए भूख हड़ताल की थी कि उनको उनकी मर्जी के अखबार दिये जायं। उनकी मांग मान ली गई। एक नजरबन्दी ने जयपुर जेल में अपने केस में एडवाइज़री बोर्ड के नतीजे की इतला न मिलने के कारण दो टाइम खाना नहीं खाया और पांच नजरबंदियों ने उनकी जयपुर जेल में सहानुभुति में दो टाइम खाना नहीं खाया। एडवाइज़री बोर्ड के नतीजे की इतला कि उनको नजरबन्द रखने के लिये काफी कारण आ चुका है।

श्री तनसिंह—क्या यह सही है कि जयपुर में नजरबंदियों ने जयपुर में ६ दिन तक भूख हड़ताल की थी?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो थी मैंने आपको इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दे दी है, तारीख, दिन वगैरह सब बता दिये हैं।

श्री तनसिंह—तो क्या यह माना जाय कि और कोई भूख हड़ताल नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष—That is implied

श्री भोगीलाल पंड्या—उत्तर के माने यही हैं।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह। प्रश्न संख्या ६७२ पूछना चाहते हैं।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल (प्रश्न संख्या ६७७)

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री जयचन्द्र मोहिल्ल (प्रश्न संख्या ६८१)

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है—

(१) रावत श्री शम्भूसिंह (डि० नं० १३६) दिनांक—२४ अप्रेल से २६ अप्रेल, ५६ तक।

(२) श्री श्रीगोपाल भार्गव·······

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष—नीचे लिखे महानुभावों को हाउस कमेटी की सदस्यता के लिए नियुक्त किया जाता है—

१. डिप्टी स्पीकर, श्री लालसिंह शक्तावत	चैयरमैन
२. श्री वेदपाल त्यागी	सदस्य
३. श्री रावत शम्भूसिंह	सदस्य
४. श्री सोहनलाल भटनागर	सदस्य
५. श्री अवनिकुमार मुकर्जी	सदस्य

(विराम)

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

क्लॉज ४९

No amendment on clause 49.

श्री सोहनलाल भटनागर—इसमें मेरा एक अमेन्डमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—It is not with me.

(विराम)

So there is no amendment on clause 49.

श्री सोहनलाल भटनागर—वह तो बिलकुल फोर्मल है।

श्री अध्यक्ष—वह मेरे सामने नहीं है। आपने बाद में पेश किया होगा। बाद में फिर कर दीजिये सर्कुलेट हो जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—कल ही कर दिया था।

श्री अध्यक्ष—कल किया तो साइक्लो स्टाइल होकर जाने में टाइम लगेगा, क्या अमेन्डमेन्ट है बतायें।

श्री सोहनलाल भटनागर--बिलकुल मामूली सा है। पार्ट 'इ' क्लाज़ (१) में एक्जीक्युटिव ओफिसर की जगह पर म्युनिसिपल कमीश्नर, और सेक्रेटरी सबस्टिट्यूट करने के लिए है। कासलीवाल जी जो अमेन्डमेन्ट पहले पेश किया.......

श्री अध्यक्ष--आप पढ़िये क्लॉज़ ४६ को भी।

श्री सोहनलाल भटनागर--"(e) To appoint, punish and dismiss in case of a city all servants of Board except the Executive officer, Health officer and Engineer, and in case of other municipalities all ministerial staff of the board.".

इसमें "एक्ज़ीक्युटिव" ओफिसर की बजाय म्युनिसिपल कमीश्नर और सेक्रेटरी जोड़े जांय।

श्री अध्यक्ष--In part (e) of sub-clause (1), substitute "Municipal commissioner, Secretary "for" Executive officer."

It is consequential.

श्री मुक्तिलाल मोदी--यह तो अंग्रेजी ही अंग्रेजी में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--हिन्दी का अनुवाद है।

श्री अध्यक्ष--बाहर कोई काम नहीं है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी--अभी तो नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर--इसके साथ दूसरा है वह भी पढ़ दूं। "omit sub clause (2)".

श्री अध्यक्ष--हां साहब, मंजूर है।

श्री सोहनलाल भटनागर--क्लॉज़ ३१६ में एक्ज़ीक्युटिव ओफिसर को स्टेट्युटिरी पॉवर्स दिये गये थे लेकिन इसके बारे में सिलेक्ट कमेटी ने कहा : "The committee is wholly opposed to the vesting of any power in the executive officer under a statutory authority because the exercise by him of such powers, whithout let or hindernce may lead to unhappy consequences and may amount to underminig the authority of the Board. The clause has, therefore, been omitted."

Page No 35

[श्री सोहनलाल भटनागर]

जब १३६ में स्टेटयुटरी पॉवर्स एक्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के लिए नहीं रखी गई उस सूरत में सब क्लॉज (२) रिडन्डेन्ट है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—यह इनको मंजूर है।

प्रश्न यह है कि खण्ड ४९ पर जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४९, संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ४९, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ५०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ५० स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५१

(विराम)

श्री भैरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५१ में मेरा संशोधन इस प्रकार है—
"Insert the words 'of the board' between the words 'Chairman' and 'from time to time' occurring in sub-clause (1).

सब क्लॉज (१) में "Functions of the vice Chairman" इस बात का उल्लेख किया गया है— "It shall be the duty of the Vice-Chairman of the Board to exe-

[श्री भैंरूंसिंह]

rcise such of the pow ers and perform such of the duties of the Chairman as the Chairman from time to time delegates to him.'

इसमें कहा गया है "चेयरमेन" के बजाय जो इन्सर्शन चाहता हूँ वह है "Chairman of the Board" यह इसलिये चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि "चेयरमेन" को जबतक हम स्पेसिफाइ नहीं करेंगे उस समय तब जो हम इस बोर्ड के मातहत कमेटीज़ बनायेंगे उनके भी चेयरमेन होंगे और इन कमेटीज के चेयरमैन भी यदि वाइस चेयरमेन को कोई आदेश देंगे वह उसको मानना होगा, जब तक कि यह स्पेसिफाइ नहीं होता है तब व उनका कहना भी वाइस चेयरमेन को मानना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्लॉज की मन्शा जैसी है कि चेयरमेन श्रोफ दि बोर्ड के जो आदेश वाइस चेयरमेन को दे या उनको जो ड्यूटी संभलावे उस तरस से वह काम करे। यदि "चेयरमेन" शब्द अकेला ही रहा तो मंशा पूरी नहीं होगी, लेकिन मैंने जो संशोधन पेश किया है उससे स्पष्ट हो जायगा। उससे यह हो जायगा :

"It shall be the duty of the Vice-Chairman of the Board to exercise such of the powers and perform such of the duties of the Chairman as the Chairman of the Board from time to time delegates to him."

मैं निवेदन करूंगा कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय ताकि डिफिकल्टी दूर हो जाय।

श्री अध्यक्ष—बड़े फोर्मल नेचर का संशोधन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इनकी क्या मन्शा है, मैं समझा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—"Chairman of the Board" कर दिया जाय। क्लॉज़ इस प्रकार है—

"It shall be the duty of the Vice-Chairman of the Board to exercise such of the powers andperform such of the dut ies of the Chairman as the Chairman from time to time delegates to him."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—"Chairman or the Board" है या "Chairmae of the Board" है ?

श्री अध्यक्ष—इसमें "ओर दि बोर्ड" है।

श्री भैंरू सिंह—लिखने में गलती रह गई होगी। "ऑफ दि बोर्ड" से मेरा मतलब है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—"ऑफ दि बोर्ड" है तो मुझे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—"This should be read as "of the board', or " off the board"? O...F...and not O...F...F.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड ५१ में श्री भैंरू सिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५१, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ५१, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ ५२

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Shri Chittarlal Sharma.

(अनुपस्थित)

Shri Bhairon Singh.

श्री भैंरू सिंह—अध्यक्ष महोदय, खंड ५२ में मेरे ६ संशोधन हैं। यदि आप की आज्ञा हो तो एक एक सब क्लॉज़ के ऊपर अपना संशोधन प्रस्तुत करूं। यदि आप कहें तो एक साथ प्रस्तुत करूं। अलग अलग मसला है इसलिये अच्छा यही होगा कि अलग अलग मूव करूं।

श्री अध्यक्ष—आप ही चाहें जैसा करें।

श्री भैंरू सिंह—सपोर्ट करने वाले भी हो सकते हैं।

Page No 38

श्री अध्यक्ष—तो एक साथ पेश कर दें।

श्री भैंरूसिंह—इसमें दिक्कत होगी क्योंकि बहुत बड़े हैं और मेटीरियल पोइन्ट्स हैं।

श्री अध्यक्ष—५२ (२) में हैं आपके संशोधन ?

श्री भैंरूसिंह—पहले में ५२ (२ ए) और (२ बी) जो एक से हैं उनको मूव करता हूं।

५२ (२ ए) में इस प्रकार है :

"Substitute the word "seven" for "fifteen".

५२ (२ बी), इस प्रकार है :

"Substitute the word "fifteen" for "thirty".

अध्यक्ष महोदय, इस की सब क्लॉज़ (२ ए) और (२ बी) में हमने यह व्यवस्था की है कि यदि म्युनिसिपेलिटी की आम मीटिंग जिस तरह होती है उसी तरह किसी भी समय स्पेशल मीटिंग करना आवश्यक हो तो ऐसी स्पेशल मीटिंग किस तरह बुलाई जा सकती है। उसे बुलाने के लिये जो हमने व्यवस्था की है उसके अनुसार ऐसी मीटिंग चेयरमेन द्वारा बुलाई जा सकती है या चेयरमेन के पास उस म्युनिसिपल बोर्ड के जितने सदस्य हैं उनके एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखी हुई कोई दरख्वास्त जायगी तो वह १५ दिन के अन्दर अन्दर, दरख्वास्त पेश होने के १५ दिन के अन्दर अन्दर, मीटिंग बुलाने की व्यवस्था करेंगे।

सब क्लॉज़ (२ बी.) में लिखा है :

"if the Chairman fails to call a special meeting"...

यदि चेयरमेन ऐसी मीटिंग बुलाने में असफल हो या वह बुलाना नहीं चाहे तो फिर वाइस चेयरमेन या सारे सदस्यों के एक तिहाई सदस्य, अगले १५ दिनों के अन्दर अन्दर मीटिंग बुला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस दिन दरख्वास्त पेश की गई कि स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई जाय उस पर यदि चेयरमेन १५ दिन के अन्दर मीटिंग नहीं बुलाता है तो वाइस चेयरमेन और सदस्यों को यह अधिकार है कि अगले १५ दिनों के अन्दर अन्दर वे मीटिंग बुलालें। मेरे संशोधन की मंशा यह है कि जब किसी समस्या को लेकर स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाने की आवश्यकता है तो चेयरमेन को दरख्वास्त दें लेकिन चेयरमेन किसी मजबूरी के कारण या और किसी कारण से नहीं बुलाना चाहता है, टालमटोल करने की चेष्टा करता है, ऐसी सूरत में जिस काम के लिये स्पेशल मीटिंग बुलाना आवश्यक समझते हैं उसकी आवश्यकता में कमी आयेगी। किसी समय स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाने का कारण यह होता है कि नगरपालिका के समक्ष कोई विशेष परिस्थिति आई हैं उसका अवलोकन करने के लिये या नगरपालिका में कोई विशेष काम करने के

[श्री भैंरू सिंह]

लिये स्पेशल मीटिंग बुलाना आवश्यक है। ऐसी सूरत में पहले चेयरमेन को लिखकर देंगे वह यदि नहीं बुलावे तो वाइस चेयरमेन बुलवाले। वह भी यदि नहीं बुलाये तो सदस्यों को अधिकार है कि १५ दिन की अवधि में मीटिंग बुलावें। मेरे संशोधन से यह लाजमी होगा कि चेयरमेन के पास स्पेशल मीटिंग बुलाने के लिये कोई रिक्वेस्ट आवे तो वह ७ दिन के अन्दर मीटिंग बुलाले। यदि वह मीटिंग नहीं बुलावे तो वाइस चेयरमेन और दूसरे सदस्य आगामी ७ दिन के अन्दर मीटिंग बुलालें। मैं समझता हूँ वह संशोधन वाजिब है। आगे हमने यह व्यवस्था की है कि जनरल मीटिंग बुलाने के लिये ४ दिन का नोटिस पर्याप्त है, तो जब जनरल मीटिंग ४ दिन के अन्दर बुलाई जा सकती है तो स्पेशल काम को डिसकस करने के लिये मीटिंग उससे भी जल्दी बुलानी चाहिये। यदि नहीं बुलाते हैं तो स्पेशिलिटी का कोई ख्याल नहीं किया गया और यदि धांधलेबाजी में १ महीना निकालना चाहते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज्यादा १५ दिन होना चाहिये और यह उसी सूरत में हो सकता है जब कि मेरा संशोधन स्वीकार हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, यह तो इमरजेन्सी प्रोविजन है। ऑर्डिनेरिली किसी भी चेयरमेन को समय पर मीटिंग बुलानी चाहिये, यह उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है। अब तक का जो एक्सपीरियेन्स है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि मेम्बर्स के कहने पर भी मीटिंग नहीं बुलाई गई हो, ऐसी बात नहीं है। बोर्ड के चेयरमेन और मेम्बर्स के आपस में झगड़ा हो जाय तो उस सूरत में मीटिंग बुलाने के लिये स्पेशल प्रोविजन किया गया है, वह भी विदिन् फिफ्टीन डेज़। विदिन् का मतलब यह नहीं कि पूरे १५ दिन या ३० निकाल कर ही मिटिंग बुलावें। यदि आप ७ दिन कर देंगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं आयगी और यदि १५ दिन रहते हैं तो भी दिक्कत नहीं आयगी। विदिन् फिफ्टीन डेज़ में बुलावें ऐसा लिखा है। विदिन् फिफ्टीन डेज़ का मतलब यह है कि १० दिन में भी बुला सकते हैं और पहले भी बुला सकते है।

तो इमरजेन्सी प्रोविजन है, कोई उसूल की बात नही है। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं। मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई। He can call within five days or seven days or ten days.

श्री भैंरू सिंह—सुजानगढ़ नगर पालिका की कई शिकायतें आपके सामने आई हैं।

श्री अध्यक्ष—But then extension of time should be given. Instead of 15 days it should be 30 days. What is the difference?

श्री भैंरू सिंह—साहब बुलाते नहीं हैं।

Page No 40

श्री अध्यक्ष—ज्यादा समय देने में कोई दोष नहीं है। समय कम हो तो उसके लिए आपत्ति हो सकती है कि १५ दिन का समय ही रखा है, इसके बजाय १ महीना रखा जाना चाहिये। १५ दिन की बजाय १ महीना है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री भैंरूं सिंह—यदि चेयरमेन स्पेशल मीटिंग बुलाना चाहे तो क्लॉज ३ में जो प्रोविजन है उसमें लिखा है:—

"Four clear days notice of an ordinary general meeting and two clear day's notice or, in case of great urgency, notice of such shorter period as is reasonable of a special generel meeting."

तो जहां तक चेयरमेन स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाना चाहे वहां व्यवस्था कर दी है पर चेयरमेन की इच्छा के विपरीत जनरल मीटिंग बुलाना चाहें तो चेयरमेन उसे टालने की कोशिश करेगा। इस बारे में मैं सुजानगढ़ नगरपालिका का उदाहरण रखना चाहता हूं। सुजानगढ़ नगरपालिका में केवल इस बात के लिए एक सड़क को लेकर निर्णय हो गया था उसके ऊपर विचार किया जाय, टेन्डर म्युनिसिपेलिटी ने गलत दे दिये. उनका फैसला कराया जाय, इसके लिए ३ महीनों तक वहां की म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों ने बैठक बुलाने की भरसक कोशिश की पर बैठक नहीं हुई। इस विषय में माननीय मंत्री महोदय के पास शिकायतें आई हैं, पर किसी को नहीं निकाला गया।

चेयरमेन के खिलाफ, उसकी इच्छा के खिलाफ मीटिंग बुलाई जाती है तो १ महीने का समय क्यों रखा है, जहां विरोधाभास की भावना होती है वहां इससे जानबूझ कर समय निकालने की चेष्टा की जायगी।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन रखा है वह बड़ा उपयोगी और उचित है, म्युनिसिपेलिटीज के हित में है।

श्री अध्यक्ष—I do not think there is any force in the argument. Should I put it vote ?

(विराम)

श्री भैंरूं सिंह—You want to press it ?

श्री भैंरूं सिं—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ के उप खंड (१) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड १ स्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि (२ ए) और (२ बी) में श्री भैंरू सिंह जी ने जो संशोधन रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उपखंड (२), (२ ए.) और (२ बी.) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

उप खंड (२), (२ ए.), (२ बी.) स्वीकार किये गये।

(विराम)

उप खंड (३)।

श्री भैंरू सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, सब क्लॉज ३ में मेरा संशोधन है।

"Substitute the words 'as prescribed by rules' for the words 'as is reasonable of a special general meeting, occurrin' in 3rd line."

इस उपधारा में कितने समय में मीटिंग बुलाई जा सकती है, इस बात की व्यवस्था की गई है:—

"four clear days of an ordinary general meeting."

ओर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए ४ दिन का और स्पेशल जनरल मीटिंग के लिये २ दिन का:

"Two clear days notice or, in cases of great urgency, notice of a shorter period as is reasonable of a special general meeting, specifying the time and place at which such meeting is to be held......"

तो स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाने के लिए यदि आवश्यकता हो तो दो दिन के नोटिस से बुलाई जा सकती है और यदि फिर भी कोई इम्पोर्टेन्ट काम आ जाय तो चेयरमेन जितना समय उचित समझेगा उसमें बुलायेगा। मैंने संशोधन किया है "as is reasonable for a special generel meeting" इस स्थान के ऊपर "as prescribed by rules" within the period prescrided by rules" इससे मतलब यह हुआ कि "as is reasonable" यह ऐसी टर्म्स हैं जिनका यदि चेयरमेन दुरुपयोग करना चाहे तो दुरुपयोग कर सकता है।

यह बार बार कहा जाता है कि हर चीज प्रिजम्प्शन पर नहीं चलती यह प्रिजम्प्शन करके चलें कि चेयरमेन उनका दुरुपयोग ही करेगा, यह ठीक नहीं, हम प्रिजम्पशन नहीं करते, पर अब तक का

[श्री भैंरू सिंह]

नगरपालिकाओं का कार्य देखा है, उससे हमें यह अनुभव हुआ है। इसी तरह की हालत रतनगढ़ नगरपालिका में हुई वहां ओक्ट्रोय ड्यूटी इम्पोज़ की थी, उसका वहां की जनता ने विरोध किया, इस पर नगरपालिका के सदस्यों ने भी इसका विरोध किया और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि नगरपालिका की जनरल मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाई जाय। उनकी आवाज में फोर्स था, जनता उनके पीछे थी और चेयरमेन ने देखा कि मुझे तो टैक्स इम्पोज़ करना है तो उन्होंने वहां की म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों को मुगालता देने की दृष्टि से स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई और दो घंटे का नोटिस दिया। मेम्बरर्स के घरों पर कोई आदमी सूचना लेकर गया या नहीं, पर आदमी को शहर में घुमा फिरा कर अपने लोगों को बुला कर कह दिया कि सब सदस्यों को सूचना दे दी गई। कोई आये नहीं और जनता को कह दिया गया कि जो जनता को बहकाते फिरते हैं ओक्ट्राय ड्यूटी के लिये वे लोग एक भी इस मीटिंग में नहीं आये हालां कि उनको सूचना दे दी गई थी, तो "as is reasorable" जो डिस्क्रिशनरी पॉवर चेयरमेन को दिया है, उसकी अवधि का निर्णय इस समय असेम्बली में नहीं किया जा सके तो रूल्स में कर दिया जाय कि दो घंटे का ४ घंटे का १० घंटे का नोटिस देकर मीटिंग को बुलाया जा सकता है। ताकि लोगों को मालूम तो रहे कि इतने घंटों के नोटिस के पहले स्पेशल मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती।

ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा संशोधन उचित है। अतः इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जावे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष, exception is not the rule. कोई एक जगह ऐसा हो गया हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी जगह ऐसा ही होगा........

श्री भैंरू सिंह—एक ही नहीं डीडवाने का चाहें तो बता दूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने रखा है अगर उसे ही ले लिया जायगा तो भी इसमें ग्रेट इमरजेन्सी शब्द लिखा है, कोई ग्रेट इमरजेन्सी हो गई तो शॉर्ट नोटिस में बुला सकते हैं। आप जरा इसको मुलाहिजा फरमाइये.... I will accept the amendment, but......

श्री अध्यक्ष—If the Treasury Benches are very particular for the transaction of business, it is their duty to keep the House in full quorm. Otherwise I will adjourn the house.

श्री जवानसिंह—संशोधन मानना स्वीकार कर लें तो हाउस तो पूरा चलेगा।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Discretion is never defined.

श्री भैंरू सिंह—डिस्क्रिशन डिफाइन होनी चाहिये, दो घंटे का या ४ घंटे का नोटिस हो; इस प्रकार का कुछ न कुछ तो डिफाइन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष— This is also covered by discretion. It is always judicious, gust and reasonable.

श्री भैरू सिंह—कई नगरपालिकाओं में ऐसा हुआ, मैं उदाहरण बताऊं ....

श्री अध्यक्ष—Exception always take place, overtures always take place. They cannot be taken as guide.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बात यह है कि इमरजेंसी पैदा हो गई, ग्रेट इमरजेंसी अराइज़ हो गई तो फौरन मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इसमें रूल्स में और क्या होगा ? प्रेस्क्राइब कर दिया जाय मुझे तो कोई एतराज नहीं; I have no objection to it. पर क्या प्रेस्क्राइब करेंगे ? आग लग गई तो इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, He will call a general meeting. उसमें टाइम प्रेस्क्राइब कैसे किया जा सकता है ? आर्डीनरी जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग के लिये ४ घंटे का और दो घंटे का नोटिस का रखा है, कोई ग्रेट इमरजेंसी होगी तो उसमें शॉर्ट नोटिस में मीटिंग बुलाई जायगी। He can call it any time.

श्री भैरू सिंह—कम से कम समय तो निर्धारित किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—It cannot be laid down. No specific rule can be laid down regarding discretion or reasonableness.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५२ के उपखंड (३) में श्री भैरू सिंह ने जो संशोधन रखा है, उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५२ के उपखंड (३) को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५२ का उपखंड (३) स्वीकार किया गया

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५२ के उप खंड (४), (५), व (६) (७) स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

उपखंड (४), (५), (६) व (७) स्वीकार किये गये।

(विराम)

उपखंड (८), श्री भैंरू सिंह।

श्री भैंरू सिंह—मैं इसे मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५२ का उपखंड (८) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

उपखंड (८) स्वीकार किया गया।

(विराम)

उपखंड (९), श्री भैंरू सिंह।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ५२ के उपखंड (९) के संशोधन को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५२ के उपखंड (९) को संशोधित रूपमें, स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

उपखंड (९) संशोधित रूप से स्वीकार हुआ।

(विराम)

उपखंड (१०), श्री भैंरू सिंह।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार है;

"Delete the words within the brackets 'including the presiding authority' in the second line."

[श्री भैरूंसिंह]

और दूसरा भी है; ये दोनों साथ मूव कर देता हूं। वह इस प्रकार है :

"Substitute the word 'casting' 'for' second' in second line."

माननीय अध्यक्ष, सब क्लॉज १० और १० (ए) के जरिए हमने यह व्यवस्था की है कि म्युनिसिपैल्टी के सभी केसेज किस प्रकार से तय होंगे ? सब क्लॉज़ १० जैसी की मूल विधेयक में है उसमें यह व्यवस्था की गई है:

"All questions shall be decided by a majcrty of the votes of the member (including the presiding authority) present and voting."

मैंने इसमें ऐसा संशोधन पेश किया है कि "Including the presiding authority" इन शब्दों को विलोप कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष, नगरपालिका में कोई भी चीज तय होती है तो हमें यह मान कर चलना चाहिये कि वह बहुमत से तय होगी और बहुमत से तय हुई मानी जावेगी। बहुमत में हम नगरपालिका के अध्यक्ष को भी वोट सदस्य के नाते देने का अधिकार दें, तो यह कहां तक उचित है ? अब तक जितने भी स्वायत्त शासन की संस्थाऐ हैं उन सब में हमने एक ही व्यवस्था रखी है। म्युनिसिपैल्टी के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष आदि इन सबको हमने हर मसले में वोट देने का अधिकार नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष—Do not include me in this. I cannot be included in the discussions.

श्री भैरूंसिंह--आपको भी तो............

श्री अध्यक्ष—Leave the discretion to me.

श्री भैरूंसिंह (१६)—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन छोटे मोटे जितने भी स्वायत्त शासन के ऑरगेनाईजेशन और इन्स्टीट्यूट है, हमने उनके अध्यक्षों को अधिकार नहीं दे रखा है और वह इसी कारण से कि यदि अध्यक्ष किसी भी निर्णय के लिये अपना मत किसी भी पक्ष में देता है तो पोसिबिलीटी यह रहती है कि स्वतन्त्रमत देने का जो अधिकार होता है उसमें इन्टरफियरेन्स हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिये। चेयरमैन का यह फर्ज होता है कि जो सभा में निर्णय लिया जावे उसको ठीक तरह से कार्य रूप में लावे और पास करावे और उसको कार्य रूप में संचालन के लिये

[श्री भैंरूंसिंह]

जिस प्रकार का सही रास्ता अपना सके अपनाया जावे। इसलिये यदि हमने जिस आदमी को यह अधिकार दिया है यदि वह अपना वोट देने का राइट एक्सरसाइज़ करेगा, तो इसका मतलब यह होगा कि जिस समय वह अपना इन्फ्लयूएन्स एक्सरसाइज करना चाहेगा, करेगा। माननीय अध्यक्ष यह कहना सकता है कि हम किसी आदमी को या किसी सदस्य को अपनी राय देने से नहीं रोक सकते, इसके लिये मैं यह कहूँगा कि अगर वे किसी विषय पर राय देना चाहें तो आवश्य राय दें। अगर वे अपना वोट देंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। उनके वोट का महत्व उस समय है जब दोनों तरफ की पार्टीज के वोट बराबर हों और उस समय उनका सेकिन्ड वोट नहीं होकर कास्टिंग वोट हो, यदि आप चेयरमेन को दो वोट देने का अधिकार देंगे यह ठीक नहीं होगा। उनको कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं होना चाहिये और से० वोट का होना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप उनको कास्टिंग वोट का ही अधिकार दें और सेकिन्ड वोट का अधिकार न दें। मैं समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री इसको मंजूर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप यह चाहते हैं कि किसी को नामजद नहीं कर सकेगा और हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार होगा। मगर दो वोट देने का अधिकार देना मैं यह कहूंगा कि, नामजदगी करने से भी बुरा होगा। इसलिये मेरा तो नम्र निवेदन यह है कि कास्टिंग वोट का ही अधिकार दिया जाए।

श्री अध्यक्ष—दांतारामगढ़ में म्युनिसिपेलिटी नहीं है ?

श्री भैंरूंसिंह—दांतारामगढ़ में भी है और........

श्री अध्यक्ष—तो फिर आपको कोई चान्स नहीं मिला।

श्री भैंरूंसिंह—वहां दोनों जनसंघ की म्युनिसिपेल्टीज़ हैं, माननीय अध्यक्ष।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष, मैंने आज यह नई बात सुनी कि बोर्ड के चेयरमेन को सदस्य के नाते वोट देने का हक नहीं होना चाहिये।
He is not an Executive Officer. If he is an executive officer he also performs the duties of executive officer.

अगर आप यह कहें कि लीडर ओफ दी हाउस को नहीं हो, यह बात ठीक नहीं है और आपका यह आरगुमेन्ट सही नहीं और माना नहीं जा सकता। मानलें कि वह ९ आदमियों की पार्टी में प्रिसाइड करते हैं। अगर उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और ४ आदमी उनके मत के नहीं होंगे तो फिर उनकी मेजोरिटी नहीं होगी। आपने कहा कि कास्टिंग वोट दे सकते हैं। कास्टिंग वोट देने की बात दूसरी हो जाती है। A casting vote means second vote. वह सेकिन्ड वोट हो जाता है पहले तो सदस्य के नाते उनको वोट देने का हक है। क्या आप उनको वह हक यानि राइट ओफ वोट

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

देने का हक नहीं देना चाहते ? यह तो हो नहीं सकता कि आप किसी को राइट ऑफ वोट नहीं दें। अगर वोट बराबर हों उसको दुबारा कास्टिंग वोट देने का अधिकार रहता है इसका यह तो मतलब नहीं कि वह प्रेसीडेन्ट हो गया, इसलिये उसको सदस्य का वोट देने का भी हक नहीं। इस लिये उसको वोट ओफ राइट रहता है और जब इक्वल वोट हों तो उसके बाद उसको कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। This is a novel provision which will be introduced noly in Rajastnan, which I think we should not do.

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री यह कैसे समझ रहे हैं कि उनको राइट ओफ वोट नहीं दिया जावे ? हम चाहते हैं कि उसको वोट का हक दिया जावे लेकिन वह कास्टिंग वोट हो, यदि किसी चीज को चेयरमेन चाहेगा और देखेगा कि आज उसका बहुमत है तो उसको पास करा लेगा और मंजूर करा लेगा। और अगर बदकिस्मती से वोट बराबर होंगे तो उसको चाहिये कि वह अपना वोट अपने पक्ष को दे कर अपनी मजोरिटी कर सकता है। मैं तो कहूंगा कि अगर उसको दो वोट देने का अधिकार दिया गया तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा और फिर मैं एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष—आज कल अन्याय बहुत हो रहा है।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन उपखंड (१०) और उपखंड (१० ए) में श्री भैंरूसिंह जी ने रखा है, स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उपखंड (१०) और उपखंड (१० ए) को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

उपखंड (१०) व (१० ए) स्वीकृत हुये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उपखंड (१० बी), (११), (११ ए) और (१२) स्वीकार किये जा[ये]।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

उपखंड (१० बी) (११) (११ ए) व १२ स्वीकृत हुए ।

(विराम)

उपखंड (१३)

श्री भैरू सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, इस उपखंड मे मेरा एक मामूली सा संशोधन है । आशा है, माननीय मंत्री उसे स्वीकार कर लेंगे । उपखंड (१३) में यह उल्लेख है :

"Any general meeting may with the consent of the majority of the members present be adjourned from time to time to a later hour on the same day or to any other day."

इसमें मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है ।

"Insert the words 'for reasons to be recorded' between the words 'day' and 'but' occurring in the third line.'

हम किस कारण से मीटिंग स्थगित कर रहे हैं इस कारण को मिनिट बुक में लिख दिया जाय । अगर इन शब्दों को नहीं लिखते हैं मेजोरिटी के ध्यान में आगई चलो आज मिटिंग स्थगित कर दी जाय तो बिना किसी कारण के भी वे स्थगित कर सकते हैं, अगर उन पर यह पाबन्दी होगी कि हमें मिनिट बुक में रीजन्स लिखना है तो यह एक प्रकार से पाबन्दी होगी । जैसा कि देखने में आता है मिटिंग एडजोर्न कर दी जाती है, किसी मसले को तय करना चाहते हैं, एक आदमी की कमी है और उनको यह अन्देशा हो कि आज एक आदमी की अनुपस्थिति के कारण हमारी हार हो सकती है तो आज इस मिटिंग को एडजोर्न कर दिया, एक दो दिन बाद या तो एक दो सदस्य गैर हाजिर होंगे या किसी के काम होजायगा चले जायेंगे उन दिनों बुला ली जाय, तो अमुक काम हो सकता है, अगर हम इतनी सी पाबन्दी डाल दें कि जब कभी एडजोर्न करें रीजन्स मिनिट बुक में रेकर्ड कर दें और उसके बाद मिटिंग एडजोर्न की जाय । कानून में अगर यह बात डाल देंगे तो मनमानी नहीं हो सकेगी, कई दफा मनमानी हो जाती है उसमें इससे रुकावट होगी । इस बात को जोड़ने से जरा उनको हिचकिचाहट होगी कि हम बिना किसी कारण के ही मिटिंग एडजोर्न कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—The points not home.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स यह चाहे तो मिटिंग किसी भी समय एडजोर्न कर सकते हैं और वे चाहें जब मिटिंग कॉल कर सकते हैं, ऐसी हालत में इतनी पाबन्दी रखना That is too much going into details.

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इतनी पाबन्दी रखना न्यायोचित नहीं होगा। स्वायत्त शासन संस्थाओं में अगर मेजोरिटी ओफ मेम्बर्स चाहें तो काम करें नहीं तो नहीं। जैसा कि अपने इस हाउस में भी कई लोग बैठते हैं कई चले जाते हैं इसमें भी अगर मेजोरिटी ओफ मेम्बर्स चाहे तो एडजोर्न किया जा सकता है। इसलिये स्वायत्त शासन संस्थाओं पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाना कि रीजन्स को रेकर्ड करें मेरे खयाल से यह पाबन्दी बहुत ज्यादा होगी। मजबूरी से मुझे इन्कार करना पड़ रहा है। रीजनेबल जो कोई सुझाव हो उसे मैं हर वक्त मानने के लिये तैयार हूं। मेम्बर्स पर इस प्रकार की पाबन्दी लगाना मैं न्यायोचित नहीं मानता। After all we will have to provide some penalty for breach of the provision.

श्री भैरूं सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया उससे इतना तो वे भी मान गये कि इस प्रकार से मिटिंग्स एडजोर्न करदी जाती हैं। उनके खयाल से अगर कारण लिखने की पाबन्दी लगा दी गई तो यह जबरदस्ती होगी। मेरा उनसे यही निवेदन है कि अगर, मिटिंग क्यों एडजोर्न कर रहे हैं, उस कारण का उल्लेख कर दिया जाय तो दिक्कत क्या है ? जिस प्रकार उन्होंने कहा कि मेजोरिटी चाहे तभी मिटिंग एडजोर्न की जा सकती है तो मेजोरिटी मेम्बर्स इसका कारण भी डिसाइड कर सकती है और उसका उल्लेख मिनिट बुक में कर सकते हैं, मेरी समझ में इसमें किसी प्रकार की दिक्कत किसी के सामने आनेवाली नहीं है। मान लीजिये किसी मसले पर किसी दिन वाद-विवाद होना है उस दिन उस मसले के तय होने में अन्देशा है तो वह मिटिंग एडजोर्न कर दी जाती है और यह सोचा जाता है कि आयन्दा चल कर जब इस मसले पर वाद विवाद होगा तो हमारा पक्ष प्रबल हो जायगा और यह मसला तय हो जायगा, केवल मेजोरिटी का बहाना लेकर एडजोर्न कर देते हैं तो यह न्याय संगत चीज नहीं होगी। अगर इस प्रकार की पाबन्दी लगा दी गई तो इस प्रकार एडजोर्न करने में रुकावटें आयेंगी और म्युनसिपल बोर्डस का फंक्शन जल्दी जल्दी होगा। मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी एडजोर्न करने के साथ साथ रीजन्स लिख दिये जाते हैं तो। इन शब्दों के साथ मैं सदन की अनुमति के लिये अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कारण एडजोर्न का लिखा तो जायगा, I think they will have to do it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)— अध्यक्ष महोदय, कानून में जितनी भी जगह रेकर्ड के लिये प्रोवीज़न होता है उसका मसका महज एक कारण होता है कि उसके लिये हायर अथोरिटी क्वेश्चन करने वाली हो। हायर अथोरिटी आकर देखे कि जो रीजन्स दिये हैं वे satisfactory हैं या नहीं। इसमें कोई हाइयर अथोरिटी नहीं है। There is no higher authority to question why the meeting was adjourned ? तो ऐसी सूरत में इस प्रकार की पाबन्दी रखने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। Do you want to take action ? मेरी समझ में इतनी ज्यादा पाबन्दी लगाने से को नतीजा नहीं निकल सकता।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member has some municipality in view which might adjourn frivolousy.

प्रश्न यह है कि उप खण्ड (१३) में जो संशोधन श्री भैरूंसिंहजी ने रखा है स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उपखण्ड (१३) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

उपखंड (१३) स्वीकृत हुआ।

(विराम)

उपखंड (१४) से (१६) श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष, उपखंड (१४) को लोप किये जाने के लिये मेरा प्रस्ताव है। उपधारा (१६) के आखिर की दूसरी लाइन में 'sickness or other' इन शब्दों को लोप करने का मेरा संशोधन है।

पहला मेरा संशोधन है उसका मुख्य कारण यह है कि हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कोई भी रेजोल्यूशन जो बोर्ड ने पास कर दिया उसके पास होने के बाद तीन महीने तक उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं आयेगा। किसी प्रकार का कोई हेर फेर नहीं होगा अलावा इसके उस प्रस्ताव में किसी प्रकार का मोडिफीकेशन करने के लिये जितने मेम्बर्स उस नगरपालिका के हैं उन मेम्बरों की पूरी संख्या से आधे से ज्यादा सदस्यों के बहुमत से कोई प्रस्ताव पास करके मोडिफिकेशन की व्यवस्था न हो, मैं इस बात का विरोधी हूं। वह इस कारण कि जब हम बोर्ड को एक अधिकार देते हैं कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं उसमें यह व्यवस्था करते हैं कि वह प्रस्ताव लागू होगा। उस प्रस्ताव का असर नगरपालिका पर होता है, वह प्रस्ताव बहुमत से पास किया जायगा। बहुमत से जो भी प्रस्ताव पास किया जाता है उसे बहुमत से पास किया हुआ प्रस्ताव समझा जायगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है :

"All question shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting."

तो जहां हम एक प्रस्ताव को पास करने की बात करते हैं और उस चीज की व्यवस्था रखते हैं जिस मेम्बर का प्रस्ताव जिस दिन पास किया जाय, जितने मेम्बर मौजूद हों उनमें बहुमत हो,

Page No 51

[श्री भैरु सिंह]

बहुमत के कारण वह प्रस्ताव पास किया हुआ समझा जायगा। अब हम उपधारा १४ में जो कुछ मौजूदा सदस्यों ने प्रस्ताव पास कर दिया उसमें अगर कोई सदस्य हेरफेर करने की चेष्टा करेगा तो उसमें क्या होगा उसमें जो पूरे सदस्य हैं उन सदस्यों में से बहुमत होगा तो हेरफेर कर सकते हैं। तीन महीने के अन्दर और तीन महीने के बाद में जिस प्रकार वे चाहें प्रेजेन्ट वोटस से उनके बहुमतसे हेरफेर कर सकता है। इसके बारे में मैं स्पष्ट निवेदन करूं इसका कोई अच्छा असर होनेवाला नहीं। आज किसी नगरपालिका में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास कर दिया, टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दी, उसके बाद में कुछ मेम्बर्स यह कहते हैं कि जनता यह चाहती है कि इस प्रकार का टैक्स न लगाया जाय, क्योंकि वह अनुचित है इसलिये जो कुछ भी हमने रेजोल्यूशन पास किया उसमें किसी न किसी प्रकार का संशोधन आना चाहिये, तो पहली दिक्कत यह आयगी कि अभी तो प्रस्ताव पास किया है तीन महिने का समय उसके पास करने के बाद नहीं निकला इसलिये तीन महिने के अन्दर वैसा प्रस्ताव नहीं ला सकते। अब दूसरी उनकी शर्त है प्रस्ताव लाने की कि सब मेम्बर का बहुमत मिल जावे तो प्रस्ताव ला सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, नगरपालिकाओं में दलबन्दी होती है। राजनैतिक दल अपने दलों के नामसे चुनाव लड़ते हैं। उनकी अलग अलग नीति होती है। वे दल अलग अलग तरह से टैक्स लागाना चाहते हैं, कोई कहता है अमुक टैक्स लगाओ, कोई कहता है अमुक लगाओ। वैसी सूरत में जहां दलबन्दी होती है वहां इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बहुमत सारे मेम्बरों का तो जरूर उनके पास नहीं है पर दो मेम्बर अगर कहीं छुट्टी लेकर छः छः महीने की चले गये, जयपुर आ गये या बीमार होगये या कलकता चले गये और उन दो तीन आदमियों के कारण से बोर्ड के पूरे सदस्यों के अन्दर एक दफा का बहुमत नहीं होता है पर प्रस्ताव के विपक्ष में जो सदस्य बोर्ड के मौजूद हैं उनका बहुमत चाहता है कि इस पर कर दिया जावे और इस कारण से नहीं कर सकता कि सारे सदस्यों की संख्या का बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, पर बद किस्मती से जैसा मैंने कहा नगरपालिका के क्षेत्र में वे मौजूद नहीं हैं तो उनका बहुमत कैसे रहेगा ? बाहर चले गये हर पक्ष में हों चाहे विपक्ष में वे आ नहीं सकते। उस समय हमारे सामने कठिनाई आती है कि बहुमत की आड लेकर जो मौजूदा सदस्य हैं वे बहुमत से किसी प्रकार की हेरा फेरी कराना चाहें तो उसमें हम पाबन्दी डाल रहे हैं। यदि इस प्रकार की पाबन्दी रही तो निश्चित रूप से कई प्रकार की गड़बडियां हेंगी। खास तौर से जब अवधि समाप्त होती है एक नगरपालिका किसी प्रकार का विशेष टैक्स लगाकर त्याग पत्र देती है। अब उसकी तीन महीने अवधि समाप्त होने वाली है और अब टैक्स इसी भावना से लगाया है, पर जनता पर टैक्स लगाकर हम जा रहे हैं इस भावना से कि हम तो आने वाले नहीं हैं। जल्दी में टैक्स लगाया है। नगरपालिका का कार्य गलत हुआ है और इलेक्शन से पहले पहल सुधार करना चाहिये यह सोच कर वे अगर उसे सुधार करना चाहें तो सब सदस्यों के बहुमत को प्राप्त नहीं करने के कारण इसमें हेर फेर नहीं कर सकेंगे। जो नगरपालिका निर्णय लेगी उसमें बहुमत से तै किया जावेगा, जो उस दिन वहां हाजिर हों, पर उस निर्णय को बदलने के लिये सभी सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा, यह उचित नहीं होगा। बहुमत से निर्णय होगा इसका हमें एक सीमा तक स्वागत करना चाहिये।

[श्री भैरूंसिंह]

लोगों की इच्छा है कि कोई प्रस्ताव पास करावें, मीटिंग कन्वीन करें और इसके बाद रेजोल्यूशन रक्खें, बहुमत से पास करावें और इसके बाद चाहे मोडिफिकेशन हो, केन्सलेशन हो, जिस प्रकार से निर्णय लिया जाता है स्वीकार करना होता है। पर यदि इस पर भी प्रतिबन्ध लगावेंगे तो यह एक प्रकार का सदस्यों के प्रीविलेजेज़ पर भी कुठाराघात करेंगे। मैं समझता हूं मन्त्रीजी अगर इसके उदाहरण भी सुनना चाहें तो राजस्थान की कई नगरपालिकाओं में यह आये दिन होता है। आये दिन हमारे सामने लोगों की शिकायतें आती हैं। सदन में चर्चा करते हैं पर फिर भी उनमें सुधार नहीं होता। तो सारे उन अनुभवों के आधार पर, कोरे प्रीजम्पशन के आधारा पर नहीं, पर एक्चुअल अनुभव के आधार पर, मैं यह कहता हूँ और ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूं कि मन्त्रीजी इस संशोधन को तो अवश्य स्वीकार कर लेंगे। एक सब क्लॉज़ (१६) का रह गया साहब।

श्री अध्यक्ष—यह तो बड़ा सिम्पल है, मामूली सा है।

श्री भैरूंसिंह—जी, मामूली सा है। वह है 'Uneess prevented by sickness or other reasonable cause' मैंने ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया है सिकनेस और अदर इसको हम हटा दें। तो सिकनेस भी रीजनेबल क्लॉज़ में आ जाता है। यदि हम एक एक चीज अलग अलग से लेंगे तो कई कारण मेन्शन करने होंगे, शादी विवाह है, बीमारी है, तो ये सभी कारण अलग अलग प्रेस्काइब हो नहीं सकते। तो इस सिकनेस को भी अलग नहीं रखना चाहिये। इसलिये इन शब्दों को हटा दें, "sickness or other"........

Now this will be—

"unless prevented by reasonable cause shall be louncd to attend the meeting." यह अच्छी चीज होगी। मैं आशा करता हूँ, मन्त्री महोदय इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—वे सिकनेस को पसन्द नहीं करते।

श्री भैरूंसिंह—पसन्द तो नहीं करता हूँ। यही चाहता हूं कि बीमार कोई न हो। पर यह यहां नहीं रक्खा जावे, तो ठीक रहेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जहां तक (१४) के अमेन्डमेन्ट का सवाल है मैं समझता हूँ कि यह बात रीजनेबल है कि जब बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है तो उस समय बोर्ड ने जो एक बार प्रस्ताव पास किया है उसको अगर चेन्ज करना है तो आधे कम से कम मेम्बरों की राय का होना जरूरी होना चाहिये। क्योंकि उम्मीद की जाती है कि जो प्रस्ताव पेश करेंगे सोच समझ कर करेंगे। तो फिर इसके लिये तीन महीने के अन्दर संशोधन कराया जावे तो बोर्ड को मन्जूर

Page No 53

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

होगा जब कि उसके आधे मेम्बरों की राय उसके लिये हो। यह बहुत ही रिजनेबल बात है। आपको जो शंका है उसको तो दूसरी तरफ भी एप्लाई कर सकते हैं। It applies both ways. It cuts both ways. यह तो इधर और उधर दोनों तरफ कहा जा सकता है। पहले जो प्रस्ताव रक्खा गया वह ठीक हो और मनमानी करने के लिये उसे बदलवाना चाहते हों इसलिये यह जो रक्खा गया है, ठीक है।

आगे जो आपने सिकनेस के बारे में कहा वहां दोनों का मतलब एक ही है। आप प्रैस नहीं करेंगे ऐसी मुझे आशा है। और अगर आप प्रैस ही करेंगे तो मान लूंगा। इसमें कोई फरक नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—१४ के लिए जवाब दूंगा। इसके उत्तर में कोई विशेष बात न कही जाकर जो कुछ कहा गया है वह तर्क संगत नहीं है। निर्णय को बदलने के लिये समस्त सदस्यों के आधे सदस्यों का होना जरूरी रक्खा गया. पर हमें यह भी देखना होगा कि बोर्ड यह निर्णय किस तरह करता है। बोर्ड जो निर्णय करता है उसमें यह पाबन्दी नहीं है। उसमें तो यही है कि उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से वह पास कर दिया जाता है। तो जब ये निर्णय इस तरह से ले सकते हैं तो यही अधिकार उनको क्यों नहीं होना चाहिये कि जो उस निर्णय से सहमत नहीं हैं वे भी उपस्थित सदस्यों की बहुमत मांग से उसे बदल सकें। इसके लिये यह पाबन्दी क्यों कि समस्त सदस्यों के आधे का बहुमत होना जरूरी है? निर्णय तो मौजूदा के बहुमत से और बाद में उसके पलटने के लिये समस्त सदस्यों के आधों की सम्मति का अनिवार्य होना ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई आरग्यूमेन्ट नहीं है, आप कहना चाहें तो भले ही कह दें। पर इसी की धारा दस के (ए) में ऐसी व्यवस्था कर दी है। और आगे जाकर १४ में पाबन्दी लगा दी है कि कुल का बहुमत होगा तो होगा। मैं समझता हूँ कि यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यह जनतन्त्र की प्रणाली से भी विपरीत है, इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में मदद करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन सब सब क्लॉज (१४) में श्री भैरूंसिंहजी ने रक्खा है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

(श्री भैरूंसिंह से) सब क्लॉज (१६) को आप प्रैस करते हैं?

श्री भैरूंसिंह—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सब क्लॉज़ (१४) (१५) व (१६) मय प्रोविज़ो के स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

धारा (१४) (१५) व (१६) मय प्रोविज़ो के स्वीकार की गई।

(विराम)

क्लॉज़ ५२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५२ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ५२, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री भैरूंसिंह से) क्लॉज़ ५३, सब मूव कर दीजिये एक साथ ही।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५३ में मेरे दो संशोधन हैं।

पहला है सब क्लॉज़ (२) में—"Substitute the Words 'rules' prescribed' for the words 'such regulations as may be framed by the Board."

सब क्लॉज (३) में है—"Delete the words 'provide' d that the chairman may for reasons given in writing forbid such access."

जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान में कई जगह नगरपालिकाएं हैं। उन नगरपालिकाओं के मेम्बर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी? क्या क्या अधिकार होंगे? म्युनिसिपेलिटी की बैठक में किस प्रकार से वह भाग ले सकेंगे, किस प्रकार से प्रस्ताव रख सकेंगे, म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन को नगरपालिका की तकलीफों का किस प्रकार से अवलोकन कर सकेंगे? इस बात की क्लॉज़ ५३ में व्यवस्था कर रहे हैं। इसकी सब क्लॉज (१) में यह है—

"Any member may call the attention of the proper authority to any neglect in the execution of municipal work, to any waste of municipal property or to the wants of any locality, and may suggest any improvement which he considers desirable."

[श्री भैंरू सिंह]

यहां तक हमने एक साधारण मेम्बर किस प्रकार से काम कर सकेगा, किस तरह से म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है। आगे चल कर—

"Every member shall have the right to interpellate the Chairman and to move resolutions on matters connected with the municipal administration, subject to such regulations as may be framed by the board."

मैंने ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि बोर्ड जो कि रूल्स बनायेगा तो उस आधार पर कोई इस प्रकार का प्रस्ताव रखेगा तो अलग अलग नगरपालिकाओं की अलग अलग व्यवस्था करने के लिये अलग अलग रूल्स होंगे........

श्री अध्यक्ष—युनिफॉर्मिटी चाहते हैं ?

श्री भैंरू सिंह—इस संबन्ध को लेकर अगर युनिफार्मिटी है तो सरकार रूल्स बना दे कि किन रूल्स के द्वारा किस प्रकार 'रिजोल्युशन' पेश किया जायगा, तो रिजोल्युशन का क्या फेट होगा और यदि इस प्रकार से सब जगह एक सा नियम रहे तो मैं समझता हूँ कि वह चीज बहुत अच्छी होगी।

दूसरा जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है वह सब क्लॉज (३) में है। जो कि इस प्रकार से है—

"Every member shall have the right to inspect records of the Board at the municipal office after giving due notice to the Chairman, provided that the chairman may for reasons given in writing forbid such access."

इसमें हमने नगरपालिकाओं के सदस्यों को अधिकार यह दिया है कि वह नगरपालिका का कोई भी रिकार्ड देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रोवीज़ो इसके साथ लगाकर यह दिक्कत पैदा करदी है कि यदि नगरपालिका का अध्यक्ष यह चाहे तो लिख कर ऐसा दे सकता है कि अमुक कारण से नगरपालिका का फलां रेकार्ड उनको नहीं दिखाया जायगा। माननीय अध्यक्ष, यह एक बड़ी घोटाले की क्रिया है। जिस घोटाले की क्रिया के कारण रातदिन नगरपालिकाओं के विरोधी दल के सदस्य परेशान हैं। कई नगरपालिकाओं में कन्डीसन्श ऑफ एप्वाइन्टमेंट होती हैं। कई नगरपालिकाओं में खास खास निर्णय लिये जाते हैं। कई कई नगरपालिकाओं में टेक्स लगाने के प्रस्ताव पेश कर दिये जाते हैं। कई नगरपालिकाओं में एप्वाइन्टमेंटस कर दिये जाते हैं और उन एप्वाइन्टमेंटस की जानकारी

[श्री भैंरू सिंह]

के लिये उन प्रस्तावों की जानकारी के लिए यदि कोई विरोधी दल का सदस्य को उस समय उसमें यदि को शुबाह हो जाय कि जो कुछ मिनिट्स लिये गये हैं कहीं वह गलत न लिये गये हों, कहां वह नोट्स हुए थे वे सही हुए थे, यदि वह इस प्रकार की चेष्टा करें तो नोटस बताये जांय. मिनिट्स बताये जाय, रिजोल्यूशन्स बताये जायं। उस सूरत में अधिकार हम यह दे रहे हैं कि अध्यक्ष रेकार्ड बताने से इन्कार कर सकेगा कि किसी प्रकार से वह रेकार्ड बताने को तैयार नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष, सीकर की नगरपालिका में इस प्रकार का किस्सा हुआ। वहां के एक सदस्य को वहां की हेल्थ कमेटी के अन्दर लिया गया, हेल्थ कमेटी का मेम्बर जिस दिन चुना गया उस दिन बहुमत उसके पक्ष में था। लेकिन नगरपालिका के अध्यक्ष नहीं चाहते थे कि इस शख्स को किसी प्रकार से हेल्थ कमेटी का सदस्य रखा जाय। तो मिनिट्स में हेरफेर किया गया। नोट्स जो उस समय हुए थे उनको काट छांटा गया और उस सदस्य का नाम हटा दिया गया। जिस समय कमेटी की दूसरी दफा मीटिंग हुई और लोगों के सामने आया तो मीटिंग में एतराज किया गया कि इस शख्स का नाम प्रोपोज़ किया गया था। उस प्रोपज़ल के बाद इसका नाम स्वीकार कर लिया गया था. लेकिन बदकिस्मती से आज यह नाम कैसे नहीं है। तो उस जगह की नगरपालिका के अधिकांश सदस्यों ने वहां उस जगह के अध्यक्ष को यह लिखकर दिया कि जो प्रोपोज़ल दिया था उसके कागजात बताये जायं। जिन्होंने नाम का प्रोपोज़ल किया था उनके दस्तखत बताये जांय। और एक दूसरे आदमी को प्रोपोज़ किया गया तो बिना किसी सूचना के रखा गया है उसके बारे में प्रोपोज़ल आया है तो नाम बताये जांय। तो अध्यक्ष ने कह दिया कि मैं किसी प्रकार से कागज बताने को तैयार नहीं हूं। कागज नहीं बताये तो वहां के ६ सदस्यों ने अध्यक्ष के विरोध में वाक् आउट किया। अध्यक्ष का विरोध प्रदर्शित करके कार्यवाही में रुकावट डालने की चेष्टा की। उसके बाद अध्यक्ष ने कहा कि अच्छी बात है देखेंगे, लेकिन आज ३ महीने हो गये हैं न तो किसी प्रकार के कागजात बताये जाते हैं और न कागजात बताने की इजाजत ही दी जाती है हालांकि वे म्युनिसिपेलिटी के सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—जो यहां मेम्बर्स नहीं, उनके खिलाफ यहां न बोला जाय—

श्री भैंरू सिंह—नाम नहीं लिये हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या लोग नहीं जान सकते हैं। सारा पता तो बता दिया। It is not fair for thse who are not the members of the House.

श्री भैंरू सिंह—मैंने तो उदाहरण रखा है।

श्री अध्यक्ष—Exampces can be given in a different form.

श्री भैंरू सिंह—तो मैं निवेदन कर रहा था कि सीकर नगरपालिका में इस तरह का किस्सा हुआ है। जानकारी करना चाहें तो कर सकते हैं, केवल इस बात के लिए रेकॉर्ड में फेरफार हुआ

[श्री भैंरूसिंह]

उस रेकार्ड को देखना। जब कि नगरपालिका का वह सदस्य है और सदस्य होकर राय देने का अधिकार है, सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है, नगरपालिका में कौनसी कार्यवाही होती है। हमको खुद वॉलन्टरी कहना चाहिए कि नगरपालिका का सदस्य सारा रेकार्ड आकर देख सकता है और किसी प्रकार की गलती हुई है तो सुधार करने का सुझाव दे सकता है। किसी प्रकार की गलत कार्यवाही करने जा रहे हैं तो रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। वैसी सूरत में मन्त्री महोदय इस बात के लिए कहें कि किसी सूरत में किसी नगरपालिका का सदस्य यह रुकावट नहीं डाल सके जिस रुकावट के कारण नगरपालिका का रेकार्ड नहीं देख सके, तो अच्छी चीज तो वह होगी कि जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं भी यह समझता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी इस पर विचार करें और 'provided that the Chairman may for reasons given in writing forbid such access.' इसको डिलीट कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—It will be chaos if this is deleted.

श्री गोपीलाल यादव—इसके अन्दर इसको आप रखना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि वह 'कान्फीडेन्शियल रेकार्ड' के लिए रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—The experience might vary.

श्री गोपीलाल यादव—'provided that the Chairman for reasons given in writing forbid such access to any confidential record.' इस तरह से कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—एक ही बात है।

श्री गोपीलाल यादव—मतलब दूसरा है।

श्री अध्यक्ष—There can be no discrimination between ordinary and confidential record.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब क्लॉज (२) के एमेंडमेंट का सवाल है उसमें सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाये। उसमें हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है गवर्नमेंट बना देगी। सब के ऊपर एक से रूल्स लागू हो जायेंगे।

Page No 58

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दूसरा एमेंडमेंट जो है उसकी मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी मेरे एक्सपीरियन्स में नहीं आई है जैसा कि माननीय सदस्य का अनुभव है। म्युनिसिपेलिटी का ५ साल का मेरा अनुभव है कि कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि किसी मेम्बर को रेकार्ड देखने से इन्कार करना पड़ा हो। जैसा कि वह बतलाते हैं उनके अनुभव के आधार पर ऐसी स्थिति आ सकती है। कोई रेकार्ड दिखाना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में मुनासिब नहीं हो उस सूरत में इमरजेन्सी केसेज के लिए ऐसी क्लॉज होनी चाहिए and this should be maintained.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन सब क्लॉज (२) क्लाज ५३ में भैंरु सिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन सब क्लॉज (१), क्लॉज ५३, में श्री भैंरु सिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५३, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ५३, संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज ५४, श्री भैंरु सिंह।

श्री भैंरु सिंह—क्लॉज ५४ में मेरे ७ संशोधन हैं। पहला संशोधन है माननीय अध्यक्ष सब क्लॉज (२) में "Substitute the word One-fifth for one-third."

खण्ड (२) में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी नगरपालिका के अध्यक्ष में कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाने की इच्छा हो तो कितने सदस्यों का नोटिस देना पड़ेगा उस अविश्वास

[श्री भैंरूंसिंह]

के प्रस्ताव को लाने के लिए। इस उप खण्ड २ के अनुसार उस नगरपालिका के उन सदस्यों को १।३ सदस्यों को इस प्रकार का नोटिस अपने दस्तखत करके देना पड़ेगा। मैंने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया हैं उनके द्वारा एक तिहाई १।३ के स्थान पर १।५ रखा है, पांचवे हिस्से के सदस्य यदि अध्यक्ष महोदय में अविश्वास लाना चाहें तो वे इस प्रकार का नोटिस अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए दे सकते हैं।

जहां तक १।३ और १।५ का प्रश्न है इसमें काफी अन्तर है। एक नगरपालिका में यदि १५ सदस्य हैं और यदि १।३ की ही पाबन्दी रही तो ५ सदस्यों को अपने हस्ताक्षर करके नोटिस देने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन यदि मेरा संशोधन स्वीकार होगया तो १५ सदस्यों की नगर पालिका में यदि ३ भी सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहे तो ला सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, नगरपालिका का और विधान सभा का, लोक सभा का, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, ग्राम पंचायत का और तहसील पंचायत का सब का अलग अलग प्रश्न है। विधान सभा में अविश्वास का प्रस्ताव किसी नीति के कारण से सरकार को बदलने के लिए लाया जाता है, ग्राम पंचायत में, नगरपालिका में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, ये संस्थाये यदि जनता की इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्यवाही करें उस कार्यवाही पर पाबन्दी लगाने के लिए, उस कार्यवाही को एक्सपोज़ करने के लिए, उस कार्यवाही को करने से पहले जनता की राय जानने के लिए, अविश्वास का प्रस्ताव लाने की चेष्टा करते हैं, अगर हम नगरपालिका जैसी में भी १।३ की पाबन्दी रखेंगे तो यह होगा कि जो नगर पालिका कई दफा कुछ कारणों, से उनके सदस्य छुट्टियां लेकर बाहर चले जाते हैं, उनके सदस्य नगरपालिका के कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, उनके कारण से बार बार हमारे सामने उन शिकायतों के आने के बाद भी वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाकर उनको हटाया जावे, नहीं ला सकेंगे! उनके सामने यही शर्त होगी कि पांच आदमी दस्तखत करें। मैं यह चाहता हूं कि अधिकार होना चाहिए एक भी व्यक्ति को कि अगर नगर पालिका की कार्यवाही से जनता में असंतोष हो और एक भी आदमी असंतुष्ट है तो उस असंतोष को दूर करने के लिये नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध यदि अविश्वास का प्रस्ताव लायें तो लाने की इजाजत होनी चाहिए। नगरपालिका १५,२० सदस्यों की होती है और कहीं ज्यादा हो तो उनकी सदस्यों की संख्या ३० तक पहुंच जाती है। उन सदस्यों में से नगरपालिका के प्रश्न को लेकर उस व्यक्ति को राय रखने की तो इजाजत है लेकिन, राय मानी नहीं जाती है और वह राय यदि जनता के सार्वजनिक हित से बुरी नहीं हैं तो अगर कोई चाहे कि अविश्वास का प्रस्ताव लाकर, सब सदस्यों को कन्वेसिंग करके, उस अध्यक्ष को हटाने की चेष्टा करें अगर उन पर कोई पाबन्दी लगाते हैं तो यह अनुचित होगा। अगर पाबन्दी थोडी भी हो जावे, अगर एक आदमी को इजाजत दे दी जाय तो बार बार अविश्वास का प्रस्ताव आवेगा लेकिन जैसा मैंने संशोधन में प्रस्ताव किया हैं कि १।५ सदस्य सारे बोर्ड के अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहें तो ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन उचित है माननीय मन्त्रीजी इसको स्वीकार करेंगे।

[श्री भैरूसिंह]

दूसरा मेरा संशोधन है—Substitute the figures '10 and 15' for the figures '20 and 30' respectively occuring in the lost two lines.

इस सब क्लॉज ? की लास्ट लाइन में है, सारी इस तरह से है—
"Who shall the re upon convene a meeting for the cosideration of the motion to be held at office of the Board on the date and at the time appointed by him, which shall not be earlier than 20 or later than 30 days from the date of the receipt of the notice."

मतलब जिस तारीख को अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस दिया जाय उस तारीख से लेकर २० दिन से पहले नहीं और ३० दिन से ज्यादा नहीं। २० से लेकर ३० दिन का समय है जिस प्रेसक्राइब्ड अॅथोरिटी के पास अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना जाती है। मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि २० और ३० दिन के स्थान पर १० और १५ दिन कर दिया जाय। अगर १।३ के स्थान पर १।५ अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों की रही, हमें यह न्याय देना चाहिए कि कम से कम एक अविश्वास का प्रस्ताव आये और फिर उस पर २० दिन के पहले विचार कर सकें, तो कौनसा कारण है। मिटिंग हम बुला सकते हैं और जिस अधिकारी के पास नोटिस देगा, मैं समझता हूँ कि यदि वह चाहे तो दस दिन में ही मीटिंग बुला सकता है। अब यह दावा कर सकते हैं कि विशेष मिटिंग है, दूसरी भी...........

एक माननीय सदस्य—माननीय अध्यक्ष, सदन में कोरम नहीं है।

श्री भैरूसिंह—तो मैं निवेदन कर रहा था कि मीटिंग बुलाने के लिये तीन प्रकार की व्यवस्था है कि किसी के विरुद्ध....मिटिंग बुला सकते हैं १५ दिन के बाद........

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Dont ask the people to run away.

श्री जगतसिंह झाला—माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—हो जायगा साहब। (गणपूरक हो जाने के पश्चात्) Yes carry on.

श्री भैरूसिंह—तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमने मिटिंग्स बुलाने के लिए ४ दिन का समय भी रखा है, दो दिन का समय भी रखा है और रिजनेबल पीरियड स्पेशल मिटिंग्स को कन्वीन करने के लिए भी व्यवस्था करें। जहां मिटिंग्स बुलाने का प्रश्न है अधिक से अधिक समय

[श्री भैंरू सिंह]

लगायें तो ७ दिन में भी बुला सकते हैं, अब प्रश्न यह आता है कि ७ दिन में मिटिंग बुलाने वाले चेयरमेन बुला सकते हैं, वाइस चेयरमेन बुला सकते है या उस म्युनिसिपेलिटी के सदस्य बुला सकते हैं। लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव तीसरे आदमी के पास जायगा, वह उस स्थान का न हो तो कठिनाई आ सकती है और ७ दिन में मिटिंग नहीं बुलाई जा सके । लेकिन जिस व्यक्ति के पास अविश्वास का प्रस्ताव जाता है वह जल्दी से जल्दी मिटिंग बुलाये तो यह आवश्यक है कि जिस दिन सूचना अविश्वास के प्रस्ताव को पहुंचे उससे लेकर १० दिन से लेकर १५ दिन के अन्दर अन्दर मिटिंग बुलाये, अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करायें और उस पर निर्णय ले । लेकिन इसमें यह २० और ३० दिन रख कर तो अविश्वास जिस प्रकार से लाया जा रहा हैं उनको बचाने में मदद दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—या कि मेजोरिटी टूट जाय ।

श्री भैंरू सिंह—मेजोरिटी टूटती है। विधान सभा के सदस्य तक को उठा कर दिल्ली ले जाते हैं। यह तो नगरपालिका है।

श्री अध्यक्ष—I think your point has been brought home.

श्री भैंरू सिंह –मैं समझा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—सब समझते हैं आपके point को ।

श्री भैंरू सिंह—सब समझ जांय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—करना न करना उनके हाथ है।

श्री भैंरू सिंह (जारी)—तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें जो २०-३० दिन की अवधि रखी है उसको १०या १५ दिन रखे। यह कोई न्याय नहीं है कि जिसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसको १ महीने तक रखें। यदि सरकार चाहे तो जल्दी से जल्दी इस पर विचार किया जाय इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है।

अब सब क्लॉज (३) पर मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"Substitute the figure '4' for '7' occurring in second line. The clause is like this:

" (3) The prescrided authority shall send by registered post not less than 7 clear days before the date of the meeting a notice

[श्री भैरूं सिंह]

of such meeting and of the date and time appointed therefor to every member of the Board."

इसमें मैंने यह मांग की है कि ७ क्लीयर डेज़ के स्थान पर ४ क्लीयर डेज़ काफी हैं नगरपालिका के सदस्यों को सूचना देने के लिये दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता, एक ही शहर में सूचना देनी पड़ती है उसके लिये चार दिन का समय काफी है। ७ दिन किसी सूरत में आवश्यक हों ऐसी बात नहीं। आपने नोटिस इश्यू किया........

श्री अध्यक्ष—नोटिस का क्लॉज़ ही अवोइड कर दें तो क्या हो?

श्री भैरूं सिंह—फिर तो बहुत बुरा होगा।

श्री अध्यक्ष—मंशा आपकी यही दिखती है। ४ दिन और ७ दिन में क्या फर्क है।

श्री भैरूं सिंह—जबर्दस्ती ढिले क्यों की जाती है?

श्री अध्यक्ष—नोटिस ही नहीं दिया जाय।

श्री भैरूं सिंह—जब ४ दिन का नोटिस देकर जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है और २ दिन के नोटिस से स्पेशल मीटिंग बुलाई जा सकती है तो फिर इसके लिये ७ दिन क्यों रखे जांय? यह काम सबसे महत्व पूर्ण है लेकिन जब कि स्पेशल काम के लिये २ दिन के नोटिस से मीटिंग बुलाई जा सकती है तो इस काम के लिये इससे भी जितनी कमी की जा सके उतनी कमी करके जल्दी मीटिंग बुलानी चाहिये। ४ दिन का समय हमने जनरल मीटिंग के लिये रखा है ऐसी हालत में केवल अविश्वास के लिये ७ दिन का समय रखें यह बिल्कुल गैर वाजिब है। इसलिये ७ दिन के बजाय ४ दिन कर दिये जांय।

सब क्लॉज (४) में मेरा संशोधन यह है कि 'डिलीट दि सब क्लॉज (४)'। सब क्लॉज [४] इस प्रकार है।

"The prescribed authority and no other person shall preside at such meeting and if within half an hour from the time appointed for the meeting such authority is not present or if such authority is unable for any unavoidable cause to preside at the meeting, the meeting shall stand adjourned to the date and the time to be appointed and notified to the members.,,

Page No 63

[श्री भैरूसिंह]

यह एक अजीब तरह का अधिकार है। मैं ५ वां भी साथ में मूव कर देता हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। "Substitute the followingsub-clausefor sub-clause. (5),

पांचवा इस प्रकार से है:—

"(5) (a) A meeting convened for the purpose of considering the motion under this section shall be presided over by the District Magistrate of the district concerned or if he himself is unable to preside such meeting for reasons to be recorded by any other officer not below the rank of Magistrate of the first class appointed by the Collector.

(b) No meeting convened for the purpose of considering such Motions shall beajourned."

अध्यक्ष महोदय, [४] और [५] ये इस प्रकार की उप धाराएं हैं जिनके कारण यदि मिटिंग देर से बुलाई जाय इस कारण से अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रख सकते हों, नोटिस की सूचना ७ दिन पहले दी जाय इस कारण से नहीं रख सकते हों, यदि ११५ के स्थान पर ११३ भी हो गया और उस कारण से भी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रखा हो और हमारे सत्तारूढ़ दल ने यह चाहा कि किसी तरह से अविश्वास के प्रस्ताव को रोका जाय ताकि कुछ समय में अविश्वास का प्रस्ताव जिन लोगों ने रखा है उनको अपने पक्ष में करके अविश्वास के प्रस्ताव को गिरा दें तो यह व्यवस्था होगी कि जिस प्रेसकाइब्ड ओथोरिटी के पास मोशन भेजा जाता है उसके अलावा कोई व्यक्ति उस मिटिंग को प्रेसाइड नहीं करेगा। इसके अलावा यह भी बात रखी गई है कि वह व्यक्ति नियत टाइम के आधा घंटा के अन्दर अन्दर यानि जिस तारिख को जिस समय पर मिटिंग कन्वीन की गई है उस समय के आधा घंटा बाद तक नहीं पहुंच पाता है तो वह मीटिंग एडजोर्न करदी जायगी और दुबारा मीटिंग बुलाने के लिये ७ दिन का नोटिस फिर देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अविश्वास का प्रस्ताव जिस दिन आयगा उससे २० दिन पहले तो मीटिंग नहीं बुलाई जा सकेगी, यानी २० से ३० दिन का समय तो उसमें निकल गया। फिर उस दिन प्रेसाइड करनेवाला नहीं आया और दुबारा जब मीटिंग काल की जायगी तो ७ दिन का तो नोटिस ही दिया जायगा इस तरह से एक महिने से भी ऊपर समय निकल जायगा और उसके बाद वह अविश्वास का प्रस्ताव आयगा। तो वह कहेगा कि अमुक कारणों से मैं प्रोसाइड नहीं कर सका था। फिर एक महीना बीत जायगा। तो ऐसा होगा कि यदि कोई प्रोसाइडिंग ओफिसर बदनीयती से यह निश्चय करले कि इस प्रस्ताव को विचारार्थ नहीं लाया जाय तो वह कह सकता है कि मैंने गाडी मिस कर दी या मेरे कोर्ट में इम्पोर्टेंट केस आ गया इसलिये नहीं अटेन्ड कर सका। मैंने पहले भी कहा था कि सुजानगढ़ नगरपालिका के केस में ऐसा ही हुआ। जबर्दस्ती एस.डी.ओ के बीमार पड़ने का कह

[श्री भैंरू सिंह]

दिया गया। उन्होंने देखा कि इसको टालने का और कोई तरीका नहीं है तो एस.डी.ओ. को कह दिया गया कि तुम बीमार हो जाओ, उसने ऐसा ही किया और वह मामला पोस्टपोन कर दिया गया। यदि सरकार चाहे कि यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाना है तो वह ऐसा कर सकती है। आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान में म्युनिसिपेलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्डस और पंचायतों में बड़ी धांधलेबाजी चल रही है और निश्पक्षता से कोई भी काम नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष—Ho it is all relevant?

श्री भैंरू सिंह—मैं रिलेवेन्ट बातें ही अर्ज कर रहा हूँ। ऐसे वातावरण में पूर्णत: विश्वास नहीं है कि जैसी व्यवस्था कानून में कर रहे हैं उसी के अनुसार काम होगा और उसका पालन होगा। वैसी सूरत में यह निवेदन करना पड़ेगा कि प्रेस्क्राइब्ड अंथोरिटी को हाउस तय कर दे और यह भी तय करदे कि यदि अनअवोइडेबल रीजन्स से प्रोसाइडिंग ओफिसर उपस्थित नहीं हो सकता तो वह किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अधिकार देदे कि वह उसके बदले में प्रेसाइड करदे। इसलिये मैंने कहा है कि प्रेस्क्राइब्ड अंथोरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। उसके पास अविश्वास का प्रस्ताव लेकर जाते हैं और २० और ३० दिन का प्रोविजन रहते हुए ७ दिन का नोटिस देते हैं तो जिस दिन मीटिंग होने वाली है उस दिन लाजमी तौर से हो इसलिये या तो कलेक्टर खुद जाकर प्रेसाइड करे और यदि वह किसी कारण से नहीं जा सके तो किसी मजिस्ट्रेट को भेजे जो प्रेसाइड करके अविश्वास के प्रस्ताव का निर्णय करे। यदि जिस रूप में उप धारा है उसी रूप में उसे स्वीकार करेंगे तो बहुत गड़बड़ी होगी। एडजोर्न करने का मसला मामूली नहीं है। बड़ी मुश्किल से अविश्वास के प्रस्ताव आते हैं। सरकार की तरफ से दबाव डाला जाता है इस पर भी यदि इस तरह का प्रोविजन रखा जाय तो यह अन्याय होगा। प्रेस्क्राइब्ड ओथोरिटी मानकर अधिकार लेना चाहिये कि अपनी अनुपस्थिति में वह किसी को प्रेसाइड करने का अधिकार दे दे लेकिन किसी भी तरह उक्त मीटिंग को एडजोर्न नहीं करे, तो यह व्यवस्था ठीक होगी।

आगे का मेरा संशोधन है सब क्लॉज (६) के बारे में। डिलीट दि सब क्लॉज। सब क्लॉज इस प्रकार है:—

"If the motion is not carried by a majority specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (9) of section 47 or if the meeting can not be held for want of a quorum, no notice of any subsequent motion of non-confidence in the same Chairman shall be received until after the expiry of a period of six months from the date of the meeting."

अब क्लॉज़ ४७ बता देता हूं माननीय अध्यक्ष; क्लॉज ४७ में है:—

[श्री भैंरू सिंह]

"(9) Every Chairman and every Vice-Chairman of a Board shall forthwith be deemed to have vacated his office—

(a) If a resoluton expressing want of confidence in him is passed by the votes of not less than two-thirds of the whole number of members a special general meeting convened for the purpose."

यदि विश्वास का प्रस्ताव आता है और उसमें इन सारी दिक्कतों के बाद...

श्री अध्यक्ष—This is (a), (b) and not (a) (a).

श्री भैंरू सिंह (१६)—"(b) If resolutions expressing want of confidence in him are passed by the votes of more than one half of the whole number of members at special general meetings convened for the purpose within an interval of not less than two months and not more than four months from each other."

इसका मतलब यह है दो सूरतें हैं, माननीय अध्यक्ष, चेयरमेन को हटाने की अविश्वास का प्रस्ताव आया उसमें दो तिहाई लोगों का मत अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में हो तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर दो तिहाई सदस्य पक्ष में नहीं हों और दो महिने से ४ महिने के समय में अविश्वास का प्रस्ताव आया हो तो उसमें आधे से ज्यादा सदस्य पक्ष में हों और दो प्रस्ताव हों तो चेयरमेन को हटाना पड़ेगा।

तीसरी शर्त रख दी है कि दो प्रस्ताव नहीं आ सकेंगे किसी भी ६ महीने के पीरियड में यदि प्रस्ताव गिर गया हो।

मेरी समझ में नहीं आता कि अविश्वास के प्रस्ताव में कड़ी पाबन्दियां क्यों डाल रहे हैं? चाहिये तो यह था कि अविश्वास का प्रस्ताव आया तो उस पर विचार करने को तैयार रहें। समय की पाबन्दी के बाद, प्रेसाइडिंग ओफिसर द्वारा गड़बड़ी करने के बाद, सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहें तो इसमें पाबन्दियें डाल दें, दो तिहाई सदस्य पक्ष में नहीं होंगे तो वह अविश्वास का प्रस्ताव गिर जायगा, उसके बाद यह पाबन्दी रखी कि आधे से ज्यादा सदस्य उसके पक्ष में होंगें तो प्रस्ताव पास होगा, फिर यह रख दिया कि दो प्रस्ताव नहीं आयेंगे तो नहीं हटाया जायगा। इस प्रकार की पाबन्दियें क्यों रखी जा रही हैं, क्यों नहीं स्पष्ट रूप से करदी जाय कि चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास का कोई प्रस्ताव आ ही नहीं सकता, तो हमें समझ में तो आ जायगा कि यह सरकार नहीं चाहती कि चेयरमेन के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव आये। यदि सरकार चाहती है तो सीढ़ी दर सीढ़ी बार बार ऐसी पाबन्दियां क्यों डालना चाहती है। अविश्वास का प्रस्ताव आया उस

Page No 66

[श्री भैरू सिंह]

समय ४ आदमी बीमार हो गये या ट्रेन मिस हो गयी तो मीटिंग एडजोर्न नहीं होगी, प्रेसाइडिंग ओफीसर ट्रेन मिस हो गयी या बीमार हो गया तो मीटिंग एडजोर्न हो जायगी, परन्तु वोट देने वाले कोई बीमार हो जायं या ट्रेन मिस हो जाय तो वह प्रस्ताव गिर जायगा और अगर वे फिर चाहें कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो उस प्रस्ताव के पक्ष में आधे से ज्यादा सदस्य होने चाहिये। यह स्पष्ट रूप से सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है। यदि प्रेसाइडिंग ओफिसर की बीमारी के कारण मीटिंग एडजर्न हो जाती है तो मेम्बर्स के लिये भी यह व्यवस्था होनी चाहिये कि वे बीमार हो जायं या ट्रेन मिस हो जायं, तो वे दुबारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। जो चेयरमैन बहुमत से चुना जायगा उसको हटाने के लिये यह पाबन्दी रखी है कि २।३ सदस्य अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हों तो उसे नहीं हटाया जा सकता। चुनाव में बहुमत का तरीका अपनाया है तो हटाने में भी यही तरीका क्यों नहीं अपनाते कि बहुमत में अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो उसे हटना पड़ेगा।

मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की अव्यवस्था इस अविश्वास के प्रस्ताव को लेकर इस कानून में की गई है वैसी कहीं नहीं की गई होगी। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे उदाहरण लेना चाहेंगे तो सदन के बाहर उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार सरकारी अधिकारियों के इशारे पर अविश्वास के प्रस्ताव को टाला गया है।

(घंटी)

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे उत्तर दें उससे पहले जानकारी कर लें और सदन के बाहर जानकारी करना चाहें तो इस क्लॉज को डेफर कर दें। मैने जो संशोधन रखा है वह उचित है, दूसरे प्रोविन्सेज़ की म्यूनिसिपेलिटीज हैं उनके कानून में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, उसमें मामूली अन्तर है, उसको दूर करने के लिये एडजस्ट किया जा सकता है।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैने जो संशोधन रखा है वह बहुत उचित है इसलिये उसे अवश्य स्वीकार करें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—माननीय अध्यक्ष....

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, पहले मैं खड़ा हुआ हूं मुझे बोलने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष—Order! Order!! जो मेम्बर, क्लॉज शुरू होते ही शुरू से पार्टीसिपेट करते हैं तो वे बोलें पर जो बाद में आयें, पहले सदन से बाहर रहें और बोलने के लिये फिर सदन में बाद में आयें और बोलना चाहें तो उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। Yes, Reply please.

श्री बद्री प्रसाद—माननीय अध्यक्ष,....

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह तो ज्यादती करते हैं साहब, बोलने का तो हमारा अधिकार है....

श्री अध्यक्ष—हाउस में तो मौजूद रहते नहीं, कोरम के लिये लोगों को बुलाना पड़ता है और बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं। इस तरह इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं बराबर ८ बजे से बैठा हूं।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, बोलने का तो समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! सुना तो है नहीं और कहते हैं बोलने का समय देना चाहिये। हां आप जवाब दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—म्युनिसिपेलिटी के....

श्री मुक्तिलाल मोदी—बोलने को तो....

श्री मानसिंह महार—बोलने को तो....

श्री अध्यक्ष—Order ! Order ! I Will not allow those members who do not wait and watch the proceeding of the House.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—जो सपोर्ट करता है उसको बोलने का अधिकार है माननीय अध्यक्ष,

श्री अध्यक्ष—मैंने दिखलाई देने के लिये कह दिया तो आपको नहीं बोलना चाहिये, इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—माननीय अध्यक्ष,....

श्री मुक्तिलाल मोदी—बोलने का तो हमारा अधिकार है साहब, मैं सुबह से यहीं पर बैठा हूं....

श्री अध्यक्ष—आप अगर इस तरह डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कहूंगा आप बाहर चले जायं।

श्री मानसिंह महार—यही कह दिया जाय माननीय अध्यक्ष....

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष—आप जवाब सुनिये, फिर बोलिये....

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, फिर क्या आप बोलने की इजाजत देंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—फिर तो आप बोलने नहीं देंगे। अभी पहले मैं खड़ा हुआ हूं मन्त्रीजी बाद में खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—Order! The Hon'ble member has no right. I have given the possession of the House to the member in-charge of the Bill.

श्री मुक्तिलाल मोदी—हमारा बोलने का अधिकार है, फिर भी आप बोलने नहीं देते हैं। जब बाहर जाने का कहेंगे तो बाहर चले जायगे।

श्री भैंरू सिंह—यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—order please! This is no way. यह कोई तरीका नहीं है कि इस तरह से इन्टरप्शन्स करते हैं। आपको प्रोसिडिंग्स में पूरा पार्ट लेने का अधिकार है, पर हाउस छोड़ कर चले गये, कुछ भी सुना नहीं और किसी स्टेज में आयें और कहें कि हमें बोलने का अधिकार है। यह कोई तरीका नहीं उनका जवाब सुनिये, फिर बोल सकेंगे।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं इसके लिये क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, जवाब सुनने के बाद क्या दूसरे सदस्य हैं उनको बोलने का मौका दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—No clarification. Come to order please! This is no way to interrupt the proceedings of the House.

श्री भैंरूसिंह—चूंकि अधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—किसी को कोई अधिकार नहीं, बोलने देने का अधिकार मेरा है। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं यह देखूं कि सदन की प्रोसिडिंग ठीक तरह से चलें। आप लिमिट्स में रहिये।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह हमारे अधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—आपको कोई अधिकार नहीं। बोलने देने का अधिकार मेरा है। माननीय सदस्य अधिकार चाहते हैं बोलने का, पर कुछ सुना तो है नहीं। पहले जवाब सुन लीजिये, फिर बोलिये।

श्री मानसिंह महार—फिर बोलने का अधिकार दिया जायगा क्या साहब ?

श्री अध्यक्ष—We are not going to pass it here and now.

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं फिर क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। मैं चुप नहीं रहूँगा। सदन के अधिकार का प्रश्न है........

श्री अध्यक्ष–Don't interrupt the procedings of the house please Order ! Order !! आप बोलिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय सदस्य ने जो बातें....

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, आपको इसके लिये तो कुछ करना पड़ेगा, मैं पहले खड़ा हुआ हूँ, उधर के भी सदस्य चले जाते हैं....

श्री अध्यक्ष—आप इनका जवाब सुन लीजियेगा अगर आपको संतोष नहीं होगा तो...........

श्री मानसिंह महार—फिर बोलने का मौका दिया जायगा क्या साहब ? बोलने का हमारा अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—आप अभी आये हैं, उनका जवाब सुना नहीं और कहते हैं कि बोलने का अधिकार है ।

श्री मानसिंह महार—हम लोग जो बातें कहेंगे उनके सुनने के बाद ही तो वे जवाब देंगे साहब ।

श्री अध्यक्ष—Order please ! Come to order please. This is no way. Come to order please. You have no right to interrupt the proceedings of the House in this way.

श्री मानसिंह महार—I am not inierrupting.

श्री मुक्तिलाल मोदी—हमारा बोलने का अधिकार नहीं है क्या, आप कह दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—इस तरह से आप कोई कन्वेन्शन कायम नहीं कर रहे हैं । यह अच्छी बात नहीं होगी कि आर्डर कॉल करूं और नहीं माने तो बाहर जाने को कहूं ।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह अधिकार का प्रश्न है, इसके लिए हम बाहर जाने को तैयार हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वे मंत्री साहब उठे उससे पहले मैं उठकर खड़ा हुआ हूँ, बाद में उठता तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—आप इनका जवाब सुन लीजिए । अगर आपको इससे संतोष नहीं होगा तो इसको डेफर कर दिया जावेगा, ताकि आउटसाइड दी हाउस इस पर विचार कर लें ।

श्री मानसिंह महार—हमको पहले सुनना तो चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—मैंने जब इनको कॉल कर दिया तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं तो पहले उठ गया था साहब। मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order please !

(घंटी)

(श्री बद्रीप्रसाद को संबोधित करते हुये) आप जवाब दीजिए।

श्री भैंरूसिंह—आप इसको डेफर कर देंगे, उसके बाद में किस तरह से डिबेट होगी ?

श्री अध्यक्ष—For that, I have got the powers.

(विराम)

If It is not settled by his reply, I will look to it.

श्री भैंरूसिंह—हमें डिबेट करने की इजाजत मिल जावेगी ?

श्री अध्यक्ष—मैंने कह दिया फिर भी आपको विश्वास नहीं होता....

श्री भैंरूसिंह—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—पहले आप इनका जवाब सुन लें उसके बाद....

श्री भैंरूसिंह—उसके बाद हमें डिबेट करने का मौका कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष— I will do full justice to the opposition.

(घन्टी)

Order please ! Order !! Yes, Shri Gupta.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५४ चेयरमेन के खिलाफ अविश्वास के, प्रस्ताव लाने के बारे में है। इसमें दो पोइन्ट हैं। हमने जो सिलेक्ट कमेटी में प्रोविजन रखा है वह यह समझ कर रखा है कि बोर्ड के सदस्यों में आपस में सहयोग की भावना रहे और बोर्ड का काम सुचारु रूप से चल सके। इसलिये हमने ⅔ सदस्यों की संख्या रखी है। अभी इसमें जो संशोधन रखा गया है उसके बारे में जो दृष्टिकोण बताया गया

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है वह यह है कि बोर्ड के सदस्यों के कार्य को क्रिटीसाइज करने के लिये नो कोनफीडेन्स का मोशन रखा जाता है। मैं यह कहूँगा कि गवर्नमेंट को क्रिटीसाइज करने के लिये नोकोन्फीडेन्स का मोशन रखना फन्डामेंटली गलत है। अगर आप इस प्रकार का प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो लाइये हम इससे इनकार नहीं करते। अगर आपके पक्ष में ११३ सदस्यों की मेजोरिटी नहीं है तो नहीं ला सकते। आप यह चाहते हैं कि ११३ सदस्यों की मेजोरिटी के बजाय ११५ सदस्यों की मेजोरिटी करदी जावे ताकि गवर्नमेंट को क्रिटीसाइज करने के लिए आप प्रस्ताव ला सकें।

श्री भैरूं सिंह—Nagrpalika is not a goverment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो पार्टी पॉवर में हो उसको हटाने के लिए आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पक्ष में ११३ सदस्यों की मेजोरिटी नहीं है तो आप अविश्वास का प्रस्ताव नही ला सकते। आप महज क्रिटीसाइज करने के लिए यह पॉवर चाहते हैं यह बात बाजिब नहीं होगी। इस प्रकार महेज क्रिटीसाइज करने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाना फन्डामेंटली रोग है और इसको मैं मंजूर नहीं कर सकता। जब आपके पास ११३ सदस्यों की मेजोरिटी नहीं है और आप अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते हैं यह न्यायोचित बात नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई कि २० रोज का समय नहीं दिया जावे। मैं यह कहूँगा कि २० रोज का समय तो कम से कम दिया जाना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अन्दर जब प्रस्ताव आवेगा तब वह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जावेगा और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अमूमन कलेक्टर होगा। वह कलेक्टर से कम नहीं होगा। हर एक म्युनिसिपेलिटी का हेड क्वाटर वहीं पर नहीं होता। जयपुर में बहुत सी म्युनिसिपेलटीज़ हैं मगर उनका सबका हैड क्वार्टर जयपुर में तो नहीं है? इस-लिये वहां पर इत्तला भेजने के लिये भी समय चाहिए। अगर इसके लिये २० रोज का समय नहीं दिया गया तो मैं यह कहूँगा कि लोगों को इत्तिला नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि यह आपका एमेन्डमेंट आपके ही आरगूमेंट के खिलाफ जाता है। इससे आपको ही दिक्कत आने वाली है ४ रोज का समय बहुत कम रहता है। इसलिये हमने काफी समय इसमें रखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफीसर को समय नहीं हो और वह किसी काम में लगा हो तो वह एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट को अगर वह चाहे तो पॉवर डेलीगेट कर देगा। इसलिये इसमें भी समय लगेगा ही।

अब रही बात एडजोर्नमेंट की। मुझे तो आपने जो बातें बताई उस तरह का कोई अनुभव नहीं है। इसलिये मैंने कभी उन पर विचार नहीं किया। अगर प्रिसाइडिंग ओथरिटी जैसा कि आप कहते हैं, उनके पास बहुत काम करना पड़ा रहता है, बहुत से एनोजमेंट हो सकते हैं और किसी वजह से नहीं पहुँच सकता है तो एडजोर्न की जा सकती है। अगर आप उसको यह पॉवर नहीं देते तो एडजोर्न नहीं कर सकते। यदि यह पॉवर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ६ महीनों तक कोई मीटिंग नहीं बुलाएगा। इसके अलावा मीटिंग एडजोर्न नहीं हो ऐसा प्रोवीजन कहीं पर भी नहीं है। इस प्रोवीजन को तो रखना ही पड़ेगा।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

जहां तक क्लॉज ६ में अमेंडमेंट रखा है, उसका प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि जब एक बार अविश्वास का प्रस्ताव फेल हो जावे तो उसको दुबारा कब लिया जा सकता है? उसके लिये समय मुकर्रर किया गया है। अगर म्युनिसिपैलटी के सदस्यों को हेरास करने का ही सिद्धान्त हो तो वह बात अलग है। अगर आप यह चाहते हैं कि बोर्ड का काम सुचारु रूप से चले तो एक बार जब अविश्वास का प्रस्ताव फेल हो जाता है तो यह लाजिमी है कि ६ महीनों पहले उस प्रकार का प्रस्ताव वापिस नहीं लाया जावे। हमें अमूमन यह अनुभव हुआ है कि जब इस प्रकार के अविश्वास के प्रस्ताव आते हैं और फेल हो जाते हैं तो मालूम हो जाता है कि कितने वोट से फेल हुआ है, तो इधर उधर मेम्बरों को तोड़फोड़ कर फिर अविश्वास का प्रस्ताव लाने में लगे रहते हैं। अगर ६ महीनों की अवधि रखी रहेगी तो बोर्ड का काम ठीक तरह से चलता रहेगा और अगर यह अवधि नहीं रही तो लोग तोड़फोड़ में लगे रहेंगे और काम ठीक तरह से नहीं चलेगा। इसलिये नगरपालिका के काम को ठीक तरह से चलाने के लिए चेयरमेन को मौका दिया जाए और बोर्ड को ठीक तरह से काम करने का मौका दिया जाए। अगर आप एक बार अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसको पास नहीं कर सकते हैं तो ६ महीनों तक दूसरा प्रस्ताव नहीं ला सकते।

अब नोटिस का प्रश्न है। आपने २० दिन का नोटिस दिया उस वक्त अगर कोरम पूरा नहीं हो तो उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिए। इस कारण से नहीं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उपस्थित नहीं हो। अगर बोर्ड के सदस्य नहीं आते हैं और कोरम पूरा नहीं होता है और मेम्बरों की कमी के कारण प्रस्ताव फेल होता है तो ऐसी हालत में यह कहा जाता है कि ६ महीनों का समय मिलना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि हम लोगों को आपस में मिल कर काम करने की आदत होनी चाहिये जिससे कि म्युनिसिपैलिटी का काम ठीक तरह से चले। होना तो यह चाहिए कि इस प्रकार काम नहीं करने वालों को डिसकरेज किया जाना चाहिए और काम करने वालों को एनकरेज किया जावे। इसलिये इस तरह का प्रस्ताव दो तिहाई की मेजोरिटी से पास होकर लाना चाहिए था। मगर हमने तो १।३ का ही प्रोविज़न रखा है और मैं समझता हूँ कि यह बहुत लिनीयेन्ट व्यू रखा है। यह पास होना चाहिये। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी ने बहुत सोच समझ कर इसको रखा है।

मैं माननीय सदस्यों से अन्त में निवेदन करूंगा कि मैंने जो कुछ कहा है उससे आपको संतोष हुआ होगा और आपने जो अपने प्रस्ताव रखे हैं उनको वापिस लेने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों की इस क्लॉज पर भावनाओं को पहले से ही जानता था और मैं यह चाहता था कि हाउस में जैसा वातावरण है उसको देखते हुए इस पर बहुत ज्यादा बहस न होकर सरकारी पक्ष को सुन लिया जाये और उसके बाद इस क्लॉज को डेफर कर दिया जावे, ताकि उसके बाद उभयपक्ष आउटसाइड दी हाउस इस पर विचार करलें, और फिर विचार-विमर्श के बाद इस पर बहस करलें। इससे यह मंशा नहीं कि किसी को बोलने नहीं दिया जावे। मगर एक बात मैं यह कहूंगा कि जो सदस्य यह चाहते हैं कि उनकी राय का लाभ सदन को

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

मिले वे कृपया इस सदन में हाजिर रहें और देखें कि उन्हें उचित समय पर बोलने के लिये समय मिलता है या नहीं ? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सदस्य एमेंडमेंट रख दें और बाहर घूमते फिरें और एमेन्डमेंट करीब करीब खत्म होने को हो उस समय आयें और लेक्चर झाड़ कर वापिस चले जावें । यह बात उनको शोभा नहीं देती । उनको चाहिये कि वे उसको पूरी तौर से, सब बातों को सुन कर, अपनी राय का लाभ सदन को दें और इस बारे में कोई मिथ्या धारणा करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके बोलने के अधिकार छीने जा रहे हैं । उनके अधिकार छीने जा रहे हों, ऐसी बात नहीं की जा रही है । जब कि इस बिल का क्लॉज़ बाई क्लॉज कन्सीडरेशन हो रहा है, जो माननीय सदस्य इस संबन्ध में तैयार होकर आते हैं वे अमेन्डमेन्ट देते हैं और जिनको दिलचस्पी है, इसमें वे बैठे रहते हैं और जो कुछ भी उनको कहना होता है कहते हैं । इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आपके किसी अधिकार को छीना जा रहा है, यह भावना नहीं रहनी चाहिये ।

(विराम)

क्लॉज़ ५४ को डेफर करते हैं । नो कोन्फीडेन्स मोशन के बारे में हमेशा दिक्कत रहती है । विरोधी दल के माननीय सदस्य यह मान बैठे हैं कि सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव हो लेकिन यह तो चेयरमेन लोकल बोडीज़ के बारे में है ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—चेयरमैन नाकाबिल हो तो क्या करें ।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में अन्य भी तरीके हैं । जिनको काम में लाया जा सकता है, और भी फोर्म हैं, और भी तरीके हैं । क्लॉज ५४ है इसको आप फिर देख लें । (सदन की सम्मति से यह क्लॉज डेफर किया गया)

(विराम)

क्लॉज़ ५५

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, मैंने भी इस क्लॉज के संबन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । इससे मिलता जुलता जो क्लॉज़ ४७ है उसे सदन स्थगित कर चुका है, उसको विचारार्थ आगे लिया जायगा । यह क्लॉज़ शहरों की म्युनिसिपैलिटियों से संबन्धित है ।

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है वह केवल नाम बदलने के लिये है । शहर की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमेन को चेयरमेन कहने के बजाय प्रेसीडेन्ट कहा जाय, वाइस चेयरमेन को वाइस प्रेसीडेन्ट कहा जाय । इसी तरह से म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य के नाम मेम्बर्स के बजाय कौन्सिलर्स हों । और एक्ज़ीक्युटिव ओफिसर्स की जगह म्युनिसिपल कौन्सिलर्स हों । यह मेरे

Page No 74

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

संशोधन है, "म्युनिसिपल बोर्ड. के बजाय 'म्युनिसिपल कौन्सिल' हो।" ऐसा आश्वासन भी गये सत्र में दिया गया था माननीय मंत्री महोदय की तरफ से, आशा है मेरे इन सुझावों को माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री भैरूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज ५५ के विरोध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं इस क्लॉज के अनुसार........

श्री अध्यक्ष—Against the amendment or the clause itself ?

किस क्लॉज का विरोध करते हैं आप ?

श्री भैरूसिंह (जारी रखते हुए)—Against the clause itself. अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में व्यवस्था की गई है कि :

(1) In every city there shall be an executive committee of the board consisting of—

(i) the Chairman of the Board,

(ii) the Vice-Chairman of the Board,

(iii) seven members of the board electeld by the board, and.

(iv) the Chairman of Committees constitutld by the Board under sub-section (4).

(2) The Executive Officer of the Board shall ex-officio. be the secretary of the executive committee."

माननीय अध्यक्ष, मैं इस क्लॉज का विरोध इस कारण कर रहा हूँ कि हमने दो प्रकार की नगरपालिकाओं को माना है; एक नगरपालिका टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ के नाम से होगी जिनकी आबादी ५० हजार से कम होगी। दूसरी नगरपालिका सिटी म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानी जायगी जिसकी जन संख्या ५० हजार से ऊपर होगी। जहां पचास हजार से ऊपर वाली म्युनिसिपलिटीज सिटी म्युनिसिपलिटीज़ हैं उन सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ में एक एकजीक्युटिव कमेटी होगी। इसकी व्यवस्था हम इस धारा में करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष, अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि पचास हजार से ऊपर वाली नगरपालिकाओं में एकजीक्युटिव कमेटी की आवश्यकता है या नहीं ? जहां तक दूसरे प्रोवीन्सेज़ का प्रश्न है वहां के लिये मैं निवेदन करूंगा, देहली जैसे शहर में, कलकत्ता-बम्बई जैसे शहर में अगर

[श्री भैंरूं सिंह]

नगरपालिकाओं की कार्यकारिणी बनती है तो कोई आपत्ति नहीं लेकिन कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जहां पर कुल सदस्यों की संख्या २८, ३१, और २६ के लगभग होती है वहां पर पचास हजार से ज्यादा आबादी होने की वजह से २६ सदस्यों में भी एक्जीक्युटिव कमेटी बन जाती है, वह कमेटी कितनी सार्थक हो सकती है यह हमें सोचना है। जहां मेम्बर्स की कुल संख्या ३२ हो उसमें से सात सदस्यों को लेकर कार्यकारिणी बनाई जाय, यह इस क्लॉज़ का मतलब है। उस कार्यकारिणी को क्या अधिकार होंगे कि जो नगरपालिका की आर्डिनरी मीटिंग होती है या जो जनरल मीटिंग में डिसकशन होते हैं और जो डिसीजन्स लिये जा सकते हैं वह डिसीजन उसी प्रकार के निर्णय एजीक्युटिव कमेटी भी ले सकती है, ऐसे अधिकार हम इस धारा में एक्जीक्युटिव कमेटी को दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्जीक्युटिव कमेटी निर्णय करेगी वह निर्णय सारे बहुमत पर लागू होगा। जो एक्जीक्युटिव कमेटी ने निर्णय कर दिया वह हम न तो जनरल मीटिंग में रख रहे हैं और न उसके डिसीजन को ही रख रहे हैं। अगर उस एक्जीक्युटिव कमेटी के निर्णय को एप्रूव करने के लिये जनरल बोडी में रखें, ऐसी व्यवस्था एप्रुवल के बारे में सारे कानून में कहीं नहीं है। एक्जीक्युटिव कमेटी को क्या क्या पावर्स होंगे, वे आगे की धारा में लिखे हैं।

"The Executive Committee may exercise and shall perorm and discharge such powers, duties and functions as are delegated to it under section 61."

हम धारा ६१ में जाकर यह व्यवस्था करते हैं कि अमुक अमुक प्रकार की एक्जीक्युटिव कमेटीज़ होंगी, उनमें जनरल कमेटीज़ भी हैं और एक्जीक्युटिव कमेटीज़ भी। वैसी सूरत में माननीय अध्यक्ष, एक्जीक्युटिव कमेटी बिल्कुल बेकार है। किसी भी शहर में जहां के म्युनिसिपल बोर्ड में २८ सदस्य हों उनमें से दस आदमियों की एक्जीक्युटिव कमेटी बनायें, इसमें सेन्स क्या है? अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो स्पेशल तौर पर जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं ऑर्डिनरीली इमरजेन्सी मीटिंग में सारे सदस्यों को इकट्ठा करके विशेष निर्णय लिये जा सकते हैं। इसलिये यह दुतरफा जो नीति बरती जा रही है वह केवल इसलिये कि एक्जीक्युटिव कमेटी की आड़ में जनरल कमेटी को चलाये ताक में रखाना चाहते हैं। इसमें भी हमने जब छोटी छोटी कमेटियों को बनाने के लिये प्रोवीजन रखा है; जैसे हेल्थ कमेटी, सफाई कमेटी एज्युकेशन कमेटी और भी अनेक प्रकार की कमेटियां हम इस म्युनिसिपल बिल में बनाने जा रहे हैं, सभी आवश्यक विषयों को लेकर छोटी छोटी कमेटियां बनाई जा रही है, तो वहां एक्जीक्युटिव कमेटी की आवश्यकता क्या है? जब सारे सदस्य मिलकर हर विषय की अलग अलग छोटी कमेटियां बना देते हैं तो फिर उसके बाद इस कमेटी को केवल एक काम के लिये बनाना कोई भी चीज इससे पास करवाई जा सकती है क्योंकि इसमें चेयरमेन द्वारा चुने हुए ही आदमी रहेंगे, एक्जीक्युटिव कमेटी का चुनाव नहीं होगा, चेयरमेन अपनी मरजी से एक्जीक्युटिव कमेटी को नोमीनेट करेंगे, सारी की सारी मिली भगत होगी, जो चीज़ वे जनरल मिटिंग में तय नहीं करा सकते वे इसमें तय हो सकती हैं और उसको लागू करने में किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। इस तरह से जो भी काम

[श्री भैरूंसिंह]

वे नगरपालिका के क्षेत्र में करवाना चाहेंगे करवा लेगें इस एक्जीक्युटिव कमेटी के जरिये। इस धारा में जो इस कमेटी के बनाने की व्यवस्था की गई है उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। इस धारा के उस भाग की तो आवश्यकता है जिस भाग में अन्य कमेटियां बनाने का उल्लेख है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस धारा के ऊपर के हिस्से को तो लोप किया जाय क्योंकि यह एक अनावश्यक कमेटी बन रही है, सारे पॉवर्ज के केन्द्रीभूत करने के लिये यह अनावश्यक कदम न उठायें तो अच्छा हो।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५५ के सारे मुद्दों का, सिवाय एक मुद्दे को छोड़ कर, मैं विरोध करता हूं। मेरी राय के अन्दर नगरपालिकाओं में जो एक्जीक्युटिव कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है वह अनुचित है। राजस्थान के अन्दर कोई भी बम्बई और कलकत्ता जैसा बड़ा शहर नहीं जहां पर इतने ज्यादा म्युनिसिपल कौन्सिलर्स हों, जहां मीट करने में बहुत दिक्कतें आती है वहां तो डे टू डे वर्किंग के लिये किसी प्रकार की कार्यकारिणी बनाई जाय। मैं यह समझता हूँ कि हमारे राजस्थान में जो बड़े से बड़े शहर हैं जहां के म्युनिसिपल बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा ४५ सदस्य हैं। इसके अन्दर सात आदमियों की मेरे मित्रों ने तो अभी कोटा-उदयपुर की मिसाल दी। मैं तो जयपुर को भी लेकर चलता हूं कि यहां भी चेयरमेन ऑफ दी बोर्ड, वाईस चेयरमेन ऑफ दी बोर्ड, सेवन मेम्बरर्स ऑफ दी बोर्ड इलेक्टेड बाई दी बोर्ड, ६ तो ये हो गये। इसके अलावा सब सेक्शन (४) के नीचे कमेटीज बनेंगीं। उनके चेयरमेन तो कम से कम पांच छः सब कमेटीज के हो जावेंगे। इस प्रकार १४।१५ आदमियों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जावे जो कि उस ४० आदमियों के बोर्ड के फंक्शन को अदा करे। यह उचित बात नहीं है।

हमारे समक्ष उपधारा (४) के अन्दर सब कमेटीज बनाने का प्रस्ताव रक्खा हुआ है। वे सब कमेटीज सब प्रकार के कामों के लिये तीन तीन चार चार आदमियों की बनेंगी और अपने अपने क्षेत्र में प्रगति से काम करेंगी। ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी और थोपी जावे म्युनिसिपल बोर्ड पर, यह उचित बात नहीं है और एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी क्या होगा कि उसका चुनाव वहां बहुमत के आधार पर होगा और उसमें जिस गुट्ट का बहुमत होगा उसके आदमी चुन कर आवेंगे। उसके अन्दर चुन कर आने से एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होगी वह गुट्ट विशेष की हो जावेगी, उसको इतना अधिकार नहीं होगा कि वह सबको रिप्रेजेन्ट कर सके। तो एक गुट्ट विशेष की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होगी वह जिन बातों में बोर्ड के अन्दर काम करना है उन बातों का विरोध होती देखेगी तो चेयरमेन उस चीज को एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रक्खेगा और वहां पर अपने आदमियों से उस बात को पास कराकर उसे कार्यान्वित करेगा। कहा यह जाता है अध्यक्ष महोदय, कि फिर भी बोर्ड को अधिकार होगा कि वह अगर उचित न समझे तो न करने दे। फिर भी मैं समझता हूं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी रखने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। इस प्रकार की एग्जीक्यूटिव

[श्री मानसिंह महार]

कमेटीज़ रखने से आप बोर्ड के अधिकारों का हनन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैं यह समझता हूँ कि छोटे छोटे कस्बों में इस प्रकार की २५-२८बीस, तीस-तीस आदमियों की एग्जीक्यूटिव कमेटियां रक्खी जावेंगी तो अच्छा काम करने वाली वे नहीं होंगी। मैं यह समझता हूं कि हमको हमारे म्युनिसिपल बोर्ड में ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि सारे मेम्बर्स आधे से अधिक संख्या में बोर्ड के कामों में दिलचस्पी लें। यह नहीं होना चाहिये कि मेम्बर्स यह समझ लें कि हम तो एग्जीक्यूटिव बोडी के मेम्बर हैं, फिर हमारी जरूरत ही क्या है, हम तो महीने दो महीने पार्टी कर लें। उचित तो यह होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था कतई नहीं करनी चाहिये।

मैं यह मानता हूँ कि इसके अन्दर उपखण्ड (४) जो है ५५ में वह उचित है। इसे ऐसा का ऐसा रक्खा जावे। इसको रिनम्बर कर दिया जावे। ५५ में एक ही उपधारा रखली जावे और ऊपर की तीन उपधाराओं को हटा दिया जावे, तो मैं यह समझूंगा कि इसमें ठीक काम रहेगा और कोई प्रकार की गड़बड़ियां हो सकेंगी वे भी नहीं होंगी।

(श्री मुक्तिलाल मोदी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—तैयार हो गये ?

श्री मुक्तिलाल—पूछ तो लिया आपसे। ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, इसलिये ऐसे ही काम चलाता हूं। क्लॉज ५५ में जो भैरूंसिंहजी ने अमेन्डमेन्ट रक्खा है....

श्री अध्यक्ष—नहीं रक्खा है।

श्री मुक्तिलाल—नहीं रक्खा है तो क्लॉज ५५ का विरोध करता हूं। इसके अन्दर जो सरकार की तरफ से जिस तरह का क्लॉज रक्खा गया है और उसमें जिस तरह कमेटी बनाने का प्रोवीजन रक्खा गया है वैसा कहीं नहीं रक्खा गया; असेम्बली में, पार्लियामेन्ट में, इलेक्शन विभाग में कहीं भी नहीं।

श्री अध्यक्ष—किसी दूसरी क्लॉज के बारे में बतलाई होगी आपको यह राय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कमेटी जो भी कर दे वह जनरल बोडी द्वारा तय होना चाहिये। जब कि डेवलपमेन्ट की कमेटी बनी है वहां जो चीज तय होगी है तो वही फाइनल होकर सब जगह लागू हो, यह उचित नहीं होगा, जो म्युनिसिपैलिटी के दूसरे जनरल मेम्बर्स हैं उनकी राय भी ली जानी चाहिये और इसके बाद वह काम होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसकी कि आबादी १२-१३ लाख की होती है वहां भी ऐसी चीज नहीं रक्खी गई तो यहां म्युनिसिपैलिटी में जहां की आबादी दो तीन लाख होती है, क्यों रक्खी जाती है? जनरल मीटिंग में जो चीज ठीक से तय होगी उतनी ठीक से मीटिंग में नहीं हो सकेगी और जनता के लिये भी यह हितकारी होगी। यही मेरा निवेदन है।

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर]

श्री मानसिंह महार—वे तो बोल लिये।

श्री अध्यक्ष—He has a right of reply.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मेरा यह निवेदन है कि क्लॉज़ ५५ जो रक्खा गया है उसका विलोप कर दिया जावे और पहले वाला क्लॉज़ जो मूल Act में था उसे रक्खा जावे क्योंकि हम जो चाहते हैं वह मंशा उस क्लॉज़ के जरिये पूरी हो सकती है।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। धारा ५२ में हम व्यवस्था कर चुके हैं कि हर महीने में एक दफा Board की मीटिंग होगी इसलिये विशेष बात कोई होगी तो उस पर फैसला ऐसी मीटिंग में कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि गैर विशेष काम करने के लिए छोटी छोटी कमेटीज बनाने की व्यवस्था ओरिजिनल बिल में जो धारा है उससे पूरी हो जाती है। इसलिए यह जो न ा सेक्शन ५५ प्रस्तावित किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि ऐसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के बनने से नगरपालिका का फायदा होने वाला नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि आलोचना अधिक होगी क्योंकि इसके द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि सत्ता का केन्द्रीयकरण हो जावे और इसलिये मैं सुझाव रखता हूं कि ओरीजिनल बिल में क्लॉज़ ५५ जैसा था उसे वैसे ही रख लिया जावे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूं कि मूल प्रस्तुत बिल में ऐसा कोई क्लॉज़ ५५ जिस रूप में आया है कि म्युनिसिपल कमेटीज़ के लिए एक्जीक्यूटिव कमेटी के निर्माण करने की ऐसी नहीं थी, किन्तु सिलेक्ट कमेटी ने ही एक्जीक्यूटिव कमेटी को इस बिल में इन्ट्रोड्यूस किया है। उसके कारण मैं आपके सामने, यद्यपि संक्षेप में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में हैं, विस्तृत रूप में रख देना चाहता हूं।

अब जैसा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी ने अमेन्ड किया है और जो धाराएं ५७ से ४९ इस सदन में पारित की जा चुकी हैं उनमें से क्लॉज़ ४९ में चेयरमैन के फन्क्शन्स में यह अगर किया जायगा तो चेयरमेन के अब वह अधिकार नहीं रह सकते हैं। उतने ही अधिकार नहीं हैं जितने कि पहले प्रस्तावित बिल में थे, बल्कि वह अधिकार क्षेत्र पहले से बहुत बड़ा कर दिया गया है और उसका नतीजा यह होता है कि प्रेक्टिस में चेयरमैन ही बोर्ड का रूप ले लेता है। मैं विशेष तौर से उस क्लॉज़ की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें यह बतलाया है कि:—

"Subject to the provision of section 61 and of the Rules for the time being in force to perform such other executive functions as may be performed by or on behalf of the board over which he presides;"

सीधे शब्दों में यदि कोई रूल ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा उसके अधिकारक्षेत्र को एनसरकिल कर दिया है, कुछ घटा दिया गया है, मगर ऐसा नहीं किया जाता। कई बोर्ड्स ऐसे हैं जहां रूल्स नहीं बने हुए हैं, तो नतीजा यह होता है कि चेयरमैन में फुल एक्जीक्यूटिव पॉवर्स वेस्ट हो जाते हैं।

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

जो कुछ भी बोर्ड कर सकता है वही चेयरमैन को भी पूरे तौर से करने का अधिकार इस धारा के के अनुसार दे दिया गया है। यह बिल्कुल अप्रजातान्त्रिक होगा कि एक व्यक्ति चाहे वह चुना हुआ हो, उसको ही सारे बोर्ड के सारे अधिकार उसमें ले लिये जावें। यह चैयरमेन के उन अधिकारों को ठीक रुप में प्रजातान्त्रिक तरीके पर पीनेलाइज करने के लिए, पाबन्दी रखने के लिए आवश्यक है कि शहर में जहां बड़ी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं वहां एकजीक्युटिव कमेटीज बनाई जायं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि चेयरमेन के अधिकार क्षेत्र को एक तरह से एनसरकिल करने के लिए एक्जीक्यूटिव कमेटी की आवश्यकता है, किन्तु और भी कारण हैं जो मैं अभी सदन के सामने उपस्थित करता हूं कि जिनसे उनको यह आवश्यकता हो कि ऐसी एक्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण किया जाना अत्यन्त जरूरी है।

किसी भी बड़े शहर की बड़ी म्युनिसिपेलिटी को देखेंगे तो उनमें कहीं ऐसा नहीं है कि उनमें एक्जीक्यूटिव कमेटी न हो। एक्जीक्यूटिव कमेटी का एक प्रकार का जो प्रतिबन्ध इसमें लगाया है। उन प्रतिबन्धों को रखते हुए यह रहता है कि जितने भी बोर्ड के कार्य संपादित करने के हैं वह एक्जीक्यूटि में विचार किये जाकर बोर्ड के सम्मुख एक तरह से पास कराने के लिए प्रस्तावित किये जायं। एक्जीक्यूटिव कमेटी को ही ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं कि वह एक्जीक्यूटिव कमेटी बिना बोर्ड की मरजी के कार्य को संपादित कर सके। बोर्ड जिस बात का निश्चय करेगा, वोर्ड के निश्चय करने के उपरान्त उस एक्जीक्यूटिव कमेटी का फन्क्शन यह होता है कि उन कार्यों को संपादित कर दिया जाय। फाइनेन्शियल पावर्स एक ऐसी बडी समस्या रहती है कि इसमें कुल फाइनेन्श्यल पावर्स हर बात के लिए बोर्ड में ही रह जाता है अथवा किसी हद तक एक्जीक्यूटिव आफिसर को रहते हैं। वह एक्जीक्यूटिव कमेटी उन सारी बातों को एक एक करके अच्छी तरह से देख सकेगी। यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वह किस रेट पर मिलती है? किसी चीज का कॉन्ट्रेक्ट देना है, उसके टेन्डर जारी हुए है या नहीं, टेन्डर का विज्ञापन ठीक तौर से किया गया है या नहीं, जो टेन्डर जिस वस्तु के लिए दिये गये हैं उनकी ठीक तौर से जांच करली गई है या नही, इत्यादि, इत्यादि।

मैं एक उदाहरण बहुत छोटा सा उपस्थित कर देना चाहता हूं। मान लीजिये कि बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है कि शहर में चार जगह बच्चों के लिए पार्क लगाना है इसके लिये १० हजार की सेन्क्शन दी जाती है, मन्जूरी दी जाती है। चार जगह पार्क कहां कहां लगायें, क्या व्यवस्था होगी; वैसी व्यवस्था में एक्जीक्यूटिव ऑफीसर अथवा चैयरमेन पर छोड दी जाय या चुने हुए लोगों पर वह व्यवस्था हो, यह देखने की बात है। इसलिए एक्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण किया जाना ठीक है कि वह सारी सत्ता, सारे अधिकार किसी एक व्यक्ति में नहीं रह कर जनता के चुने हुए व्यक्तियों में रहें, जो उसके निर्णयनुसार कार्य कर सके, उनके संपादन में सहयोग दे सकें, म्युनिसिपेलिटी की दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया उनके ध्यान में रहे, किस तरह से म्युनिसिपेलिटी में बहुत सी कार्यवाही की जाती है, टैक्स पूरा वसूल किया जाता है अथवा कोई और रुपया बाकी नहीं रहता है, कोई

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

और बेकार खर्चा तो नही किया जाता है, किसी उचित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है अन्यथा। मसलन इसमें शक्ति दी गई है चेयरमेन को कि वह अपने अधिकार से सेक्रेटरी, हेल्थ आफिसर और इन्जीनियर को छोडकर बाकी सब को एप्वाइन्ट कर सकता है, पनिश कर सकता हैं और डिसमिस कर सकता है। चैयरमेन उन अधिकारों का ठीक तौर से काम लेता है या नहीं अथवा वह अपनी मरजी के मुताबिक जिनको चाहे उन लोगों को नौकर रखे और जिनको नहीं चाहे उनको निकाल दे, कहीं ऐसा तो नहीं करता है। उन सब के लिए कोई अपील, चैयरमेन के किसी आर्डर की अपील, बोर्ड में नहीं हो सकती है, क्योंकि बोर्ड को रिप्रेजेन्ट करता है। वह चेयरमेन उन सारे अधिकारों पर एक प्रजातन्त्रिक नियन्त्रण रखने के लिए एक्जीक्यूटिव कमेटी बड़े शहरों में होना नितान्त आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि विरोधीपक्ष के माननीय सदस्य इस दृष्टिकोण से इस एक्जीक्यूटिव कमेटी के निर्माण पर विचार करेंगें और अपना विरोध वापिस ले लेगें।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष—[श्री स्वायत्तशासन मंत्री से] एक बात पूछ लूं कि आपको वह संशोधन स्वीकार है श्री कासलीवाल का।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—yes.

श्री अध्यक्ष— कौन्सिल की डेफिनेशन नहीं है बिल में। बोर्ड की जगह कौन्सिल डेफिनिशन होना चाहिए कौन्सिलर्स का होना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक उनका अमेंडमेंट है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस सिद्धान्त का प्रश्न है कि एक्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं, मैं इसके पक्ष में हूँ कि एक्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण अवश्य होना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है कि उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाय उसमें मेरी राय विपरीत है और उस राय को माननीय मन्त्री महोदय अपने दिमाग में रखकर भविष्य में अगर चुनाव करायेंगे तो मेरा ख्याल है कि उससे वह विरोध वास्तव में खत्म हो जायगा। इसलिए मैं जो कुछ भी निवेदन कर रहा हूँ वह इस आशय से कर रहा हूं कि मन्त्री महोदय उस चीज के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि उसका चुनाव किस प्रकार से होगा? जो इसमें सदस्य रखे गये हैं इलेक्टेड, जिनका चुनाव खास तौर से मेम्बरों में से होगा उन लोगों के लिए ही मेरा खास तौर से संकेत है। अगर ७ आदमी की जरूरत है तो उनका चुनाव

[श्री जवानसिंह]

खाली मेजोरिटी के आधार पर होगा या उसमें कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका चुनाव के लिए अपनाया जायगा ? मैं इस मामले में माननीय मन्त्री महोदय से चाहूँगा कि वे प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member was a member of the Select Committee. He knows better than the Minister.

श्री जवान सिंह—Moreover, what was discussed in the select Committee cannot be explained in the House. 50 naturally when I have a different openion, I may explain.

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member cannot disclose it, how can the Minister disclose it.

वह तो जैसा है वैसा है। The whole Act is there.

श्री जवानसिंह—इस वक्त सदन की जानकारी के लिए माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि भविष्य में चुनाव के लिए तरीका जो अपनाया जायगा वह कौनसा होगा और उसके लिए ही मेरा यह संकेत है। । इसमें केवल इतना ही रखा गया है कि चुनाव किया जायगा। ७ आदमी जो एक्जीक्यूटिव कमेटी में चुने जायेंगे, उनके चुनाव का तरीका नहीं बतलाया गया है। यह मामला रूल्स में छोड़ा जा सकता है। भविष्य में रूल्स सरकार बनायेगी तो चुनाव कराने के लिए कौनसा तरीका अपनाया जायगा ? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम तरह की ओपीनियन उस एक्जीक्यूटिव कमेटी में आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चूंकि १० आदमियों की नगरपालिका है, वे उसके सदस्य हैं, उनमें से छः आदमी तो एक तरफ के हैं और ४ एक तरफ के हैं और कोई एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं तो उन ६ आदमियों की ही बना दी जाय और चार आदमियों के विचारों में उन ६ से जो विरोधाभास रहता है इसलिए उनको उनमें स्थान न दिया जाय और उन लोगों को उनकी व्यूज रखने का मौका न दिया जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विचार वाले आदमियों की एक्जीक्युटिव कमेटी में मौका दिया जाना जाहिए ताकि वे अपने अपने विचार उसमें रख कर उस कमेटी को सहयोग प्रदान कर सकें। चुनाव जब कराये जांय, एक्जीक्युटिव कमेटी बनाते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाय और आगे के लिए एक डिरेक्टिव रखा जाय कि जो चुनाव होंगे वे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के तरीके से होंगे ताकि उसमें सब की व्यूज मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष—(श्री गुप्ता से) हां साहब, एक्स्प्लेनेशन दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, जहां तक एक्जीक्युटिव कमेटी बनाने का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उसूलन इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, बोर्ड के पावर्स नहीं छीन रहे हैं ! बोर्ड ने जो पोलिसी

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]
निर्धारित कर दी हैं उसको एक्ज़ीक्यूट कौन करेगा ? आया इसको चेयरमेन पर छोड़ दें, वाइस चेयरमेन पर छोड़ दें या ऐसी कमेटी नियुक्त हो जाय कि जो सारे दृष्टिकोण को रख कर बोर्ड के सुझावों को एक्जीक्यूट कर सके.......

श्री अवनि कुमार मुखर्जी—अगर आप इजाजत दें माननीय अध्यक्ष, तो मैं एक क्लेरिफिकेशन कर दूं ।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष—Let the Minister say first.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझता हूं कि कॉन्सीक्वेन्टली एक आदमी में पॉवर सेन्ट्रलाइज न हो इसलिए कमेटी बना दी जाय और वह बोर्ड के इलेक्टेड मेम्बर्स में से हो। यह एक डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल है और इसे हाउस को मन्जूर करना चाहिए। जो बड़ी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनमें यह कमेटी बनाने का सवाल है।

उसूल का सवाल यह आता है कि मेम्बर्स का इलेक्शन किस प्रकार से होगा ? इसके लिये रूल्स प्रेस्काइब होंगे। ऑलसोर्ट्स ऑफ ओपीनियन उसमें रिप्रेजेन्ट करें। रूल्स बनाते वक्त यह ध्यान रखा जायगा कि ओपीजिशन के जो मेम्बर्स हैं वे उनमें से डिबार न हो जांय। यह एश्योरेन्स दिलाने के बाद माननीय सदस्य महोदय ने जो ओपीजिशन की भावना रखी है वे उसको वापिस ले लेंगे और श्री कासलीवालजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—मैं स्पष्टीकरण चाहता था जो कि यह है कि हमने इस क्लॉज में व्यवस्था की है कमेटीज़ की, जैसे एजुकेशन के लिए कमेटी है, हेल्थ के लिए कमेटी है तो जो काम आप एक्जीक्युटिव बोडीज़ से कराना चाहते हैं वह तो आप इन कमेटीज़ के जरिये से करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या कर सकती है ?

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—मान लीजिये कि एजुकेशन के लिए कोई काम है तो उसके लिये उस कमेटी को सौंप दीजिये।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—फाइनेन्स के लिए।

श्री अवनी कुमार मुखर्जी—फाइनेन्स कमेटी भी हो सकती है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—एक ही बात है। उसको एक्जीक्युटिव कमेटी कह दीजिये या फाइनेन्स कमेटी कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष—That is immaterial whan the whole Board sits. That is her decision of the Board.

श्री भैरू सिंह—मैं अर्ज करना चाहूंगा। इसमें एक तो 'इलेक्शन' की परिभाषा नहीं है और दूसरा कौंसिल की परिभाषा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप यहां नहीं थे, उस समय इसका जवाब दे दिया गया था। वही दिक्कत आती है। इस पर न तो कोई आपकी ओर से संशोधन है एप्रोप्रियेशन या डिलीशन का; इतने जवाब हुए, आप यहां मौजूद नहीं थे।

श्री भैरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया गया है, डिस्कशन हो चुका है। फिर अमेन्डमेंट ले आवें, डिस्कशन कर लें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गुलाब चन्द कासलीवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५५ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५५ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ५६

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैं क्लॉज ५६ पर निवेदन करना चाहता हूं।

Page No 84

श्री अध्यक्ष—What I have been seeing is that it is not a constructive opposition. But my feelings are with the opposition. Where there are the appropriate proposals, amendments etc, I am prepared to give as much time as possible to the opposition. If there are any substantial changes which we have to make in other clauses they will get the time. They have not tabled amendments in this connection though sufficient time has been given to them. Other members have also tabled a number of amendments; they could have alsa. We are comming to the substantirial clauses-taxation...

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मुझे सुनने पर निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष—I have given enough opportunity to the Hon'ble Members to table the amendments. The Municipality Bill had gone to the Select Committee and was pending with the Committee for a long time. I am not going to debar them, but there is no amendment on the clause. It was emerged from the Select Committee after a great censideration. If the Hon'ble Member had the amendment on this he could have tabled earlier. He should not crash the House.

श्री अवनीकुमार मुर्जी—मेरा निवेदन तो सुन लीजिये, इसकी इम्पोर्टेन्स है।

श्री अध्यक्ष—I do not rule out the importance which the Hon'ble Member has. But there are certain things imposed on me also.

श्री अबनीकुमार मुकर्जी—मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष—We will come to Taxation and other more important clauses where amendments may be put.

श्री अबनीकुमार मुकर्जी—मैं इसी में निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Order please. प्रश्न यह है कि........

श्री भैंरूं सिंह—क्लॉज ५६ का विरोध करना जरूरी है, बड़ी महत्वपूर्ण क्लॉज है।

(घन्टी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—आपका एतराज क्या है? दस मिनिट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—एतराज कुछ नहीं है, रूल्स में एतराज है। जिन बातों के बारे में सिलेक्ट कमेटी में तय हो गया और फिर उसी पर इस तरह से विवाद हो तो फिर सिलेक्ट कमेटी में कोई बिल भेजा ही नहीं जाय। जितनी क्लॉजेज हैं, अमेंडमेंट दें या न दें, सदन में खड़े होकर कह दें कि इस

[श्री अध्यक्ष]

को तो ओपोज़ करना, फिर डिस्कशन हो, एक मेम्बर फिर दूसरा मेम्बर, तीसरा मेम्बर, सारे के सारे ही फिर इस तरह से बोलें तो कार्यवाही कैसे हो ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—इम्पोर्टेन्ट क्लॉज है ।

(एक साथ कई मेम्बरों के बोलने के कारण घण्टी)

श्री अध्यक्ष—एक मेम्बर बोलें, सब नहीं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्लॉज ५५ में बोलने दिया न ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ५६ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड ५६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री भैंरूंसिंह—मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्शन है ५६ ; गलती से अमेंडमेंट नहीं दिया गया, चान्स दिया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—कल आये तो आपने कहा था कि अमेंडमेंट नहीं दे सका हूँ । मैंने कहा था कि अगर इम्पोटेंट अमेन्डमेंट है और टाइम में आ गया तो ले लेंगे । लेकिन अब तक सदन में लिखा हुआ नहीं आया ।

श्री भैंरूंसिंह—लिख कर लाया हूँ , देने की ही देर हुई । मैंने सोचा मैं बोलता जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—आप दे दीजिये । ५६ या और जो इम्पोर्टेन्ट हों, सब को दे दीजिये । हम सर्कुलेट कर देंगे ।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—यहीं पढने दें... ....

श्री अध्यक्ष—This is not democratic. It does not happen in the Council of States and Parliament in this way. I am giving full opportunity to opposition but within reasonable and justifiable limits.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—दूसरे कानून जब सदन में आये तो इस तरह का मौका दिया गया था, प्रिसिडेन्ट्स मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—पास हो गये उनके लिये भी दे दीजिये, हम उनको सरकुलेट कर देंगे।

What else do mbers want?

(विराम)

उनको भी सर्कुलेट करना होगा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स तक को तो मूव करने का मौका दिया है। आप हमें मौका नहीं देना चाहें तो बात अलग है।

श्री अध्यक्ष—आपका कोई अमेंडमेंट नहीं, प्रिपेअर करके नहीं लाये फिर कैसे कहते हैं?

श्री भैरूं सिंह—कन्वेन्शन है कि क्लॉज का कोई विरोध करना चाहे तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप विरोध करिये, but within limits.

(विराम)

खण्ड ५७ से ६०

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५७ से ६० को स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड ५७ से ६० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष, ५९ वां क्लॉज है ही नहीं, फिर आपने पास कैसे करवा दिया?

श्री अध्यक्ष—जो खण्ड हैं वे स्वीकृत किये गये।

(विराम)

खण्ड ६१

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज ६१ में "Powers, duties and functions which may be delegated"

इसके बारे में मैंने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। शब्दों में कुछ हेरफेर है। इसमें लिखा है—

Page No 87

[श्री मोहनलाल भटनागर]

"Any powers, duties or executive functions which may be exercised or performed by or on behalf of the Board may be delegated by the Board to the Chairman or the Vice-Chairman or to the Executive Officer or to the secretary or to the Chairman of any Committee or to one or more stipendiary or honorary officers, without prejudice to any Powers that may have been conferred on any Committee by or under section 55; and each person who exercises any power or performs any duty or functions so delegated shall be paid all expenses necessarily Incurred by him therein.

(2) When the office of a Chairman becomes vacant and there is no Vice-Chairman to take over, the Board shall delegate the powers, duties and executive functions of the Chairman to such member of the Board as it thinks proper to be exercised by him till a chairman is elected in accordance with the rules in force."

(१) इसमें एक्सपेन्सेज पे करने के लिये कहा गया है। पहले के क्लॉज के माफिक ही अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है।

सब क्लॉज (२) नया एड करने के लिये कहा है। जब कि चेयरमेन की पोस्ट वेकेन्ट है और वाइस चेयरमेन भी नहीं है वैसी सूरत में बोर्ड के एक मेम्बर को चेयरमेन के फक्शन्स को पूरा करने के लिये नियुक्त करेंगे। ऐसी सूरत में बहुत बड़ा लेकुना रहता है इसलिये इस तरह के प्रोविजन की आवश्यकता है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ६१ में सराडा सलूंबर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि

" Any powers, duties or executive functions which may be exercised or performed by or on behalf of the Board may be delegated by the Board to the Chair man or to the Vice-chairman or to the Executive Officer or to the Secretary or to the Chairman of any Committee or to one or more stipendiary or honorary officers, without prejudice to the powers that may have been conferred on any Committee by or under section 55; and each person who exercises any power or performs any duty or function so delegated shall be paid all expenses necessarily incurred by him therein."

इस मूल क्लॉज में जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में भी इसी भावना का समावेश है उस में भी जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो पोवर्स ड्यूटीज या एग्जीक्यूटिव फंक्शन्स जो बोर्ड के द्वारा फंक्शन किये

Page No 88

[श्री भैरूंसिंह]

जा सकते हैं वे सब के सब सरकार के बनाये हुए नियमों के अंतरगत किसी भी चेयरमेन को वाइस चेयरमेन को, किसी कमेटी के चेयरमेन को, या एक या एक से अधिक स्टिपेन्डियरी या ओनरेरी ओफीसर को डेलीगेट किये जा सकते हैं 'without pr-judice to any powers that may have been oonferred on any Committee by or under section 55;"

और आगे फिर लिखा है ।

"and each person who exercises any power or performs any duty or function so delegated shall be paid . all expenses necessarily incurred by him therein."

इसके आगे जो शब्द हैं 'एक्सपेन्सेज नेसेसरिली इन्कर्ड बी पेड' या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसके लिये यदि यह कहूं कि वह भाषा बिल्कुल वेग है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम पोवर्स और फक्शन्स को एग्जीक्यूट करने के लिये किसी को अधिकार दें और अधिकार देने के बाद यदि किसी ने भी इस प्रकार का खर्चा किया है तो उसे हमें देना पड़ेगा। जहां तक खर्चा देने का प्रश्न है कोई नहीं चाहता कि नगरपालिका में किसी सार्वजनिक हित की दृष्टि से होने वाले काम में कोई एक व्यक्ति अपनी जेब से खर्चा दे। लेकिन हम इतनी भी छूट नहीं देना चाहते कि वह नेसेसरी एक्सपेन्सेज की आड़ में जिस तरह चाहे उस तरह खर्चा कर दे और फिर वह खर्चा वसूल करे। हमने रूल्स बनाये, प्रेस्काइब कर रहे है जिनके अंतवर्सत उनको पोवर्स डेलिगेट करेंगे लेकिन उन रूल्स के अंतर्गत होनेवाला खर्चा किस प्रकार से होगा, इसके लिये स्वीकृति ली जायगी या नहीं, एस्टिमेंट्स पेश किये जायेंगे या नहीं, जनरल मीटिंग में स्वीकृति होगी या नहीं, या एग्जीक्युटिव मीटिंग में रखा जायगा, जब तक इन सब बातों का निर्णय नहीं करते तब तक पोवर डेलगेट करने में मैं समझता हूं, इन पोवर्स का निश्चितरूप से दुरूपयोग होगा। इसलिये जिस प्रकार का खर्चा किया जायगा उसको देने की जिम्मेदारी बोर्ड पर आती है। तो रूल्स बनादें कि जो एग्जीक्युटिव ओफिसर या चेयरमेन जितना खर्चा करे उसका एस्टिमेंट जनरल बोडी के सामने पेश करे। यदि इसमें दिक्कत आती है तो एग्ज़ीक्युटिव कमेटी के सामने पेश करें और बाद में किस प्रकार का खर्चा आयगा उसके लिये भी नियम निर्धारित करें। इसलिये मैं कहता हूं कि नियम का अभाव प्रतीत होता है। बिना नियम के जो खर्चा होता है उसकी जिम्मेदारी बोर्ड पर नहीं देनी चाहिये। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे आश्वासन दें कि खर्चा नियम के अनुसार ही होगा। यदि इस आश्वासन के बाद इसे पास करना चाहें तो उचित होगा। यदि बिना स्वीकृति के खर्चा होता है और यदि नियम में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो इस क्लॉज़ का दुरूपयोग होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—इस क्लॉज के संबंध में जो खर्चे की बात कही गई है उस सम्बन्ध में इतना निवेदन है कि खर्चे का जो प्रोविजन है वह सिर्फ नेसेसरी खर्चे का है। उसके लिये नियम की आवश्यकता होगी और नियम के अन्तर्गत होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। जो अमेन्डमेन्ट श्री सोहनलालजी ने रखा है उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ओरिजिनल

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

क्लॉज में और इसमें कोई डिफरेन्स नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलालजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय :

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६१, संशोधित रुप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज ६१ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज ६२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६३, श्री सोहन लाल भटनागर।

श्री सोहन लाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ६३ उन चीजों को डील विथ करता है जब म्युनिसिपल बोर्ड कन्ट्रेक्टस डील करेंगे, तो म्युनिसिपैलिटीज को ओथोराइ किया गया है। इसके साथ ही ७५ (ई) का क्लॉज है—:

(e) "All lands and buildnigs transferred to it by the State Government or by gift or otherwise, and"

तो ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि म्युनिसिपेलिटीज को गवर्मेंट लैंड ट्रान्सफर करे, लैंड इसलिये ट्रान्सफर की जाती है कि उसका ठीक तरह से उपयोग हो, उसका एलिनियेट नहीं किया जाय, या alienate किये जाने पर abuse न हो। इसमें मैंने प्रोविजो एड करने का संशोधन रखा है :

[श्री सोहनलाल भटनागर]

"Provided that subject to the rules made by the State Goverment in this behalf, no Government land which has become vested in a municipal board under clause (e) of sub-section (2) of section 75 shall be sold, leased or otherwise transferred except with the approval of the Collector if the value of such land exceeds 100/-rupees or if the sale, lease or other transfer thereof is effected otherwise than by public auction in the prescribed manner"

तो जो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स रही हैं, दो तरह की हैं: एक तो यह कि १०० रुपये से ज्यादा की कीमत की लैंड किसी को बेची जाय तो कलैक्टर की इजाजत ली जाय और दूसरी यह कि पब्लिक औक्शन से एन्टर होकर म्युनिसिपल बोर्ड किसी को दे देता है तो ऐसी सूरत में सेंक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो इस पावर का मिसयूज़ किया जा सकता है।

इसी तरह से दूसरा अमेंडमेंट है:

"In sub-clause (9) omit "and Chapter XIII"

इसके रहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि डेलीगेटेड पोवर्स जो एग्जीक्युटिव ओफीसर में हैं वे फोर्मल हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे इन संशोधनों को स्वीकार किया जाय।

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—माननीय उपाध्यक्ष, सोहनलालजी ने जो संशोधन रक्खे है मैं उनका विरोध करता हूं और सिलेक्ट कमेटी ने जैसा क्लॉज रखा है उसका समर्थन करता हुआ जो, सोहनलालजी ने संशोधन रखा है १०० रुपये के ऊपर के मामले में कलेक्टर की इजाजत मांगी जाय मैं इसका विरोध करता हूं। गांवो में पंचायतें बनी हुई है, उन पंचायतें को गांवों में जमीन बेचने का अधिकार दिया है तो म्युनिसिपेलिटीज़ में भी यही अधिकार रखना चाहिये। जैसे आज हमको किसी धारा पर प्रेसीडेन्ट साहब ने हाउस में हम लोगों को नहीं बोलने दिया था उसी तरह क्लेक्टर चाहेगा वैसा करेगा। इसलिये इस बारे में चेयरमेन को और म्युनिसिपेलिटी को पूरा अधिकार होना चाहिये कि उस म्युनिसिपेलिटी के चैयरमेन, वाइस चेयरमेन या मेम्बर उस जमीन के बारे में तय कर सकें। कलेक्टर के हाथमें यह अधिकार नहीं होना चाहिये। कलेक्टर के पास यह अधिकार रहने से काम में बहुत गडबडी होगी। कलेक्टर के पास आज वैसे ही कितने काम पड़े हुए है, उस काम को ही कलेक्टर निकाल नहीं पाते तो फिर यह काम और उनके जिम्मे कर दिया गया तो वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कल मैंने गवर्नमेंट को बताया था और मन्त्रीजी ने उसे माना भी था कि हर चीज गवर्नमेंट को अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिये, उसी तरह आज फिर यह कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर्स को इस तरह के हर प्रकार के पावर्स दे देना अच्छा नहीं होगा, यह कोई शोभा की बात नहीं होगी। उनके पास रेवेन्यु डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्टस का काम है और म्युनिसिपैलिटीज के पोवर हैं। कलेक्टर को जमीन के बारे में और पावर दे देगें तो उनसे कोई भी काम नहीं होगा। इसलिये म्युनिसिपैलिटी को ही ये अधिकार रहने चाहिये। पंचायतों को, तहसील पंचायतों ये अधिकार दे दिये गये हैं तो म्युनिसिपैलिटीज़ को ये अधिकार देने में

Page No 91

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

सरकार को क्या एतराज है ? हां, इसमें माननीय मंत्री महोदय यह कर सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी यदि कोई फैसला दे और उस फैसले से किसी पार्टी को एतराज हो तो वह उसकी अपील सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को और एडिशनल सेशन जज को दे सकती है। यह नहीं होना चाहिये कि कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाय कि जमीन को अलोट करने के लिये कलेक्टर को म्युनिसिपैलिटीज् लिखे और कलेक्टर अलोट करें।

तो सोहनलालजी ने इसमें जो यह संशोधन रखा है उसकी बजाय यह संशोधन रखना चाहिये था कि जमीन को अलोट करने के मामले में म्युनिसिपैलिटी यदि कोई फैसला दे और उसमें किसी को एतराज हो तो वह डिस्ट्रिक्ट जज या एडीशनल सेशन जज के पास अपील कर सकता है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री सोहनलालजी के संशोधनों को स्वीकार न किया जाय।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—कहां से आये हुए माननीय सदस्य ने ?

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—अगर गलत हो तो आप ठीक कर दीजिये।

श्री गोपीलाल यादव—अच्छा तो मैं पूछ आता हूं कि वे कहां से आये हैं।

(हंसी)

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—उन्होंने यह संशोधन रखा है कि म्युनिसिपैलिटीज की वह जमीन जो गवर्नमेंट द्वारा म्युनिसिपैलिटीज में वेस्ट की गई हो, उसको लीज करने की, एलोट करने की जरूरत हो तो कलेक्टर की इजाजत ली जाय। इससे तो एक दम गड़बड़ी हो जायगी क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कलेक्टर के पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम होता है, और उसकी वजह से उनको फुर्सत नहीं होती। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में जितनी म्युनिसिपैलिटीज होंगी और उनमें जितनी जमीनें लीज करने की, बेचने की या अलोट करने की होगी उनकी इजाजत देने का काम उनके पास आया तो वे कैसे कर सकेंगे ? इसकी बजाय तो यह संशोधन लाया जाता कि पब्लिक ऑक्शन के अलावा और कोई तरीके से जमीन लीज या नहीं की जायगी तो यह ठीक रहता। पर इस संशोधन को स्वीकार करने से म्युनिसिपैलिटीज को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिये

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

मैं यह अनुरोध करूंगा कि यदि कोई म्युनिसिपैलिटी कोई जमीन लीज करना, बेचना या अलोट करना चाहती है तो पब्लिक ओक्शन के जरिये ही कर सकती है, इस प्रकार का संशोधन कर देना चाहिये। सब सेक्शन (I) में तब्दीली करने की आवश्यकता नहीं है, तब्दीली करना है तो यह कर दीजिये कि पब्लिक ओक्शन के अलावा और किसी तरह जमीन लीज या transfer नहीं की जायगी।

इसलिये मैं उन माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो वे अपना संशोधन वापिस ले लें या इस प्रकार का संशोधन रखें।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन, क्लॉज ६३ पर मेवाड़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं यह कहूंगा कि यह संशोधन बहुत ही अप्रजातान्त्रिक है। इस प्रकार का संशोधन उनकी तरफ से आना तो स्वाभाविक था। लेकिन आज के युग में हम लोग इस संशोधन को स्वीकार करें, इसको मैं बहुत अनुचित मानता हूं। चेयरमेन महोदय, मैं यह उचित समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ने जिस तरह इस धारा को सदन के समक्ष उपस्थित किया है, वही बहुत उचित है। मेरे मित्र ने जो इसमें प्रोविजो एड करने की बात कही है :

"Provided that subject to the rules made by the State Government in this behalf, no Government land which has become vested in a municipal board under clause [e] of sub-section (2) of section 75 shall be sold, leased or otherwise transferred except with the approval of the Collector if the value of such land exceeds one hundred rupees or if the sale, lease or other transfer thereof is effected otherwise than by public auction in the prescribed manner."

यह बात जो कही गई है उस बात को मानने को मैं तय्यार नहीं हूं। आज के युग के अन्दर बात बात का अधिकार हम चाहें कि कलेक्टर को दिये जायं, यह कोई अच्छी बात नहीं। एक शहर जैसी जिम्मेवारी जनता के चुने हुए म्युनिसिपल कौंसिलर्स को इतना सा हक देते हैं कि १०० रुपयों तक का काम आजादी से कर सकते हैं, १०० से ज्यादा की बात हो तो कलेक्टर का दरवाजा खटखटाना पड़े, यह कोई वाजिब बात नहीं है। कलेक्टर से इजाजत लें, यह कोई वाजिब बात नहीं है। आप पंचायतों को देखिये, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देखलें कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं है कि कलेक्टरों से पूछा जावे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आज के जमाने में कलेक्टरों के पास मौजूदा समय में इतना काम रहता है कि उनको समय ही नहीं मिलता। यदि आप उनके पास इस

[श्री मानसिंह मद्दार]

प्रकार की मन्जूरी के लिये कागजात भेजेंगे तो वह कागज महीनों तक वहां पड़ा रहेगा और मन्जूरी हो कर नहीं आयेगी। आज जयपुर के कलेक्टर के पास ही काम को देख लें। इतना ज्यादा काम है कि उन्होंने अपना सारा रुटीन वर्क एस. डी. ओ. और एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटों को, जो उनके पास हैं, उनमें बांट रखा है। इसके अलावा जो भी म्युनिसिपैलटी और सप्लाई के काम आते हैं वे एस. डी. ओ. के पास भेज दिये जाते हैं। हम यह चाहते हैं कि कलेक्टर का उस पर चेक रहे तो आपका यह मतलब तो सिद्ध होगा नहीं क्योंकि कलेक्टर तो उसको देखेगा नहीं और जिस प्रकार से काम का बंटवारा किया हुआ है उसके अनुसार ही मेजिस्ट्रेट या एस. डी. ओ. अपनी राय जाहिर करेंगे। इसलिये मेरे मित्र ने इस आशय से प्रस्ताव रखा है कि सीनियर सर्विसेज़ के अधिकार आई.ए. एस. ओफिसरों का इस पर चेक होगा और वे चेक रख सकेंगे वह भी नहीं रख सकेंगे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटीने इस क्लॉज़ को बहुत सोच विचार कर रखा है वही रख दिया जावे और जो सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने एमेंडमेंट दिया है वह बिल्कुल बेकार है। अगर इसके लिये मैं यह कह दूं कि उन्होंने जल्दबाजी में इसके प्रोस एण्ड कोन्स पर विचार नहीं किया है और विचार करने की क्षमता कुछ कम ही दिखती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर विचार नहीं करके इसको रिजेक्ट करना चाहिये। यही चन्द शब्द मैं कहता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, जो अमेंडमेंट क्लाज़ ६३ पर सलूबर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसकी मुखालफत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जबकि इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी में चर्चा हो रही थी उस समय सिलेक्ट कमेटी की मंशा थी कि हमको जहां तक हो सके म्युनिसिपैलटी को जमीन देने का अधिकार पूरा रखना चाहिये। इसलिये यह क्लाज़, उपक्लॉज़ (१) इसमें रखा गया है। लेकिन उपधारा दो और दूसरी उपधाराओं द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया और इसके लिये यह जरूरी समझा गया, यदि किसी को लंबे अर्से के लिये जमीन लीज पर दी जाती हो या बेची जावे तो इसके लिये गवर्नमेंन्ट की मन्जूरी लेना आवश्यक समझा गया। मगर आज जिस रूप में यह अमेन्डमेन्ट आया है उसको देखने से यह मालूम होता है कि अमेन्डमेन्ट रखने वाले सदस्य ने धाराओं को ठीक तरह से पढा नहीं हैं। इस सम्बन्ध में धारा ७१ को देखें तो मालूम होगा कि उसकी तहत में गवर्नमेन्ट ने म्युनिसिपेलटीज़ को 'पोवर टू एक्वायर एण्ड होल्ड प्रोपर्टी' का अधिकार दिया है। इसलिये यही प्रोविजन नहीं है बल्कि प्रोपर्टी को बेचने का भी अधिकार म्युनिसिपेलिटी को दिया है। मगर इसमें यह शर्त है कि उसके लिये कलेक्टर की मन्जूरी होनी चाहिये। मैं नहीं समझ पाया कि जब सरकार किसी प्रोपर्टी को लीज आउट कर सकती है; जैसे मकान हैं उसको लीज कर सकती है; यह रेस्ट्रेक्शन सिर्फ लेन्ड के लिये ही क्यों है, जो दफा ७१ के क्लॉज़ (२) के (ई) की तहत में गवर्नमेन्ट द्वारा म्युनिसिपेल्टी को दी गई है। पहली कमी तो यह है।

दूसरी खामी सिद्धान्त की है कि इस प्रकार कलेक्टर का प्रोविजन रखने से यह महसूस होता है कि आपको अपने चुने हुए लोगों पर विश्वास नहीं है। आप उन जनता के चुने

Page No 94

[श्री वेदपाल त्यागी]

हुए लोगों पर विश्वास नहीं करते जिनके हाथों में स्वायत्त शासन फलता फूलता है और जिसके कारण से आप उसको स्वायत्त शासन कहते हैं। यह पोवर को दुरूपयोग करने का तरीका है।

मैं समझता हूं कि यह इसलिये किया गया है कि वहां के लोकल चुने हुए लोग किसी प्रकार से गड़बड़ नहीं कर सकें। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कि माननीय मंत्री जो इस सिलेक्ट कमेटी के चेयरमेन थे और म्युनिसिपेल्टी के चेयरमेन भी रह चुके हैं वे तो इस सिद्धान्त को वहां मानते थे कि जहां तक हो सके हमें म्युनिसिपेलिटीज़ को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहिये लेकिन आज उनके ह्विप द्वारा यह अमेन्डमेंट रखा जाता है तो गवर्नमेन्ट उसको ठीक नहीं समझते हुए भी मंजूर करना चाहती है।

मैं यह कहूंगा कि यह बात हमारे स्वायत्त शासन की संस्थाओं के सिद्धान्त और डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों के विपरीत जाती है कि हम कोई काम करने के लिये हर समय कलेक्टर की तरफ झांकते रहें। कलेक्टरों के पास पहले ही बहुत काम रहता है और इस कारण से प्रत्येक काम पर वे अपना नियंत्रण नहीं रख सकते और न उस पर सोच-समझ कर ऑर्डर ही पास कर सकते हैं। काम ज्यादा होने की वजह से उनको अपने सबोर्डिनेट अधिकारियों को पोवर देना पड़ता है। मैं यह कहूंगा कि कलेक्टर के सबोर्डिनेट ऑफिसर उन पोवर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन हमारे चुने हुए व्यक्ति जिनको जनता ने चुन कर भेजा पोवर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यह ठीक चीज नहीं है। यह चीज उचित नहीं है। अगर आप उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो लगाइये मगर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो लगाइये मगर इस तरह का रेस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिये। वह रेस्ट्रिक्शन जिस प्रकार का सब क्लॉज (२) में रखा है कि शहर में ५००० और दूसरी म्युनिसिपेल्टीज में २००० से ज्यादा प्रोपरटी हो तो गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत है और यहां पर आपने १०० रुपयों से ज्यादा के लिये गवर्नमेंट की सैंक्शन की जरूरत कहते हैं। यह वाजिब नहीं है।

मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह से अपने चुने हुए, जनता के चुने हुए व्यक्तियों पर इस प्रकार अविश्वास रखें। वे लोग बैठ कर अपना काम करें तो आपको चाहिये कि उनको काम करने का स्वतन्त्र रूप से मौका दें। यदि उन पर इस तरह की बंदिश लगाई जाती है तो मैं यह कहूंगा कि हम अपने आपको सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में मैं यह चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी के दूसरे सदस्य भी जो सिलेक्ट कमेटी में थे अपने विचार व्यक्त करें।

यदि आप यह समझते हैं कि जनता से चुने हुए व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को उस संस्था को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। जब सरकार को यह मालूम हो जावे कि अब काम ठीक तरह से दो तीन महीनों के बाद चलने लग गया है तो फिर उनको पोवर दे दें। यह तरीका सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है कि कलेक्टर से मंजूरी हर बात के लिये

[श्री वेदपाल त्यागी]

ली जाए। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि माननीय मंत्री इस अमेन्डमेंट को स्वीकार नहीं करें तो अच्छा हो।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, यह संशोधन जो मेरे मित्र ने रखा है और उसकी मंशा जहां तक मैं समझ पाया हूं कि म्युनिसिपेल्टीज़ को अपनी जमीनें बेचने का अधिकार है, वह बेच सकती है लेकिन उसको ओक्शन के जरिये बेचे ताकि ज्यादा पैसा लोग दें। इसमें कोई लिमिट नहीं है। बात यह है कि एक पार्टी का बहुमत होगा, अगर वह बगैर ओक्शन के दे देते हैं; तो यह देखना होगा कि किसको यह जमीन दी जावे या नहीं? यह ओपोजिशन के लोगों को मदद देने के लिये प्रोविजन है। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि १०० रुपये की वेल्युएशन यहां पर जो रखी गई है वह गलती से रखी गई है, it should be:—

"where the value of such land exceeds Rs. 500/- in the case of a town municipality and Rs. 1,000/- in the case of a city municipality."

क्योंकि आजकल १०० रुपये की जमीन ही नहीं होती है। यदि किसी को मकान बनाने के लिये भी जमीन दी जावे तो भी वह ५०० या ७०० से कम की नहीं होगी। जब १०० रुपये की जमीन रहती नहीं और आप उसको ओक्शन नहीं करते तो फिर उस जमीन का म्युनिसिपेलिटी को कोई हक नहीं रहता। लेकिन इसमें एक खतरा फिर भी बना रहेगा। मान लीजिये कोई जमीन है, पचास रुपये की जमीन भी हो सकती है और पांच सौ रुपये की भी जमीन हो सकती है। जहां पांच सौ रुपये की जमीन है उसमें खतरा हो सकता है इस बात का जिसको पांच सौ रुपये की जमीन मान बैठे हैं उस जमीन की कीमत कौन आंकेगा, उसकी कीमत मुकर्रर की हुई नहीं, उसका एब्यूज़ यह होगा कि जो जमीन पांच सौ की है या पांच हजार की है उसको म्युनिसिपल बोर्ड सौ रुपये में फरोख्त कर सकता है क्योंकि उसमें किसी कलेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो मैंने दो तीन बातें बताई हैं उन पर विचार कर लिया जाय। इस धारा को स्वीकार करने से पहले मैं समझता हूं कि इसको डेफर कर दिया जाय ताकि मैंने जो बातें बतायीं उन पर अच्छी तरह से विचार हो सके।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चेयरमेन महोदय, म्युनिसिपेलिटी के पास दो प्रकार की जमीन होगी जो म्युनिसिपेलिटी की प्रोपर्टी होगी। उसको ट्रान्सफर करने का या उसको लीज करने का चाहे जिस तरह से भी काम लेने का पूरा अधिकार म्युनिसिपेलिटी को होगा? इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ बिल्डिंग्ज या लेन्ड ट्रान्सफर करना चाहती है म्युनिसिपेलिटी को, क्योंकि यह तो मानी हुई बात है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के फाइनेन्सेज़ बहुत टाइट हैं उनको काम करने के लिये, उनके पास पैसे का हमेशा अभाव रहता है तो ऐसी हालत में जो इस प्रकार से लेन्ड या बिल्डिंग्ज गवर्नमेंट

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

म्युनिसिपेलिटी को ट्रांसफर करेगी उनको म्युनिसिपेलिटी किस तरह से काम में लेगी उस सम्बन्ध में यह अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मसले हमारे सामने आये हैं जब कि उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की है कि एक म्युनिसिपिल लेंड थी जिसको म्युनिसिपेलिटी ने मिसयूज़ किया। अभी भी जोधपुर शहर की म्युनिसिपेलिटी के बारे में इस तरह का केस पेन्डिग है, लेन्ड किस तरह से........

जो लेन्ड गवर्नमेंट म्युनिसिपेलिटी को ट्रान्सफर करने जा रही है उसका किसी तरह से मिसयूज़ न हो तो उसके लिये गवर्नमेंट को यह निश्चय करना पड़ेगा कि मिसयूज़ न हो उसके लिये कोई तरीका निकालना होगा या तो वह म्युनिसिपेलिटी को ट्रान्सफर न करे, ऐसा हो नहीं सकता तो फिर मिसयूज़ को प्रीवेन्ट करने के लिये हमारे पास कोई तरीका होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के लिये जो जमीन दी जाती है उसके लिये भी कई जगह झगड़े चल रहे हैं, कहीं पॉवर हाउस लगाने की बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में पॉवर हाउस जरूर लगाये जायं। म्युनिसिपेलिटी उस जमीन को बेचना चाहती है कि डेवलपमेंट परपज़ के लिये किसी दूसरे आदमी को जमीन चाहिये। ऐसी हालत में गवर्नमेंट को अवलेबल न हो तो यह एक समस्या है। इसलिये इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए मिसयूज़ न हो और जो लेन्ड डेवलपमेंट पर्पज़ के लिये आवश्यक हो उसके लिये अवलेबल हो सके इसीलिये कलेक्टर को पावर रखने की बात है। यह बात ठीक है कि १०० रु० की बात जरूर ज्यादा मालूम होती है। इसलिये चेक जरूर होना चाहिए। चेक किस तरह का हो, चेक किस तरह एक्सरसाइज़ हो और इसके अलावा कोई तरीका आप निकाल सकते हैं तो मैं मानने के लिये तैयार हूँ। जैसा कि भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने बतलाया सौ रुपये के पावर के बजाय ५०० रुपये कर दिये जांय, यह ठीक है, सिटी म्युनिसिपेलिटी के लिये ५०० रुपया रखा जाय और टाउन म्युनिसिपेलिटी के लिये जिसे जरूरत बहुत कम होती है २०० रुपया रहता है तो वह पर्पज़ सोल्व हो जाता है। अगर माननीय सदस्य मेरे सुझावों को मंजूर करलें तो यह क्लॉज़ इस तरह से रखा जा सकता है।

श्री सभापति—क्या आप इस क्लॉज को कन्सीडरेशन के लिये डेकर करना चाहते हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय सभापति महोदय, मैं जरा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो कहा है कि लेन्ड के लिये रखा है बिल्डिंग के लिये इसमें नहीं रखा है, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर वे लेन्ड की डेफीनेशन को देखते तो उनको सही स्थिति मालूम हो जाती। लेन्ड की डेफीनेशन इस प्रकार है—

"land includes land which is built upon or which is covered by water."

[श्री सोहनलाल भटनागर]

इसके अन्दर बिल्डिंग वगैरह भी आ जाती है। ऐसी स्थिति में जो उनकी भ्रान्ति थी वह नहीं रहेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता [स्वायत्त शासन मन्त्री] —चेयरमेन महोदय, मैंने यह जो सुझाव रखा कि टाउन म्युनिसिपेलिटी के लिये २०० और सिटी म्युनिसिपेलिटी के लिये ५०० तक का रख दिया जाय ....।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या इसमें भी कलेक्टर का एप्रूवल जरूरी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—और कोई तरीका बताइये इसके बिना चेक नहीं रह सकता। गवर्नमेंट की लेन्ड के बारे में है, और लैंड के बारे में नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी— Ona point of information, sir, I would like to know one thing,

Government land क्लॉज ८५ के तहत दी जाती है। The management of the land by virtue of this Act म्युनिसिपल बोर्ड में वेस्ट करती है। दोनों के मेनेजमेन्ट में फर्क क्यों रखा जाता है ?

एलियेनशन में एक तो बहुत रेस्पोन्सिबली एक्ट करेंगे, दूसरी गैर जिम्मेवारी से यह फर्क क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें फर्क इसलिये है कि यह दूसरी चीजें हैं, उसमें चेक ज्यादा नहीं होना चाहिये इसलिये चेक नहीं रखा गया है। लेन्ड डेवलपमेंट परपज़ के लिये और उसका मिसयूज़ न हो इसलिये यह चेक रखा गया है और कोई बात दिमाग में नहीं है। इसके अलावा भी और कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो मैं मानने के लिये तैयार हूं। इसमें कलेक्टर का एप्रूवल होगा, कलेक्टर के एप्रूवल के लिये रूल्स बनेंगे इसलिये इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अमेन्डेड क्लॉज इस प्रकार हो जायगा :

"......transferred except with the approval of the Collector if the Value of such land exceeds, in the case of a city, Rs. 500/- or in the case of other municipalities Rs.200-. इसको इस तरह से पास कर दिया जाय।

श्री सभपति—श्री सोहनलाल अपने अमेन्डमेन्ट वापिस लेंगे ?

श्री अवनिकुमार मिकर्जी—फ्रेश अमेन्डमेन्ट आवे तब ही विचार कर सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—कल भी जिस तरह से भैरू सिंह जी के दो अमेन्डमेंट माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किये थे तो उन्होंने अपने अमेन्डमेंट वापिस लिये, इसी तरह से श्री भटनागर जी अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लें।

श्री सभापति—क्लॉज ६३ को डेफर किया जाता है।

[विराम]

We now come to clause 64.

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, इसका विरोध करूंगा साहब मैं तो।

श्री अध्यक्ष—किसका ?

श्री मुक्तिलाल मोदी— ६४ का

[हंसी]

श्री सभापति [श्री हिम्मतसिंह]—मैं यह देखना चाह रहा था कि किसी का इस पर अमेन्डमेन्ट है कि नहीं। आपने बड़ी जल्दी की।

[हंसी]

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैंने भी देख लिया है।

श्री सभापति—तो आप विरोध करिये।

[हंसी]

श्री मुक्तिलाल मोदी—६४ में जो सिलेक्ट कमेटी ने यह तय किया है कि सरकार को म्युनिसिपेलिटी को बिना पूछे भी कोई काम करने का और खर्चा करने का अधिकार है, तो माननीय चेयरमेन आखिर फिर म्युनिसिपेलिटी की आवश्यकता ही क्या है और फिर इस एक्ट को पास करने की भी क्या आवश्यकता है ? सरकार ही सब कुछ कर ले, एडमिनिस्ट्रेटर एक कायम कर दे। सारे राजस्थान में जहां जहां सिटीज हैं और टाउन्स हैं वहां वहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे, एस. डी. ओ. को सौंप दे। यहां की म्युनिसिपेलिटी लाखों रुपये के नुकसान में चल रही है और यह ठीक है कि आज सरकार का आदमी उसे चला रहा है, नफे-नुकसान की जिम्मेदार सरकार है, पर अगर यहां चुनाव हो जाय और बाद में भी इस प्रकार के अधिकार सरकार अपने पास रक्खे तो फिर जो सरकार पहले करती थी वही अब कर रही है, इसमें चुनाव कराकर तन्दीली

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

क्या की ? इस म्युनिसिपेलिटी के पुराने हकों में कोई नई चीज क्या पैदा की ? कुछ ऐसी धाराओं में तब्दीली जरूर हो जावेगी बाकी जो असल में बात है वही रहेगी।

यह तो अधिकार म्युसिपैलिटी को ही होना चाहिये। सरकार अगर कुछ करना चाहे तो उसे म्युनिसिपेलिटी से लिखा पढ़ी करनी चाहिये। फिर म्युनिसिपेलिटी अपनी मीटिंग में सोचे। फिर अगर वह ठीक समझे तो करे, नहीं तो सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं देना चाहिये। अगर सरकार अधिकार अपने हाथ में लेती है तो फिर म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर चाहेंगे वह नहीं होगा, बल्कि चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर या उनका गुट्ट जो चाहेगा और जो वे हुक्म देंगे वह होगा। इससे बड़ी परेशानियां होंगी। सरकार एक आर्डर देगी, और अगर अनुचित हुआ तो म्युनिसिपेलिटी के सदस्य उसको मानेंगे नहीं क्योंकि उसमें तो सभी गुट्ट के मेम्बर होंगे तो ऐसी हालत में झगड़े ही बढ़ेंगे और परेशानियां ही पैदा होंगी। सरकार को अगर काम कराना है तो म्युनिसिपेलिटी को पूछ कर करना चाहिये, म्युनिसिपेलिटी अगर नहीं माने तो नहीं करना चाहिये। ऐसी हालत में इस क्लॉज को हटा देना चाहिए, यह मेरा निवेदन करना है। माननीय मन्त्री महोदय इस पर सोच-विचार करें और बाद में इसे यहां पर लावें।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--माननीय उपाध्यक्ष, यह क्लॉज जो ६४ है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये आसानी होगी अगर मैं इसको पढ़कर पहले सुना दूं।

"Notwithstandirg anything contained in the last preceding section, any person appointed by the State Government to carry any work into execution on behalf of a board may perscribe, make such contracts asare necessary for the purpose of carrying such work into execution to the extent of the sum provided for such work; and the board shall pay to the person so appointed such sums as may be required for the said purpose to the extent aforesaid"

मैंने इस क्लॉज़ को अच्छी तरह से पढ़ा और पढ़ने के बाद भी यह समझ नहीं पाया कि इस क्लॉज़ के रखने में सरकार की मंशा क्या है? सैक्शन ६३ को देखें तो इसके अन्दर यह व्यवस्था हमने की है कि अगर कोई कान्ट्रेक्ट दिया जाता है तो क्या तरीका अपनाया जावे ? क्लॉज ६४ को देखने से मुझे यह अनुभव होता है कि सरकार कुछ म्युनिसिपेलिटियों का कुछ काम अपने अधिकार में लेना चाहती है पर इसकी नौबत क्यों आई, यह मेरी समझ में नहीं आया ? म्युनिसिपेलिटीज स्वायत्त शासन संस्था में है। इनको अपना काम करने का पूरा अधिकार है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार बीच में कैसे आना चाहती है ? अगर म्युनिसिपेलिटी का कोई काम करना है तो कन्ट्राक्ट देने का प्रोविजो इसमें रख दिया है। इसके अनुसार काम होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जब माननीय मन्त्री जी इसका जवाब देंगे

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

तो स्पष्टीकरण करेंगे कि सरकार किस हालत में पिक्चर में आवेगी? इसलिये मेरी राय में इस क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार म्युनिसिपेलिटी को सम्पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती। जब कभी सरकार की मरजी होगी एक नोटिफिकेशन निकाल कर किसी अफसर को मुकर्रर कर देगी और कह देगी कि उनकी देखरेख में काम होगा और इसके लिये जो खर्चा होगा वह म्युनिसिपेलिटी को देना होगा। जहां तक मैं इस धारा को समझ पाया हूँ इसके पढ़ने से यही मतलब निकलता है। फिर इसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो माननीय मन्त्री जी उसका स्पष्टीकरण करें। पर जहां तक मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और अगर इस धारा को इसी रूप में पास कर देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हमारी इन स्वायत्त शासन संस्थाओं और नगरपालिकाओं को जो अधिकार हम देना चाहते हैं उन पर सरकार अपना नियन्त्रण लगा रही है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि ये स्वायत्त शासन संस्थायें काम नहीं कर सकतीं, उनको रखने का कोई तात्पर्य भी नहीं रहेगा। इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे क्या व्यवस्था इस धारा के द्वारा करना चाहते हैं, इस पर विस्तार से प्रकाश डालें और यह भी बतायें कि इससे नगरपालिकाओं को और जनता का क्या फायदा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सुन लें, फिर बोल लें यह मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। मैं क्लेरिफाई कर दूं। सरकार म्युनिसिपेलिटी को मदद करना चाहती है। जैसे कि वाटर वर्क्स बनाने है या बिजली घर बनाने हैं और इस समय भी करीब १६ म्युनिसिपेलिटियों में कई ऐसी हैं जिनके यहां सरकार द्वारा वाटर वर्क्स लगाये जा रहे हैं या पावर हाउस बनाये जा रहे हैं या ऐसे ही कुछ और काम कराये जा रहे हैं और ये सारे काम करने के लिए किसी नगरपालिका के पास टेक्नीकल स्टाफ नहीं है, सरकार उनको लोन भी इन कामों के लिये दे रही है, तो इन कामों के लिये सरकार अपने इन्जीनियर और अपना टेक्नीकल स्टाफ लगाकर वे सब काम करना चाहती है और इसी के लिए यह धारा यहां रक्खी गई है। क्योंकि ये सब काम उन नगरपालिकाओं पर छोड़ना भी ठीक नहीं है, पर फिर भी कोई नगरपालिका यह कहे कि हमारे पास टेक्नीकल स्टाफ वगैरह है तो हम उनके काम में रुकावट नहीं डालना चाहते। पर जो नगरपालिका लोन लेती है सरकार से और कहती है कि हमारे पास इसके लिए स्टाफ नहीं है या वे कोई सड़क बनाने के लिये समर्थ नहीं हैं, औजार नहीं हैं या टेक्नीकल स्टाफ नहीं है तो ऐसी हालत में सारा काम उन पर छोड़ देने में दिक्कत आती है। तो यह तो रोजमर्रा की भी दिक्कत है जो हमारे सामने रोज बरोज आती रहती है। तो इन सब कामों को ठीक से करने के लिये यह प्रोविजो रक्खा गया है और कोई मन्शा इसकी नही है। सिर्फ उनकी मदद करने के लिये यह रक्खा गया है, यह तो बहुत इन्नीसेन्ट बिल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार उनके पावर छीन रही हो। तो मैं आशा करता हूँ, अब आप सारी बात समझ गये होंगे और इसे पास कर देंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जो बात आपने कही वह तो ठीक हैं पर ऐसा लगता है फिर कि जो धारा यह अमेंड की गई है उससे यह सारी बात बिलकुल स्पष्ट नहीं होती। इसलिए इसकी भाषा ठीक करनी चाहिये। नहीं तो हे टु डे के काम में भी दखलन्दाजी कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—On behalf of the Board the person shall be apointed.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—"Any person appointed by the State Government."

बिना गवर्नमेंट के आर्डर के वह काम करेगा कैसे ?

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपध्यक्ष, यह अभी तक उतर नहीं आया है। उसका स्पष्टीकरण किया जाय थोड़ा सा।

श्री उपाध्यक्ष—स्पष्टीकरण हुआ था।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज का जिस कारणसे विरोध हुआ या किया गया है, मैं समझता हूं अभी तक उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। इस क्लॉज में यह व्यवस्था की है कि यदि किसी पर्टिक्युलर वर्क के लिए सरकार किसी अधिकारी को नियुक्त करे तो उस अधिकारी को इस बात का अधिकार होगा कि वह उस काम के लिए कान्ट्रेक्ट दे या जिस प्रकार की व्यवस्था करना चाहे वह करे, और जितना खर्चा उस काम में लगे वह सारा खर्चा बोर्ड से वसूल करे। मैं समझता हूँ कि यदि हमारे ध्यान में पहले की धाराएं हैं जिनमें हमने यह व्यवस्था की है कि किसी एक खास काम के लिए बोर्ड एक कमेटी एप्वाइन्ट कर सकता है और उस कमेटी के अन्दर सरकारी आदमी व एग्जीक्युटिव आफीसर व कोई टेकनिकल एक्सपर्ट भी यदि सरकार आवश्यक समझे तो उसका वे सदस्य बना देंगे। उसके बाद मैं यह नहीं समझ पाया कि अब किस पर्टिक्युलर वर्क के लिए हमें किसी एक ही अधिकारी को नियुक्त करना है। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि रोड्स का प्रश्न आता है, वाटरवर्क्स का प्रश्न आता है। उन्होंने यह बताया कि अब १६ नगरपालिकाओं में वाटरवर्क्स का काम चल रहा है। मैं मानता हूं कि वाटरवर्क्स के काम को, यदि सारे काम को म्युनिसिपेलिटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो वह टेक्नीशियन नहीं होने के कारण उसमें किसी प्रकार की अड़चन आयगी। लेकिन साथ ही साथ में यह भी नहीं चाहता कि वह काम एक सरकारी अधिकारी के हाथ में सौंप दिया जाय। उसका सबसे बढ़िया सुझाव केवल एक ही है कि एक कमेटी एप्वाइन्ट कर दे। उसक मेटी के अन्दर सरकारी अधिकारी को भी कोऑप्ट कर लें और उस कमेटी के हाथ में अधिकार हो वाटरवर्क्स के प्रबन्ध करने का, रोस बनाने

[श्री भैरूंसिंह]

का और मरम्मत करवाने का। उस कमेटी में दो भी सदस्य हो सकते हैं। उस कमेटी में तीन भी सदस्य हो सकते हैं। उस कमेटी की जानकारी, उस कमेटी की राय, सारे नगरपालिका की राय, नगरपालिका ही क्या सारी जनता की राय भी उस अधिकारी के पास हम इस तरह से पहुंचा सकेंगे। यदि हम उसको किसी तरह का सहयोग न दें काम में तो बहुत मुमकिन है कि टेक्नीकल एक्सपर्ट होने के साथ साथ वह एक किसी विशेष बात की जानकारी से वंचित रह जाता है। वाटर वर्क्स के लिए यह दिक्कत आती है कि किस स्थान पर वाटर वर्क्स होगा, कौन से कुए से पानी का प्रबन्ध किया जायगा, किस किस मोहल्ले में पानी की नालियां जायगीं? इन सारी बातों के लिए एक कमेटी एप्वाइन्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा जल कमेटियां आजकल जिस प्रकार कई म्युनिसिपेलिटीज़ में जल वितरण कमेटियां है इस प्रकार की कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी। उन कमेटियों के हाथ में वाटर वर्क्स का समूचा काम दे देंगे तो आवश्यकता नहीं होगी कि वह अधिकारी जिस तरह से चाहे कान्ट्रेक्ट देगा। उस अधिकारी के काम में म्युनिसिपल बोर्ड हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। मैं यह मानता हूं कि म्युनिसिपेलिटी के कहने के अनुसार वह नियुक्त होगा, पर यदि हम इस चीज़ कोस्वीकार कर लेते है, कि वह आफिसर भी रहे म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के हाथ में और कमेटी के हाथ में सारे का सारा काम चला जाय तो कमेटी के सुपरवीजन में सरकारी अधिकारी के सहयोग से सारा काम होगा। जो शंका होती है कि एक ही अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग न कर लें, मनमाने तोर से काम नहीं कर लें, जनता की इच्छा के प्रतिकूल कोई काम न करले। उन चीजों को रोकने के लिए आवश्यकता है कि एक सब कमेटी बना दें। सब कमेटी जो बनाते हैं वह सारे काम को पास कर दें। उस सब कमेटी में एजीक्यूटिव आफिसर और टेकनिशियन्स को कोऑप्ट किया जा सकता है। वह सब कमेटी पर्टीक्यूलर इम्पोटेन्ट वर्क को केरी आउट कर सकेगी। इसलिए मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज़ गैर आवश्यक है और इस क्लॉज़ को हटा दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, जो अर्थ इस क्लॉज का लगाया जाता है उसका मतलब यह नहीं है। क्लॉज़ ६३ के सब क्लॉज (४) में लिखा है कान्ट्रेक्ट्स का। ६३ और ६४ यह तो कान्ट्रेक्ट्स से डील करते हैं कि कान्ट्रेक्ट्स देने के पावर्स किस को हैं। क्लॉज़ ६३ में बोर्ड को और ६४ में बोर्ड किसी आदमी को नोमीनेट करती है उसे कान्ट्रेक्ट देने के पावर्स हैं। वह आदमी कौन होगा, वह दफा २६४ में दिया हुआ है। दफा २६४ में एक्जीक्युशन ऑफ पब्लिक वर्क्स के लिए है। उसके अन्दर यदि किसी तरह की आपत्ति होती है कि वह कमेटी हो, आफिसर नहीं हो, तो बोर्ड वहां खुद है, इसके बारे में २६४ में विचार करने के लिये। मगर यहां तो सिर्फ यह है कि कान्ट्रेक्ट देने का राइट होना चाहिए। There can be any officer. there can be any committee; then this should have a right to give the contract. मगर २६४ के मातहत वह मुकर्रर होगा तो कान्ट्रेक्ट देने के राइट; we have already defi- ned the power to give the contract. This should be refaerred together with section [clause] 294.

इसलिए जो आपत्ति कही है वह इस सेक्शन पर लागू नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ६४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६४ स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज ६५ से ६९.

(विराम)

क्लॉज ६५ से ६९ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६५ से ६९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ७०, श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—क्लॉज ६५ पर विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह पास हो गया है। मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया था।

श्री मुक्तिलाल मोदी—६५ से ६९ तक आप बोले ही नहीं हैं।

श्री भैंरू सिंह—बिल्कुल नहीं सुना साहब।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने ६९ तक बोल दिया है।

श्री भैंरू सिंह—बिल्कुल नहीं सुना।

श्री उपाध्यक्ष—वह हो गया।

श्री भैंरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज कर दूं कि वह सर्विसेज़ के मामले का है, उन्हें जल्दी से पास नहीं करें। एमेंडमेंट नहीं हैं, तो भी हमारा विचार करने का हक है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—६६ तो बहुत ही इम्पोर्टेन्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका उस वक्त एतराज होता तो सुनते।

श्री भैरूंसिंह—सुना ही नहीं, धीरे से कहा होगा। मैं नहीं कहता कि आपने नहीं कहा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—किसी ने नहीं सुना।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, जल्दबाजी से काम होगा तो बिल प विचार ठीक तौर से नहीं होगा, इसलिये आप हम लोगों को मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न पूछा गया, उस वक्त आप लोग ध्यान नहीं देते हैं।

श्री भैंरूंसिंह—मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ६६ बड़ा इम्पोर्टेन्ट सेक्शन (क्लॉज) है। सर्विसेज का मामला है। इस पर हमारे विचार सुन लें तो ज्यादा अच्छा हो। इसमें २०, २० रुपये के कर्मचारियों की नियुक्तियों के बारे में है, उनको एप्वाइन्ट करने के बारे में है, उनके मुताल्लिक है। वह जल्दी में पास नहीं करें। इस प्रकार की धाराओं में सरविसेज का कहीं प्रोटेक्शन नहीं है। मर्जी में आये उस तरह से निकाल दें, मर्जी में आये उस तरह से नियुक्ति कर दें। ६६ में विचार करना आवश्यक है।

श्री हंसराज आर्य—वह क्लॉज पास हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज ७०।

श्री भैंरूंसिंह—सुना नहीं है, तो पास कैसे हो गई?

श्री हंसराज आर्य—आप नहीं सुनें तो यह आपका कसूर है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—पास......

श्री उपाध्यक्ष—पास होने की बात नहीं है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जिससे कि एतराज होता तो मैं सुनता। आप लोगों का ध्यान नहीं था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपको कोई आपत्ति है तो मुझे बता दें।

श्री भैंरूंसिंह—६६ को डेफर कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—वह पास हो गया, इसलिये डेफर नहीं हो सकता है, अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो वह अलग से रखें इस वक्त वह पास हो चुका है।

श्री भैंरूंसिंह और श्री अवनिकुमार मुकर्जी—एमेंडमेंट कैसे आयेगा, साहब ?

श्री अध्यक्ष—क्लाज ७०,

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ७० में मेरा जो अमेंडमेंट है वह इस प्रकार से है : "In sub-clause (1), omit "every auditor appointed under section 185". १८५ में मुलाहिजा करेंगे तो विदित होगा कि वहां ऑडिटर नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए "Every auditor appointed under Section 185." ये वोर्ड्स यहां गलत रहते हैं, इसलिये इनको यहां से निकाल दिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ७० के अन्दर माननीय सोहनलालजी ने जो संशोधन रखा है उसको मैं विरोध करता हूं। जिस तरह से सिलेक्ट कमेटी के अन्दर और उसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष गवर्नमेंन्ट सर्वेन्टस के लिए इस तरह से चेन्ज कर दें......

श्री सोहनलाल भटनागर—इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स का क्लॉज नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—सुनिये आप। ऑडिटर के लिए जो सोहनलालजी ने अमेन्डमेंट रखा है कि ऑडिटर को पब्लिक सर्वेन्ट न माना जाय; माननीय उपाध्यक्ष, ऑडिटर को पब्लिक सर्वेन्ट नहीं मानेंगे, चूंकि लोकल्ट बोर्ड सरकार ने बनाया है. म्युनिसिपैलिटीज का चेकिंग करता है। दो साल के इन्स्पेक्शन के आंकड़े देखें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर काफी गड़बड़ियां पाई और रिपोर्ट आई उसको माननीय उपाध्यक्षजी आप देखें तो मालूम होगा माननीय दोस्त को भी कि अगर सरकार का होगा तो उस पर पूरा अधिकार होगा, जैसा कि म्युनिसिपैलिटीज के जो सर्वेन्ट्स हैं, काम करने वाले हैं। उन पर जब लागू किये गये हैं तो ऑडिटर पर क्यों नहीं होने चाहिए ? जब तक वह काम करेगा, सिलेक्ट कमेटी ने रख दिया तो फिर वह चीज क्यों नहीं करनी चाहिए ? धारा ६६ के अन्दर भी बातें थीं। हमने सुना नहीं, आप इसको पास नहीं करें।

लेकिन माना नहीं, हम चले आयें उधर बैठने वाले सारे, एक मिनिट में ही पास कर सकते है। कहा गया कि हमारी गलती हो गई, हमने सुना नहीं, २५) रु० पाने वाले भंगी कर्मचारी के साथ यह क्यों अन्याय करते हो ?

(घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, इतना तो बोलूंगा। तो कहा था कि ऐसी हालत में वह धारा न लें और उस तरफ देख रहे थे। ६५ धारा, ६६ धारा बोले, ६७ पर बोले, ४५) रु० पाने वाले मंहगाई वगैरा सब मिला कर भंगी को, वह कैसे चलेगा ? और ६८, ६९, क्लॉज पास कर दिया। हमने कहा कि हमने सुना नहीं। लेकिन माने नहीं। जैसे स्पीकर साहब हमारे साथ अन्याय करते हैं वैसे आप भी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अन्याय की बात नहीं है।

श्री मुक्तीलाल मोदी--हम चिल्लायेंगे जरूर। भले ही स्पीकर साहब निकाल दें, आपको पॉवर है निकालने की, निकाल सकते हैं लेकिन हम तो कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--आपने ध्यान नहीं रखा।

श्री मुक्तिलाल मोदी--ध्यान तो रखा था, सुना नहीं था।

क्लॉज ७० के अन्दर जो लिखा है ऑडिटर के लिए उसी तरह का क्लॉज रहना चाहिये। जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और क्लॉज ७० में जो अधिकार रखे हैं वे ही अधिकार होने चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है वह बहुत ही इन्नोसेन्ट है। माननीय सदस्य जिन्होंने इसकी खिलाफत की है वे इसका मतलब नहीं समझे हैं। इसमें ऑडिट का चेप्टर अलग है। उसको अवोइड कर दिया गया है। लोकल फन्ड अलग कायम हो गया है और उसके अन्तर्गत सब काम हो जाता है। ऑडिटर का सम्बन्ध है अन्डर लोकल फन्ड। इसलिए यहां इसकी आवश्यकता नहीं रहती है और यह रिडन्डेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल ने क्लॉज ७० में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७० को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ७०, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप में जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज ७१

श्री गोपीलाल यादव--टाइम हो गया है साहब।

श्री मुक्तिलाल मोदी--क्या ४॥ घंटे तक बिराजेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--१२॥ बजे बन्द करेंगे।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है और इस पर काफी बहस होगी।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष--श्री सोहनलाल।

श्री गोपीलाल यादव--यह घड़ी गलत है साहब।

श्री सोहनलाल भटनागर--माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा अमेन्डमेन्ट इस तरह से है:
"in part (h)

(I) after 'taxes' in line 1, insert 'under section 87 A;'

[II] after 'tax' in line 9, insert 'leviable under section 87 or imposed under section 87 A."

इन वर्ड्स को बढ़ाने का मतलब यह है कि टेक्सेज दो तरह के रखे जा रहे हैं। एक तो होगा ओबलीगेटरी और दूसरे होंगे डिस्कीशनरी और दोनों के अलग अलग क्लाजेज रखे हैं ८७, ८७ ए। अगर ये वर्ड्स नहीं जोड़े जावेंगे तो मेल नहीं बैठेगा इसलिए। इनको जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--यह तो रूल्स के बारे में है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मानसिंह मद्दार--क्या यह सरकार की ओर से मूव किया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मुझे इसको मानने में कोई आपत्ति नही है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल ने क्लॉज ७१ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७१ को, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

क्लॉज ७१, संशोधित रूप में विधेयक में, अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी--अब तो टाइम हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२. २७ पर दिनांक २७ अप्रेल, ५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक—२६ अप्रेल, १६५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

६५५. (३६।एफ. एम.) श्री रामलाल बंसीवाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२७:—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही जिले में देज वसूली का कार्य राजस्व विभाग को कब सौंपा गया ?

(ख) राजस्व विभाग द्वारा देज की वसूली कितनी हुई व इसके मुकाबले में गत दो वर्षों में कितनी वसूली हुई ?

उत्तर

(क) भूतपूर्व सिरोही शासन काल से ही देज वसूली का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता रहा। प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न-कर्त्ता का प्रयोजन वन विभाग को सौंपने की तारीख से हो। यदि ऐसा है तो देज वसूली का कार्य वन विभाग को सन् १९५४-५५ में सुपुर्द हुआ।

(ख) वन विभाग द्वारा निम्न वसूली हुई:—

१९५४-५५ में १७, ७१५ रू० ८ आ० ६ पा०

१९५५-५६ में १६, ८५८ रू० ७ आ० ६ पा० (तारीख १५-३-५६ तक)

वन विभाग को यह कार्य सुपुर्द होने के पूर्व राजस्व विभाग से वसूली हुई, इसकी जानकारी कलेक्टर सिरोही से की गई है।

६६१. (४०।एफ. एम.) श्री रामलाल बंसीवाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२७:—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सिरोही नगर के पास स्थित वन विभाग नर्सरी पर कुछ मकान बने हुए थे और नये भी बने हैं ?

(ख) क्या यह मकानात बीज, गोदाम के लिए बनवाये गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या यहां बाथ रूम, टॉयलट रूम वगैरह भी बने हैं ? यदि हां तो किस मद में और किसके आदेश से ?

उत्तर

(क) एक छप्पर दार कच्चा तिबारा बना हुआ था, उसी के एक अंश को पक्का सीड स्टोर बनाया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

६६७. (४६। एफ. एम.) श्री श्रीदास गोयल एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १४२:—क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम लसोडा, तहसील सवाई माधोपुर के आस पास गरीब जनता को, जलाने, के लिये सूखी लकड़ी लाने पर वहां के फ़िरवाल तंग व परेशान करते हैं और उनसे रुपया लेते हैं ?

(२) यदि हां, तो सरकार उस क्षेत्र की जनता को इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जनता को कोई खास कठिनाई नहीं मालूम होती।

677. (106/ATM) Shri Gulab Chand Kasliwal, M.L.A., Division Number 48:—Will the Minister for Transport be pleased to state:—

(1) What amounts have been received under the Mototr Vehieles Act during the last five years ?

(2) What amenities in the form of Passenger sheds, booking offices, rest houses etc. have been provided for road transport passengers ?

(3) What has been the total expenditure incurred on providing amenities during the last five years ?

उत्तर

(१) गत चार वर्षों में मोटर व्ही. एक्ट के तहत निम्नलिखित आमद हुई :—

५१–५२	२४,७६,००० रु०
५२–५३	३३,७६,१११ रु०
५३–५४	३२,६१,७३७ रु०
५४–५५	३५,५६,८३२ रु०

५५–५६ ई० के फीगरर्स अभी रिकन्साईल नहीं हुये हैं।

(२) पेसेंजर सेड बुकिंग ऑफिस इत्यादि की सुविधायें बहुधा प्रत्येक सम्बन्धित स्थानों पर उपलब्ध की जा रही है और जिन स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं वहां के लिये लोकल बाडीज़ से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

(३) क्योंकि ऐसी सुविधा में लोकल बोडीज़ और मोटर मालिकों द्वारा उपलब्ध की जाती है अतः ट्रान्सपोर्ट विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में खर्चा करने का प्रश्न नहीं उठता।

६८०. (६६।एच. एम.) श्री प्रभुदयाल, एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर ११६:— क्या यह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरु जिले के दूधवा खारा गांव में सन् १९५२ से अब तक पुलिस चौकी में कितने केस दर्ज हुए व कितने पैंडिंग हैं ?

(२) क्या पुलिस चौकी का कार्यालय ग्राम की एक सार्वजनिक धर्मशाला में हैं ?

(३) यदि हां, तो उसको क्यों नहीं वहां से स्थानान्तरित किया गया ?

उत्तर

(१) ५५ मामले जिनमें से ६ अदालत में चल रहे हैं, तथा ४ तफतीश में हैं।

(२) जी हां।

(३) अन्य उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण।

(४) इस प्रकार की लिखित शिकायत की गई थी किन्तु उसमें हैड कॉन्सटेबिल के शराब पीये हुए होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। मामले की तफतीश की गई किन्तु हैड कॉन्सटेबिल के माफी मांग लेने और शिकायत करने वाले के कहने पर रोक दी गई। फिर भी हैड कॉन्सटेबिल का तबादला कर दिया गया है।

Page No 112

६८१. (६६। एच. एम.) श्री जयचन्द्र मोहिल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ६५—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम राशमी, तहसील कपासिन, जिला चित्तौडगढ़ में सन् १६५४-५५ और १६५६ में कितनी कितनी बार कितनी कितनी सम्पति की डकैतियां या नकबजनियां हुई ?

(२) इन डकैतियों और नकबजनियों में से कितनी बरामद की गई और कहां कहां की किस किस के द्वारा ?

(३) बरामद होने वाली नकबजनियां और डाके जनियों के कितने नकाबपोश डकैत पकड़े गये ? इस प्रकार के नकाबपोश गिरोह और डाकू दलों के मुखिया कौन कौन हैं ?

(४) इन नकबजनियों और डकैतियों से बरामद हुई रकम की कुल मात्रा क्या है ?

उत्तर

इस प्रश्न के उत्तर के लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित नहीं हो सकी है, अतः इस प्रश्न का उत्तर १५ दिन बाद दिया जा सकता है।

Page No 113

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६७४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF WORKS ALLOTTED TO CONTRACTONS.

DURING THE YEAR 1955-56 ON WORK-ORDER BASIS IN WEST SUB-DIVISION JAIPUR.

S. No.	Name of the contractors.	Amount of Work.	
1.	Shri Chouth Mal Bandsaindhri	Rs.	9,195/-
2.	„ Bhagwan Sahai	„	4,319/-
3.	„ Prakash Chandra	„	921/-
4.	„ Gokal Narain	„	982/-
5.	„ Shree Kalyan	„	11,223/-
6.	„ Ram Swaroop	„	1,365/-
7.	„ Jagdamba Prasad	„	5,432/-
8.	„ Kalyan Sahai	„	1,229/-
9.	„ Rattan Lal	„	11,243/-
10.	„ Mohan Lal	„	5,783/-
11.	„ Nathu Lal	„	16,753/-
12.	„ Ram Gopal	„	26,872/-
13.	„ Birdha Ram Mozmabad.	„	8,400/-
14.	„ Surta Ram Mozmabad.	„	1,792/-
15.	„ Krishan Kumar	„	1,016/-
16.	„ Narain Lal	„	2,368/-
17.	„ Jamna Lal	„	591/-
18.	„ Chauth Mal of Malpura	„	3,564/-
19.	„ Birdha Ram Jhotwara	„	1,720/-
20.	„ Ladhoo Ram	„	596/-
		Total Rs.	1,15,862/-

शुद्धि-पत्र

दिनांक २६ अप्रेल, १९५९

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३३६५	अन्तिम	श्री कस्तर चंद	श्री कस्तूरचंद
३३६६	२२	श्री अमृतलाल याद	श्री अमृतलाल यादव
३४१४	७	श्री भोगीलल	श्री भोगीलाल
३४२४	१५	सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति	सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति
३४२५	शीर्ष पर		[श्री अध्यक्ष]
३४५६	६	Ho	How
३४६१	१७	Inierrupting	Interrupting